



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 7871/अका.का.प/2019

रायपुर, दिनांक 10/01/2019

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तिरालिसवीं बैठक बुधवार दिनांक 16.01.2019 को

अपरान्ह 3:00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.10.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।  
(पृष्ठ क्र 01 से 04 तक)  
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.10.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. मानव संसाधन विकास केन्द्र पं. र.वि.वि. रायपुर के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम परिवर्तित कर संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक पदनाम किये जाने की सूचना ग्रहण कर छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किये जाने के संबंध में।  
(पृष्ठ क्र 05 से 29 तक)

टीप : मानव संसाधन विकास केन्द्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पत्र दिनांक 23.05.2015 के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 28-10/2012 (ए.एस.सी.) दिनांक 23.03.2016 के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी मार्गदर्शिका के अनुसार परिवर्तित पदनाम संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक पढ़ा जाये कहा गया है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी मार्गदर्शिका के अनुसार मानव संसाधन विकास केन्द्र के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम परिवर्तित कर संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक पदनाम हेतु आदेश जारी किये जाने एवं पदनाम परिवर्तन की सूचना छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर को दिये जाने के संबंध में प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (कार्यालयीन टीप संलग्न।)

4. संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को संवैतनिक प्रसूति अवकाश अनुज्ञेय करने विश्वविद्यालय विनियम 122 में प्रावधान किये जाने के संबंध में। (पृष्ठ क्र 30 से 38 तक)

टीप : छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिांक 20.09.2018 में छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में संशोधन कर "संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए प्रसूति अवकाश (संवैतनिक) अनुज्ञेय होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा।"

5. माँ बंजारी ट्रस्ट समिति हेतु एक नये सदस्य के मनोनयन पर विचार करना।  
टीप : (1) शिक्षक समुदाय से सदस्य डॉ. शैलेन्द्र सराफ के lien में होने के कारण प्रो. एन. के. बघमार को मनोनयन किया गया  
(2) रेक्टर पदेन, रेक्टर के अनुपस्थिति में कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य श्री नवीन मार्कण्डेय के कार्यकाल समाप्ति के कारण रिक्त स्थान पर सदस्य मनोनयन पर विचारार्थ।
6. राज्य शासन के महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश बाबत छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक 492/एफ 2014-71-00183/वित्त /नियम/चार दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 39 से 51 तक)  
टीप : महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक 492/एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 के द्वारा महिला कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष के कम उम्र के दो ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन पोषण हेतु संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। (कार्यालयीन टीप संलग्न।)
7. एन.सी.एन.आर. में कार्यरत पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉ. रविशंकर चौहान को पदभार ग्रहण तिथि से (04.08.2018 से) संविदा सहायक प्राध्यापक के लिए निर्धारित एक मुश्त मासिक संविदा वेतन रु. 36465/- स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 52)  
टीप : संविदा सहायक प्राध्यापकों एवं पोस्ट डॉक्टरल फेलो को निश्चित संविदा वेतन 29400/- दिया जा रहा था। अतः संविदा सहायक प्राध्यापकों की तरह पोस्ट डॉक्टरल फेलो के पद पर कार्यरत डॉ. रविशंकर चौहान को भी उनके पदभार ग्रहण तिथि 04.08.2018 से 36465/- एकमुश्त मासिक संविदा वेतन स्वीकृति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (कार्यालयीन टीप संलग्न।)
8. डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 53)  
टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2018 में पूरक सूची विषय क्रमांक 6 पर लिये गए निर्णय - "विश्वविद्यालय द्वारा 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन हेतु जारी आदेश का अनुमोदन किया गया एवं निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के संबंध में प्रकरण पुनः कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।" (कार्यालयीन टीप संलग्न।)
9. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिये विकल्प परिवर्तन हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 54 से 57 तक)  
टीप : छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1358/एल 2018-71-00036/वि/नि./चार, दिनांक 27.07.2018 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से 30 सितम्बर 2018 तक विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन मंगाए गए। अतः विकल्प पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता विकल्प परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (कार्यालयीन टीप संलग्न।)

10. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित इंडियन कॉफी हाउस की मासिक किराया (मेंटेनेंस चार्ज) में 50 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने पर विचार करना। (पृष्ठ क्र 58)  
टीप : इंडियन कॉफी हाउस, जबलपुर द्वारा हुए पुनः दिनांक 21.12.2018 आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि कमजोर विक्रय एवं भारी नुकसान का कारण प्रतिमाह निर्धारित किराया की राशि 25371.50 रुपये का 50 प्रतिशत अर्थात् 12,685.75 रुपये की दर से दिनांक 15.11.2017 से आज तक जमा करने एवं आगे भी इसी दर पर राशि जमा करने हेतु सहमत हैं। अतः इंडियन कॉफी हाउस के द्वारा उपरोक्त निवेदन के परिप्रेक्ष्य में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
11. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ते के पुनरीक्षण का छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्र. 254/एफ-1000847/ वित्त/नियम/चार/12 दिनांक 08 अगस्त, 2012 (वित्त निर्देश 60/2012) को अंगीकृत किये जाने के संबंध में। (पृष्ठ क्र 59 से 62 तक)  
टीप : छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्र. 254/एफ-1000847/ वित्त/नियम/चार/12 दिनांक 08 अगस्त, 2012 (वित्त निर्देश 60/2012) की छायाप्रति संलग्न।
12. विश्वविद्यालय का 54वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 का अनुमोदन करना।  
टीप : विश्वविद्यालय का 54वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 के लिए पूर्व वर्षों की भांति विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशाला एवं विभागों से जानाकारी मंगाकर समावेश किया गया है तदपश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

#### अधिष्ठाता छात्र कल्याण से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. South Asian Universities Youth Festival (SAUFEST) 2018-19 आयोजन के लिये रु. 60,00,000 (रुपये साठ लाख) का बजट प्रावधान विश्वविद्यालय से किये जाने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 63)  
टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2018 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक दो में सूचना ग्रहण कर आयोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दिनांक 22 से 26 फरवरी 2019 में 12<sup>th</sup> South Asian Universities Youth festival (SAUFEST) 2018-19 की मेजबानी विश्वविद्यालय कर रहा है, प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय बजट में कोई भी बजट प्रावधान नहीं है। कार्यक्रम के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय के सामान्य बजट मद से Youth Festival Fund में राशि रुपये 40.00 लाख एवं Student welfare fund में प्रावधानित राशि से रुपये 5.00 लाख एवं शेष राशि की व्यवस्था Sponsorship से की जावेगी। बजट पुनर्विनियोजन एवं डी.पी.आर. अनुसार प्रस्तावित व्यय राशि रुपये 65.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

#### परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. श्री जानकू राम चेलक के एम.एस-सी. भौतिकी की परीक्षा परिणाम को निरस्त करने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 64 से 72 तक)  
टीप : श्री जानकू राम चेलक, पिता श्री लाला राम चेलक के आवेदन दिनांक 29.10.2018 के द्वारा बी.एड. (सत्र 2013 से 2015) एवं एम.एस-सी. भौतिकी (सत्र 2014 से 2018) में जानकारी के अभाव में एक साथ सम्मिलित होकर उपाधि प्राप्त किये जाने का उल्लेख करते हुए एम.एस-सी. भौतिकी की परीक्षा परिणाम को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। आवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

15. सत्र 2018-19 के लिये (सेमेस्टर एवं वार्षिक) परीक्षा केन्द्रों की सूची का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना। (पृष्ठ क्र 73 से 84 तक)
- टीप :** सत्र 2018-19 के लिए (सेमेस्टर एवं वार्षिक) परीक्षा केन्द्रों की सूची की अधिसूचना प्रसारित की जा चुकी है। सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा केन्द्रों की सूची एवं उसके आंशिक संशोधन की प्रति संलग्न कर कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं सूचना ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत।

**रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-**

16. रसायन अध्ययनशाला के लिये **Electrochemical Instrument** क्रय करने हेतु 10,66,260/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 85)
- टीप :** रसायन अध्ययनशाला में Science & Engineering Research Board (SERB), New Delhi द्वारा शोध परियोजना हेतु Electrochemical Instrument क्रय हेतु निर्धारित तिथि तक फर्मों द्वारा सीलबंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत किया गया था। क्रय की राशि US \$ 14,570.00 है जिसे विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- रसायन अध्ययनशाला के लिये Electrochemical Instrument सामग्री क्रय किये जाने की अनुमानित व्यय US \$ 14,570.00 जो कि रु. 10,66,260/- (दस लाख छैंसठ हजार दो सौ साठ रुपये मात्र) होगा। US Dollar की कीमत भारतीय रुपये में परिवर्तनशील है। अतः क्रय की राशि भुगतान के दिनांक को US Dollar की कीमत के आधार पर निर्धारित होगा। अतः रसायन अध्ययनशाला के लिये Electrochemical Instrument सामग्री क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। (कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।)

**बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-**

17. DRDO New Delhi द्वारा स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत **Fluorescence Microscope** क्रय किये जाने हेतु रु. 5,25,000/- जी.एस.टी. (5%) सहित स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 86)
- टीप :** DRDO, New Delhi द्वारा स्वीकृत शोध परियोजना के अंतर्ग एक पलोरोसेन्स माईक्रोस्कोप (LM-52-3001-EPI of Lawrence and Mayo make), जिसका मूल्य रु. 5,25,000.00 (रुपये पांच लाख पच्चीस हजार मात्र), GST (5%) सहित है को M/s. Surana Enterprises, Raipur से खरीदा जाना प्रस्तावित है। यह खरीदी प्रक्रिया वि.वि. द्वारा जारी टेन्डर/रेट कान्ट्रैक्ट (No. 284/Vikas/2018, dated 25-10-2018), जो 24.10.2019 तक वैध है, के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त राशि शोध परियोजना के उपकरण मद से उपलब्ध होगी, जिसमें सत्र 2018-19 के लिए रु. 9.90 लाख उपलब्ध है। (कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।)

**मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-**

18. मूल विज्ञान केन्द्र के **Physics, Biology, Chemistry व Communication Skill Lab** हेतु 54 कम्प्यूटर, 04 प्रिंटर व 54 UPS का क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 28,90,200/- राशि के अनुमोदन पर विचार करना। (पृष्ठ क्र 87)
- टीप :** मूल विज्ञान केन्द्र के Physics, Biology, Chemistry व Communication Skill Lab बनाये जाने हेतु 54 कम्प्यूटर (for Physics Lab-10, Biology Lab-06, Chemistry Lab-06 & Communication Skills Lab-32), 04 प्रिंटर (for Biology-02, Chemistry-02) व 54 UPS (for 54 Computers) का क्रय Gem Rate के आधार पर किया जाना है, जिसके लिए अनुमानित लागत रु. 28,90,200/- है, अतः इन सामग्रियों के क्रय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात् संबंधित फर्मों को कार्यादेश दिये जाने के पूर्व अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

19. विश्वविद्यालय परिसर में स्ट्रीट लाइट पोल तथा उनमें **LED Street light Fittings** लगाने हेतु रु. 10,89,451/- के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
टीप : विश्वविद्यालय परिसर में प्रबंधन संस्थान से लेकर जिम्नेशियम हॉल (बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला) तक रात में अंधेरा रहता है। चूंकि इस रास्ते पर प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत पोल नहीं है। सिक्यूरिटी सर्विस द्वारा उक्त संवेदनशील एरिया में प्रकाश व्यवस्था हेतु निवेदन किया है। स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन लोकनिर्माण विभाग के S.O.R. के अनुसार तैयार किया गया है। प्राक्कलन अनुसार 30 नग स्ट्रीट लाइट ट्यूबलर पोल लगाने हेतु कुल राशि रु. 10,89,451/- (रुपये दस लाख नवासी हजार चार सौ इंक्यावन मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।
20. विश्वविद्यालय के कला भवन के सामने उद्यान विकसित करने के संबंध में विचार करना।  
टीप : विश्वविद्यालय के कला भवन के सामने उद्यान विकसित करने हेतु पत्र सहायक संचालक उद्यान, रायपुर (छ.ग.) को प्रेषित किया गया था। उनके द्वारा स्थल निरीक्षण कर अलंकृत भू-सादृश्य उद्यान रोपण हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। प्राक्कलन अनुसार कुल राशि रु. 12,24,669/- (रुपये बारह लाख चौबीस हजार छै सौ उनहत्तर मात्र) का व्यय उल्लेखित किया गया है। प्राक्कलन में मिट्टी भराई एवं ट्रीटमेंट, लानग्रास लगाने, फूल पौधे रोपण कार्य, आकर्षक पौधे लगाने लैंड स्केपिंग, सिंचाई एवं कार्य में लगने वाले श्रमिक व्यय अनुसार कुल राशि रु. 12,24,669 की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

21. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 29.11.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृष्ठ क्र 88 से 89 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. शासकीय महाविद्यालय, भटगांव, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा एम.ए. पूर्व- हिंदी एवं राजनीति शास्त्र विषय की सम्बद्धता नहीं कराये जाने, के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 90 से 91 तक)  
टीप : शासकीय महाविद्यालय, भटगांव, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में सत्र 2012-13 में एम. ए. पूर्व- हिंदी एवं राजनीति शास्त्र विषय प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण समिति का गठन पत्र प्रेषित करने के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण कार्य सम्पन्न नहीं कराया गया है। महाविद्यालय को 9 स्मरण पत्र प्रेषित किये जाने एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात् भी महाविद्यालय से निरीक्षण संबंधी कार्यवाही लंबित है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
23. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.01.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृष्ठ क्र 92 से 108 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

24. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था अनुबंध एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 109)


टीप : New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur फर्म द्वारा विश्वविद्यालय परिसर व भवनों में किये जा रहे सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य संतोषजनक होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्र. 195/विकास/निसू./2017 रायपुर, दिनांक 15.06.2017 के निविदा प्रपत्र-4 के कण्डिका 01 के अनुबंध के प्रारूप में किये उल्लेख के आधार पर वि.वि. परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक वर्ष के लिये (दिनांक 01.03.2019 से 29.12.2020 तक) कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

25. मूल विज्ञान केन्द्र में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि की कार्येत्तर स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना। (पृष्ठ क्र 110)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

26. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार  
  
 कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 7872/अका.का.प/2019

रायपुर, दिनांक 10/01/2019

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)





# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैंक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक: 7467 / अका./ का.प./ 2018

रायपुर, दिनांक 30/10/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बयालीसवीं बैठक गुरुवार, दिनांक 25.10.2018 को अपराह्न 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

|                                 |         |                                  |         |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 1. डॉ. बशीर हसन                 | – सदस्य | 8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट       | – सदस्य |
| 2. डॉ. एच.के. पाठक              | – सदस्य | 9. डॉ. बी.एल. तिवारी             | – सदस्य |
| 3. डॉ. श्रीकांत कमलाकांत पांडेय | – सदस्य | 10. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता      | – सदस्य |
| 4. डॉ. सोम कुमार चटर्जी         | – सदस्य | 11. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती        | – सदस्य |
| 5. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे          | – सदस्य | 12. श्री सत्यनारायण शर्मा        | – सदस्य |
| 6. डॉ. नरेन्द्र पटनायक          | – सदस्य | 13. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा     | – सदस्य |
| 7. श्री एस.के. चक्रवर्ती        | – सदस्य | 14. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ | – सदस्य |
|                                 |         | 15. डॉ. संजय कुमार               | – सदस्य |

डॉ. संदीप वनसूत्रे, कुलसचिव – सचिव

## कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 18.09.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।  
निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2018 के बिन्दु क्रमांक 4 में लिये गए निर्णय में आंशिक संशोधन किया गया तदनुसार उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन की वित्त विभाग से सहमति हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने निर्देशित करते हुए अन्य बिन्दुओं की सम्पुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 18.09.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : सूचना ग्रहण किया गया।

## सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. विश्वविद्यालयीन कुलपति, शिक्षकों एवं अधिकारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम दिनांक 01.01.2016 से सातवाँ वेतनमान लागू करने के संबंध में।  
निर्णय : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2018 में भारत शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र क्र. 1-7/2015-U.II (1) नई दिल्ली दिनांक 02 नवम्बर 2017 तथा उत्तरवर्ती शुद्धिपत्र दिनांक 8 नवम्बर 2017 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का परिपत्र F.No. 23-4/2017(PS) दिनांक 31 जनवरी 2018 के तारतम्य में उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारियों तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपति, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल तथा संचालक/सहायक संचालक शारीरिक शिक्षा के लिए दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही एरियर्स की गणना कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र भेजने हेतु अनुमोदन किया गया।

4. राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण के अन्तर्गत बकाया वेतन का भुगतान के संबंध में।

निर्णय : पुनरीक्षित (सातवाँ वेतनमान) वेतन भुगतान की शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जाए।

पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथालय से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद श्रेणी से एक सदस्य की नियुक्ति के संबंध में।

निर्णय : ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद श्रेणी से एक सदस्य डॉ. एस.के. चटर्जी, कार्यपरिषद सदस्य एवं प्राचार्य, शास. वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महावि. महासमुंद के नाम का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. सत्र 2017-18 के Result Processing के कार्य का देयक भुगतान एवं सत्र 2018-19 हेतु End-to-End कार्य के लिए

(i) सत्र 2017-18 के रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य संपन्न हो चुका है एवं कंपनी एन.सी.सी. एफ अर्थात् राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (भारत सरकार का उपक्रम) कांके रोड, राँची ने इस कार्य हेतु रु. 25,60,889=00 (अक्षरी पच्चीस लाख साठ हजार आठ सौ नवासी मात्र) जीएसटी सहित भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किया है। अतः संबंधित फर्म को उक्त राशि भुगतान करने के लिये कार्य कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ii) सत्र 2018-19 के लिये End to End Exam कार्य हेतु Pre & Post Examination कार्यों की प्रणाली सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

7. विश्वविद्यालय परिसर में भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था के संबंध में।

निर्णय : वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था का कार्य कर रही एजेंसी New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur का कार्यकाल संतोषजनक होने के कारण वि.वि. द्वारा पूर्व में जारी निविदा के शर्तों/जानकारी के कण्डिका 31 एवं साफ-सफाई कार्य हेतु किये गये अनुबंध के कण्डिका 24 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई कार्य हेतु एक वर्ष के लिये (दिनांक 01.11.2018 से 31.10.2019 तक) कार्यकाल बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र के लिए भवन निर्माण हेतु आर्किटेक की सेवाएं लेने के संबंध में।

निर्णय : दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र हेतु भवन-निर्माण के लिए आर्किटेक्ट Shrivastava Bagrecha & Associates Raipur की सेवाएँ लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।



## अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. जी.एस.टी. की बैठक में उपस्थित होने के संबंध में जानकारी, की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : कुलसचिव द्वारा दिनांक 25.09.2018 को वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय, रायपुर जोनल इकाई, रियो मॉल, चौथी मंजिल, लालपुर, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.) में उपस्थित होकर दर्ज कराए गए बयान की सूचना ग्रहण की गई तथा इस संबंध में सी.ए. की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया।


## पूरक विषयसूची


1. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.10.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय : कार्यवृत्त के बिन्दु क्र. 06 को छोड़कर शेष अन्य बिन्दुओं को अनुमोदित किया गया।
2. छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति म्यूजियम (Heritage Museum विरासत संग्रहालय) की स्थापना एवं प्रस्ताव के संबंध में।  
निर्णय : संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजने हेतु अनुमोदन किया गया एवं तदनुसार 2019-20 के बजट में प्रावधान करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. रसायन अध्ययनशाला के लिये Electrochemical Instrument सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।  
निर्णय : विस्तृत विवरण सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
4. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन के संबंध में।  
निर्णय : विभिन्न संकायों में 313 शोधार्थियों को पी-एच.डी. उपाधि हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.06.2017 से 12.10.2018 तक (अधिसूचना क्रमांक 2839 से 3151 तक) का अनुमोदन किया गया।
5. विश्वविद्यालय परिसर में 'संत सदाराम सिंधी अध्ययन केन्द्र' की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : निदेशक, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद्, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की सूचना ग्रहण की गई।
6. डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन हेतु जारी आदेश का अनुमोदन किया गया एवं निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के संबंध में प्रकरण पुनः कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. छ.ग. शासन के वित्त निर्देश 35/2017 के अनुसार छ.ग. पुनरीक्षण नियम 2017 राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन के निर्धारण के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : छ.ग. पुनरीक्षित वेतन संरचना 2017 के अनुसार संविदा वेतन की स्वीकृति एवं वित्त निर्देश 35/2017 को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया तथा व्यय-भार की स्वीकृति प्रदान की गई।

## अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. भू-विज्ञान एवम् जल संसाधन प्रबंधन अध्ययन शाला में PG Diploma in Remote Sensing and GIS पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण की गई।
02. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और केन्द्रीय भूजल परिषद् के बीच MoU के अन्तर्गत नए अकादमिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।
03. डॉ. (श्रीमती) राधारानी साहू, सलाहकार, सिकल सेल संस्थान, रायपुर को मनोविज्ञान अध्ययनशाला में शैक्षणिक पद पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में।  
निर्णय : विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पद पर प्रतिनियुक्ति का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रस्ताव को अमान्य किया गया।
04. डॉ. हेमंत शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : कार्यभार ग्रहण करने की सूचना ग्रहण किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 7468 / अका. / का.प. / 2018  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 30/10/2018

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु टीप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज वर्तमान में परिवर्तित नाम मानव संसाधन विकास केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति के साथ शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों यथा- प्रोफेसर 01, रीडर 01 एवं व्याख्याता 02 पद प्रदान की गयी थी।


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अकादमिक स्टॉफ कॉलेज परिवर्तित नाम मानव संसाधन विकास केन्द्र के लिए स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों यथा प्रोफेसर, रीडर एवं व्याख्याता पदनाम से वचनबद्धता छ.ग. शासन से प्राप्त हुआ है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी पुनरीक्षित मार्गदर्शिका के बिन्दु क्रमांक 3.2.3 में प्रोफेसर, रीडर एवं व्याख्याता पदनाम के स्थान पर संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक पदनाम घोषित किया गया है।

मानव संसाधन विकास केन्द्र के सलाहकार समिति की सुझाव अनुसार संचालक, मानव संसाधन विकास केन्द्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने पत्र क्रमांक 269/ए.एस.सी. /15 दिनांक 23.05.2015 के द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम को यथावत रखे जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखा गया था।

मानव संसाधन विकास केन्द्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पत्र दिनांक 23.05.2015 के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 28-10/2012 (ए.एस.सी) दिनांक 23.03.2016 के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी मार्गदर्शिका के अनुसार परिवर्तित पदनाम संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक पदा जाये कहा गया है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी मार्गदर्शिका के अनुसार मानव संसाधन विकास केन्द्र के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम परिवर्तित कर संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक पदनाम हेतु आदेश जारी किये जाने एवं पदनाम परिवर्तन की सूचना छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर को दिये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

  
Deputy Registrar (Admn.)  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C. G.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

6

क्रमांक 11606/एफ 5-52/07/38-2  
प्रति,

रायपुर दिनांक 30/12/2011

कुलसचिव,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,  
रायपुर।

विषय:- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नवीन मद वर्ष 2007-08 में अकादमिक स्टाफ कॉलेज की भवन निर्माण हेतु राशि रु. 83.74 लाख का प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक - 3969/कु.06, दिनांक 08/11/2006 एवं 975/सा.प्रशा. /11 दिनांक 10.03.2011

राज्य शासन द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु निम्नानुसार 10(दस) पदों हेतु सहमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि विश्वविद्यालय पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे।

| क्रमांक | पदनाम                | पदों की संख्या | वेतनमान (रूपये में) | ग्रेड वेतन (रूपये में) |
|---------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 01.     | प्रोफेसर             | 1              | 37400-67000         | 10000                  |
| 02.     | रीडर                 | 1              | 15600-39100         | 8000                   |
| 03.     | व्याख्याता           | 1              | 15600-39100         | 6000                   |
| 04.     | कक्ष अधिकारी         | 1              | 9300-34800          | 4400                   |
| 05.     | प्रथम श्रेणी लिपिक   | 1              | 5200-20200          | 2800                   |
| 06.     | टेक्नीशियन           | 1              | 5200-20200          | 2800                   |
| 07.     | द्वितीय श्रेणी लिपिक | 1              | 5200-20200          | 2400                   |
| 08.     | कम्प्यूटर आपरेटर     | 1              | 5200-20200          | 2200                   |
| 09.     | चपरासी               | 1              | 4750-7440           | 1300                   |
| 10.     | हॉस्टल अँडेंट        | 1              | 4750-7440           | 1300                   |
|         | कुल योग              | 10             |                     |                        |

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 364/434/वित्त विभाग/ब-3/2011, दिनांक 21/11/2011 द्वारा जारी सहमति के आधार पर दी जा रही है।

(गोपाल सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग .

GUIDELINES FOR

7

Regional Centre for  
Capacity Building (RCCB)  
&  
Human Resource Development Centre (HRDC)  
(Implementable from 01 February, 2015)



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG  
NEW DELHI – 110 002  
Website : [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in)

## UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

### **GUIDELINES FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTRES (HRDCs) AND REGIONAL CENTRES FOR CAPACITY BUILDING (RCCBs)**

#### **1. Introduction**

##### **1.1 Background**

The National Policy on Education (NPE) 1986 in its Programme of Action made a focused reference to the crucial dependence of quality ensured delivery of education to continuous knowledge up-gradation, capacity building and motivation of teachers for accepting challenges arising from exponential growth of new knowledge and fast growing trends of breaking barriers of subject specific teaching and research.

Thus, the NPE recognized the urgent need for creating effective systems to provide opportunities for professional and career development of teachers, necessary for quality education and research so that they are well equipped and motivated to accept new challenges emerging from growth of new knowledge, international competitiveness and changing requirements of learners, especially in the institutions of higher education. Therefore, it was proposed to enhance their motivation skills and knowledge through systematic orientation in specific subjects, techniques and methodologies, and thereby inculcate in them the right kind of values that would in turn encourage them to take initiatives for innovative and creative work.

In order to achieve the above objectives, an initiative was taken by University Grants Commission in the year 1986 and over a period of time, 66 Academic Staff Colleges (ASCs) were established in different universities. During the last two decades or more, the system of ASCs has come to be accepted well and established in the university system with plan to plan financial support of the UGC and cooperation extended by the universities in providing basic infrastructure and other support, required for functioning of the ASCs.

As of now, a total of 66 ASCs are functioning in the institutions of higher education across the country. A Session wise comprehensive list of numbers of Refresher Courses and Orientation Programmes conducted under the Scheme of ASC during the last one decade and number of participants who underwent these OPs / RCs is as under.

Table 1 : Details of Orientation Programmes and Refresher Courses conducted by ASCs during 2003-2013

| Session | No. of Refresher Courses | No. of Orientation Programme | No. of faculty Participated |
|---------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2003-04 | 497                      | 147                          | 21330                       |
| 2004-05 | 750                      | 171                          | 33700                       |
| 2005-06 | 850                      | 180                          | 32000                       |
| 2006-07 | 500                      | 200                          | 21000                       |
| 2007-08 | 600                      | 150                          | 20000                       |
| 2008-09 | 689                      | 213                          | 22800                       |
| 2009-10 | 710                      | 230                          | 25000                       |
| 2010-11 | 710                      | 320                          | 40000                       |
| 2011-12 | 697                      | 260                          | 26420                       |
| 2012-13 | 780                      | 240                          | 27460                       |

From the above statistical information, it is evident that in spite of the best efforts of a total of 66 ASCs, we have been able to meet the important requirement of capacity building and continuous knowledge up-gradation to a limited extent. It is in this background that the need to revisit the system of ASC emerged to reposition them to handle the contemporary scenario due to fast expansion in number of new institutions of higher education and substantial increase in number of faculty positions.

## 1.2 Revisiting and revitalizing the system of ASCs

Since 1986, the system of higher education has witnessed tremendous expansion and transformation. Various studies undertaken in our country and abroad have shown that any substantial increase in number of students, at university level makes impressive impact on economic growth in the decade that follows. During the XI Five Year Plan period there has been stress on expansion, equity and excellence. Planning Commission Government of India in its Approach Paper to the XII Five Year Plan has recognised Education as the single most important instrument for social and economic transformation. As of now, we have 723 universities and 35,539 colleges, with total student enrolment of nearly 29 million. Besides the GER getting doubled during the last 10 years to reach the level of 20.4%, the Govt. of India has projected GER of 30% by 2020. However, certain recent studies have highlighted a serious concern about low percentage of employability of our students. Therefore, while continuing focus on expansion, equity and excellence in the XII plan also there is special focus on the issue of employability of students passing out from campuses of institutions of higher education.

There is now greater concern and focus on the issues of quality and inclusive education. A study by the UGC about 1471 selected colleges and 111 selected Universities revealed that 73% of the colleges and 68% of universities in our country are transacting teaching-learning processes which are of medium or low quality. Since bulk of enrollment in higher education (96%) takes place in universities and colleges supported by the State Governments (7.5% enrolment in private aided & unaided institutions), an umbrella scheme of Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA) has been launched to address the needs of State institutions so as to strengthen them and enhance their quality. The Scheme will also strengthen Undergraduate and Postgraduate education in Colleges. RUSA will also address a major challenge on regional imbalances in higher education.

Several reforms are being introduced in higher education to ensure meaningful quality. This includes a National Mission on Teachers and Teaching to address important issues pertaining to availability of qualified teachers with systems to support their consistent knowledge up-gradation to match the global competition and other requirements of fast growing new knowledge in various disciplines and across disciplines. The Mission also proposes to address the problem of attracting talent into teaching profession. It is also envisaged that the Mission would pursue long term goal of building a strong professional cadre of teachers by setting performance standards and creating top class institutional facilities for innovative teaching and professional development of teachers. The Mission would focus in a holistic manner dealing with the whole sector of education without fragmentation.

Since the launch of a dedicated satellite Education Satellite (EDUSAT) about 10 years ago, Technology Enabled Learning has grown fast as an integrated component of higher education. It has especially served the cause of expansion in education to less developed areas. It is proposed to be made available to all the institutions across the country. Therefore, the faculty and students have to be empowered with capabilities to harness technology for improving the quality of education. The National Knowledge Network (NKN) is in the process of connecting 26,000 Colleges, most of the Universities and Research laboratories through e-connectivity for academic transactions. National Mission of Education through ICT (NMEICT) is in the process of developing 50 DTH Channels, R&D for low cost Devices, adoption of emerging technologies and e-content for undergraduate and postgraduate level courses. Massive Open Online Courses (MOOCs) would also be available in the near future.

The above emerging dimensions of development of education show that our country is in the process of taking big strides in education. In contemporary times our Universities cannot promote an academic life in seclusion but are required to champion reason and imagination in engagement with the wider society and its concerns. Realizing that teachers have to be in the centre stage of these developments, provisions for their motivational training and consistent exposure to innovative trends and advanced knowledge in various disciplines and across discipline, need to be revisited and re-engineered in consonance with the contemporary scenario in our country. Not only the faculty but new strategies for governance of educational institutions are also needed to promote innovative, broad and dynamic collaborative models.



In line with the foregoing objectives and for achieving quality assured system for capacity building, continuous knowledge enhancement, new strategies of governance for promotion of innovations and creativity, in these guidelines are being proposed to transform the existing ASCs into two level systems in the form of a Scheme of setting up Human Resource Development Centre (HRDC) and Regional Centres for Capacity Building (RCCB) in selected universities in the country to create new such systems commensurate with the expansion of higher education institutions by the University Grants Commission (UGC) with following broad plan of action.

- a) To organize specially designed Orientation Programmes (OPs) in pedagogy, educational psychology and philosophy, and socio-economic and political concerns for all new entrants at the level of Assistant Professor;
- b) To organize advanced level and more discipline oriented Refresher Courses (RCs), for capacity enhancement and continuous knowledge up-gradation and exposure to emerging developments of faculty involved in teaching in institutions of higher education;
- c) To ensure that every teacher in higher education system of our country is exposed to an OP and a RC at least once during the first three to five years; of his/her career.
- d) To organize specially designed OPs/RCs to enable the faculty involved in teaching and research in institutions of higher education to utilize fast growing Information and Communication Technology support to teaching and research;

### **1.3 Two levels of human resource development and capacity building centres and system for programme planning and management**

There will be two levels:

- i. **Regional Centres for Capacity Building (RCCB)** with a Regional Programme Planning and Management Committee (RPPMC) for monitoring.
- ii. **Human Resource Development Centre (HRDC)** with a Local Programme Planning and Management Committee (LPPMC) for monitoring.

In order to monitor the functioning of above two levels, there will be **Programme Planning and Management Standing Committee (PPMSC)** constituted at UGC level with a senior Officer of the UGC as the Coordinator and six academics nominated by the Chairman UGC for periodic review, monitor and functioning of the RCCBs and HRDCs and other related issues. Besides the foregoing functions PPMSC will also explore possibilities of making available sharing of expertise and infrastructure facilities like Laboratories etc in National level organizations like DAE, DST, CSIR, ICSSR, Centre under National Mission on Teachers and Teaching etc.

The following main target groups have been identified for capacity building, knowledge enhancement and similar other programmes with the objective of a holistic approach focused on transformation of our institutions of higher education to a more facilitating academic environment conducive to innovations, creativity and quality advanced learning and research.

- Faculty members in institutions of higher learning engaged in teaching and research
- Teacher Educators
- Key nonacademic functionaries in institutions of higher learning for better governance and to facilitate efficient use of various fast growing ICT resources and applications
- Research scholars

## 2. Core Issues

### 2.1 Objectives and responsibilities of RCCBs and HRDCs

#### a) Regional Centres for Capacity Building (RCCB) and Human Resource Development Centre (HRDC)

In view of broad spread of our country and varying regional constraints, imbalances, expectations and requirements, RCCBs and HRDCs will be better equipped in terms of infrastructure, deployment of human resource, ICT capabilities and other equipments so as to share facilities and play as a role model for human resource development and capacity building in the region. Generally, a RCCB will be situated in a well established and well equipped university with large number of qualified Faculty in different disciplines, Laboratories, Libraries, that they are in a better position to monitor, coordinate and support functioning of several HRDCs in the concerned region.

Every RCCB will discharge the following functions well planned and monitored by a Regional Programme Planning and Management Committee (RPPMC).

- i. To develop and maintain online interactive connectivity for functional operations with all the HRDCs in the concerned region, and facilitate e-content delivery, using National Mission of Education through ICT (NMEICT) resources, adoption of emerging technologies and Massive Open Online Courses (MOOCs).
- ii. To develop a repository of experts with brief CVs who may be available for conduction of programmes in HRDCs in the region
- iii. To develop a multimedia repository of some of the best content delivered in the Region or other Regions through collaboration for mutual sharing

- iv. To set up a regional documentation-IT enabled centre-cum-library for reference and source materials necessary for the programmes;
- v. To communicate and manage display of advisories to the participants in advance giving the theme, focus and other details about the programmes
- vi. To maintain an information portal giving all details about programmes planned by the RCCB and HRDCs in the specified region with names and brief CVs of resource persons and preferably full text or at least PPTs with abstract and references of the content proposed to be delivered
- vii. In collaboration with HRDCs in the specified region regular collection and analysis of feedback from participants on programme delivered in the region, for consistent review for quality enhancement
- viii. To send every quarterly a detailed report about the programmes conducted, analyzed feedback of participants etc. to the coordinator of PPMSC

#### **b) Functions of Human Resource Development Centre (HRDC)**

The functions of a HRDC will be to plan, organise, implement, monitor and evaluate various programmes in collaboration with concerned RCCB on the broad guidelines suggested by Local Programme Planning and Management Committee (LPPMC). In particular, HRDCs will ensure the following

- i. To actively collaborate and cooperate with RCCB so as to achieve highest standards of quality and effectiveness of programme delivery
- ii. To actively utilise online systems for interactive connectivity with the RCCB and all the HRDCs for fast and effective functional operations and content delivery as detailed under 2 a)-i above
- iii. To contribute and share the repository of experts maintained by RCCB for conduction of programmes in HRDCs
- iv. To contribute and share multimedia repository of RCCB and other sources as indicated of some of the best content delivered in the at HRDC
- v. To set up a documentation-IT enabled centre-cum-library for reference and source materials necessary for the programmes;
- vi. To communicate and manage display of advisories to the participants in advance giving the theme, focus and other details about the programmes
- vii. To actively cooperate with RCCB in maintenance of an information portal giving all details about programmes planned in the region with names and brief CVs of resource persons and preferably full text or at least ppts with abstract and references of the content proposed to be delivered
- viii. To analyse feedback from participants on programme delivered in the HRDC for consistent review for quality enhancement and communicating the same online to RCCB within 15 days from completion of a programme.

### **3. Guidelines for Implementation of the Scheme**

#### **3.1 Location of RCCBs and HRDCs**

All the existing ASCs will be renamed as HRDCs henceforth and to start with few existing ASCs will be upgraded to RCCBs keeping in view the performance of the ASC and regional distribution. The RCCB and HRDC may be established in University as an autonomous entity. The RCCBs will function as resource centres with coordination and monitoring functions for all HRDCs in an identified region. These will have to draw upon all the possible existing resources available in the University as well as in other universities and academic institutions within the region and outside.

#### **3.2 Structure for monitoring Regional Centre for Capacity Building (RCCBs) and Human Resource Development Centre (HRDCs)**

##### **3.2.1 Structure at the level of University Grants Commission (UGC)**

**Programme Planning and Management Standing Committee (PPMSC)** constituted at UGC level with a senior Officer of the UGC as the Coordinator and six academics nominated by the Chairman, UGC. Any other officer/expert relevant to the functioning of the RCCBs and HRDCs to be nominated by the Chairman, UGC. The term of the Members in PPMSC, RPPMC and LPPMC will be of two years.

##### **3.2.2 Structure for the Regional Centre for Capacity Building (RCCBs (Staffing norms/patterns)**

3.2.2.1 Every **RCCB** will discharge the functions well planned and monitored by a Regional Programme Planning and Management Committee (RPPMC). The constitution of RPPMC will be as follows:

1. Vice Chancellor/Head of the host institution
2. Director RCCB : 1 (Member Secretary)
3. Directors HRDCs : 2 (in the concerned region to be nominated by UGC)
4. Four senior academics at the level of Professors out of which two to be chosen from the institutions of higher education in the region and two from any other region nominated by Vice-Chancellor/Head of the host Institution.
5. Nominee of the UGC : 1

The Registrar and Finance Officer of the host University will be special invitees for the meetings of RCCB. Members may be paid an honorarium of Rs. 2000/- for attending the meeting.

**3.2.2.2 Human Resource Development Centre (HRDC)** will have a Local Programme Planning and Management Committee (LPPMC). The constitution of LPPMC will be as follows:

1. Vice Chancellor/Head of the host institution
2. Director HRDC
3. One nominee each of the UGC and the RPPMC
4. Four senior academics at the level of Professors out of which two to be chosen from the institutions of higher education in the region and two from any other region nominated by Vice-Chancellor/Head of the host Institution.

The Registrar and Finance Officer of the host University will be special invitees for the meeting of LPPMC. Members may be paid an honorarium of Rs. 2000/- for attending the meeting.

**3.2.3 Structure of RCCBs and HRDCs (Staffing norms/patterns)**

**(a) Academic Staff**

1. Director (in the pay scale of Professor): 1
2. Deputy Director (in the pay scale of Deputy Director (Physical Edn) : 1
3. Assistant Director (in the pay scale of Assistant Director (Physical Edn): 1

**(b) Non-teaching staff:**

1. Technical Officer: 1 (ICT applications, maintenance and training).
2. Section Officer: 1
3. Senior Assistant: 1
4. Computer Assistant/Junior Assistant : 1
5. Librarian or Technician: 1
6. Steno-typist/Computer Operator: 1
7. Peon: 1
8. Hostel Attendant: 1 (in case of those ASCs that have independent accommodation/hostel facilities).

**3.3. Appointment and conditions of service of Human Resource Development Centre (HRDC) and Regional Centres for Capacity Building (RCCB) :**

**(a) Director:**

The qualifications for the post of Director will be the same as for the post of Professor. The search-cum-selection committee for Director will be as follows:

- i. Vice-Chancellor of the host University (that is, where the HRDC/RCCB is located) (Chairman)
- ii. One Vice-Chancellor of another university (*to be nominated by the Vice-Chancellor of the host University*)
- iii. Two experts to be nominated by RPPMC or LPPMC
- iv. One nominee of the UGC.

The Registrar of the host University will be the non-member Secretary to the Committee.

At least three members, including the UGC nominee, shall constitute the quorum.

**(b) Deputy Director/Assistant Director:**

For the posts of Deputy Director and Assistant Director, the qualifications will be the same as in the case of similar posts in the University. The selection committee and the procedure will be the same as for the RCCB/HRDC Director, except that the Directors of RCCB and HRDC will be ex-officio members of the selection committee.

**(c) Conditions of service:**

In order to validate pedagogical innovations and transplant experiences of the RCCB and HRDCs, the academic staff of the RCCBs and HRDCs, having additional charge of RCCB/HRDC, will participate in all academic activities of the parent/allied department including teaching, research, consultancy, etc. including guiding of Research students, provided that the RCCB and HRDCs work does not suffer. The University will make necessary provisions to this effect.

No honorarium will be admissible to the academic staff of the RCCB and HRDCs, that is, Director, Deputy Director and Assistant Director, for giving lectures in the orientation programmes and refresher courses.

The benefits available to regular staff of the University would also be available to the staff of RCCB/HRDC.

There will be a provision for performance appraisal of the academic staff. The incumbents on these posts will retire as per University rules.

In case the incumbent appointed for the post of Director happens to be a Professor holding additional charge, he/she will be paid an allowance of Rs. 10,000/- per month. In case of Associate Professor holding additional charge of Deputy Director of RCCB/HRDC, the allowance will Rs. 5,000/- per month.

**(d) Appointment of non-teaching Staff:**

The qualifications and procedure for appointment of non-teaching staff, and the mode of their appointment will be the same as prescribed for such posts in the University

### **3.4 Administrative Structure**

The RCCB and HRDCs will be a UGC-sponsored separate entity.

The RCCB and HRDCs will have functional autonomy within these guidelines.

### **3.5 Review and Monitoring**

The UGC will monitor and review the functioning of the UGC- RCCBs and HRDCs after a period of five years or as communicated by the UGC from time to time. The UGC may, after review, discontinue any RCCB and HRDC for valid reasons.

### **3.6 Delegation of Powers**

The Directors of the RCCB and HRDC will be the Academic, Administrative and Financial Executive Officer of their respective Centres. They will be responsible for its functions and activities. He/she will have the powers to sanction expenditure upto Rs. 50,000/- at a time. In addition he/she shall have the powers to make payments of TA/DA to resource persons and participants of the programmes.

The Vice-Chancellor of the host University will have the following powers:

- (i) to appoint academic staff in the RCCB/HRDC.
- (ii) to appoint non-teaching staff in the RCCB/HRDC on the recommendations of the Director.
- (iii) to relax the provision of these guidelines in view of special circumstances of any case, on the recommendations of the Director, to be recorded in writing, for allowing activities in the interest of smooth functioning of RCCB/HRDC.

### **3.7 Opening of Bank Account**

Separate university-approved bank accounts may be opened for the RCCB and HRDC and operated by the Director and Registrar/Finance Officer jointly and the grants paid by the Commission to the university for the RCCB and HRDC may be transferred to the account for ensuring timely and adequate flow of funds to RCCB and HRDC. All advances for the functioning of RCCB & HRDC and running of programmes shall be drawn in the name of Director, RCCB/HRDC.

### **3.8 Registration Fee**

Every participant shall pay an admission fee (non- refundable) of Rs.1000/- at the time of admission to the course. The amount so generated will be kept at the disposal of the RCCB and HRDCs for the augmentation of RCCB's and HRDCs infrastructure.

### 3.9 Assets and Liabilities

Each RCCB and HRDC will prepare a list of facilities, assets and liabilities that are under its direct control. It will provide a list of academic staff, non-teaching and other staff, and their minimum annual expenditure. If, for any reason, the UGC-RCCB and HRDC is discontinued, the UGC will decide on the assets and liabilities created by the UGC under the Scheme.

### 4. Main categories of human resource development and capacity building programmes

The HRDCs and RCCBs will mainly organize the following main category of human resource development and capacity building programmes.

**4.1 Orientation / First Level Programmes:** Every new faculty member in higher education will be required to undergo a four week Orientation / First level Programme which will be focused on some **broad area of knowledge** spanning a few allied disciplines.

The objective of the orientation programme is to make teachers an agent of socioeconomic change and put them in centre stage of national development. The programme shall have the following components:

- 10% weight for topics in higher education such as issues of ethics, gender, marginalized communities, plagiarism etc.
- 10% weight for issues related to environment.
- 10% weight for issues concerning service matters of teachers.
- 20% for broad cross discipline topics to motivate the trainees for development of interdisciplinary understanding and interest including basic legal awareness.
- 10% weight for Research Methodology.
- 15% weight for Communication Skills and Information Technology.
- 10% weight for Microteaching
  
- The remaining 15% of content of the First Level Programme will be focused on broad understanding of various subjects with recent global trends and developments.

**4.2 Refresher / Second Level Programmes:** These will be mainly focused for those faculty members who have already undergone through the Orientation/First Level Programme in an identified broad area. The programme will be discipline specific with advanced developments in an identified subject under the concerned broad area. In addition, there will be Refresher Programmes, geared towards emerging cross discipline advanced studies to enable the participants of relevant disciplines to work together or contemporary application of new knowledge for industrial and social development and



other allied aspects. The goal would be to equip and motivate the participants with advanced knowledge to accept challenges of quality teaching and research.

**4.3 Workshops:** These will be organized for shorter duration of one week(6 working days, 36 contact hours) and will be covering mainly for capacity building of academics, administrators and other stakeholders.

**4.4 Short-term course** of 3-6 days duration especially on research methodology and specialised themes of interest.

**4.5 Some suggestive areas for Programme development and delivery:**

The RCCBs and HRDCs will plan the programmes as above on the basis of needs and requirements of the institutions to be covered. However some suggestive inputs are given below.

- i. Internal and External Accreditation
- ii. Technology Enabled Learning through online demos and support for capacity building for development of e-content, virtual labs and their effective use for teaching and research
- iii. Holistic approach to the whole sector of education without fragmentation.
- iv. Broad and dynamic collaborative models for encouraging interdisciplinary and inter institutional collaboration in teaching and research
- v. Engagement with Industry and relevant social sectors
- vi. Change in regulatory and governance structures of institutional system in a way that promotes research, innovation, creativity with incentives
- vii. Content design and development and curriculum reform focused on innovations and creativity
- viii. Faculty development and enrichment.
- ix. Reforms in assessment and certification methods
- x. Knowledge up-gradation for effective teaching and research
- xi. Seminars and Workshops for some specialized emerging trends of advanced learning

**5. Scope of the RCCBs and HRDCs**

The **RCCBs and HRDCs** will cater to the needs of teachers and academic administrators of the colleges/universities as decided by the UGC from time to time.

**6. Posting on Website**

Every RCCB and HRDCs will have its own website and all the necessary information may be posted/up dated regularly. The UGC website will provide a link for the RCCB/HRDC websites.

## **7. Record Keeping**

In order to make an Orientation / First Level Programmes /Refresher Second level Programmes optimally effective, the RCCBs and HRDCs will maintain a systematic record of all the participants, their achievement, their professional growth and change in their capabilities as teachers.

Each RCCB and HRDCs may ensure maintenance of a course-wise systematic record of resource persons, participants, and year-wise and subject-wise list of courses conducted. Also, each RCCB and HRDC will maintain a proper record of the reading material produced, and keep copies of such material in their respective libraries/websites.

## **8. Eligibility, Target Group and Duration**

Teachers working in universities and colleges that are included under Section 2(f) of the UGC Act, even though they may not yet be fit to be included under Section 12 (B), may be invited to participate in the Orientation Programmes and Refresher Programmes. The teachers of colleges that do not yet come within the purview of Section 12(B), but have been affiliated to a university for at least two years, will be permitted to participate in the programmes/courses. However, they won't be paid TA/DA and other allowances for attending these courses.

For the Orientation Programmes, newly appointed Assistant Professors within two years of continuous service and all those teachers who require orientation for getting a higher grade will be allowed. Attendance in Orientation programmes would be must for placement in the higher grade pay.

For the Refresher Courses, participation in the Orientation Programme is a prerequisite for admission. However, in exceptional cases a teacher may be allowed to complete a Refresher Course prior to completion of an Orientation Programme. Also, there should be a minimum gap of one year between two courses, though it may be relaxed if adequate number of participants is not available or it is essential for the teacher to fulfill eligibility conditions for career advancement.

The Orientation Programme will be of four weeks duration, with minimum of 24 working days (excluding Sundays) and 144 contact hours (six hours a day). The refresher course will be of three weeks duration, with minimum of 18 working days (excluding Sundays) and 108 contact hours (six hours a day). If a participant fails to complete the requisite contact hours in a programme, he may be permitted to make up for the backlog hours at his/her own cost in another programme by the RCCB and HRDCs concerned.

Part time/ Ad hoc/temporary/contract teachers who have been teaching for at least three academic sessions in an institution which has been affiliated to a University for at least two years may be permitted to participate in the Orientation Programme/ Refresher Course to enhance their skills.

Universities and colleges must allow interested teachers to attend UGC -RCCB and HRDCs programmes based on their eligibility otherwise valid reasons will have to be intimated to the teacher concerned in writing.

**9. Permission to attend Refresher Courses during the period of the Teacher's Fellowship**

Teachers' fellowships as well as Refresher Courses/Orientation Programmes are meant for professional development. A teacher interested in attending Refresher Courses (as per the requirements of career advancement) during the period of fellowship should not be denied the opportunity as it supplements his/her professional development. Therefore, the UGC has decided to permit the teacher fellows to attend a Refresher Course provided:

- i. He/she surrenders living expenses for the period he/she is attending the Refresher Course, and agrees to submit to the RCCB and HRDCs an undertaking to this effect through the concerned research centre before joining the course.
- ii. He/she attends the Refresher Course in the subject that is relevant to his/her research.
- iii. No extension in the teacher fellowship is sought on these grounds.

**10. Financial Assistance from the UGC for RCCBs and HRDCs**

The UGC will provide 100 per cent financial assistance to the RCCBs and HRDCs. The working of the RCCBs and HRDCs shall be reviewed from time to time to continue the assistance. The following financial assistance will be provided to each RCCB and HRDC as per norms (Annexure IX).

**Core Assistance:**

|     |                      | RCCB   | HRDC                              |
|-----|----------------------|--|-----------------------------------|
| I   | Salary               | On actual basis.   | On actual basis.                  |
| II  | Library Expenditure* | Rs. 10.00 Lakh per annum.  | Rs. 3.00 Lakh per annum.          |
| III | Equipment**          | Rs. 15.00 lakh per annum.  | Rs. 5.00 lakh per annum.          |
| IV  | Working expenses     | Rs. 10.00 lakh lump sum per annum including creation of e-content. | Rs. 7.50 lakh lump sum per annum. |

\*Library expenditure includes Books, journals, periodicals, encyclopedia, newspapers, audio-visual resources, e-resources, etc.

\*\*Out of Rs.15.00 lakhs, a sum of Rs.10.00 lakhs shall purely be used for creating repository of e-lectures which should be made available on website for use of other RCCBs and HRDCs.

In addition, Rs. 30,000/- for each RC in non-science subjects, Rs.40,000/- for each RC in science subjects and Rs. 30,000/ - for each Orientation Programme will be provided as

additional working expenses.

Notwithstanding other provisions of these guidelines, the working expenses will cover expenditure on postage, stationery, printing, transport, secretarial services, purchase of chemicals, small items of equipment, TA/DA, honorarium and hospitality to members of the Advisory Committee, functions/ceremonies (hospitality, mementoes/ memorabilia, miscellaneous items, etc.), paper setting, evaluation of scripts/project reports, engagement of temporary administrative/ supporting staff (on contractual basis/daily wages/part time basis), etc. Working expenses may also be utilized for transport, maintenance, TA/DA of core faculty and consumables. Thirty per cent of working expenses may be utilized for engagement of temporary staff.

The University Grants Commission will provide assistance for renovation and furnishing, which may be met within the provision of working expenses.

The Commission will provide financial assistance on the pattern of Orientation Programme for conducting seminar/ workshop for academic administrators including Principals of Colleges and Group 'A' UGC officers.

RCCBs and HRDCs may also conduct about 3 days professional development programme for non-academic Group 'B' and 'C' staff including UGC Staff.

The Commission will provide financial assistance up to Rs.1,00,000/- per programme (or actual expenditure, whichever is less) for these programmes/seminars/workshops. The expenditure may be booked under participant cost.

The audit of RCCB and HRDC accounts has to be done by an agency to be decided by the RPPMC/LPPMC.

## **11. Participant Cost**

**11.1** The following items are covered under participant cost:

- i. TA/DA to outstation participants and hospitality to local participants
- ii. TA/DA and honorarium to resource persons
- iii. Reading material
- iv. Additional working expenses
- v. Honorarium to course coordinator.

## **11.2 Local participants :**

Rs 300/- per working day per participant will be paid to the RCCB and HRDCs for providing hospitality. In case a local participant does not avail the facility of hospitality by the RCCB and HRDCs, he/she will be paid Rs. 300/- per working day.

### 11.3 TA/DA/incidental charges to Outstation participants:

Teacher participants may be paid upto a limit of A/C III railway fare (all trains) or A/C deluxe bus fare on production of tickets.

Outstation participants may be provided free boarding and lodging by the University. To cover the cost of their boarding/ lodging, the Commission will pay the University on reimbursement basis Rs. 500/- per day for outstation participant for 'A' class cities, Rs. 400/- per day for other places. In case only free lodging is provided, DA will be allowed at 75 percent of the ordinary rate of daily allowance. The allowance will be used purely for the purpose of giving boarding/lodging to the participants.

In case the outstation participant does not avail the facility for boarding/lodging, he/she will be paid Rs.300/- per day.

### 11.4 Reading material:

Up to Rs.500/- per participant in the form of books/compilations in the form of printed published work or in electronic format.

### 11.5 Resource persons:

Outstation resource persons may be paid TA/DA as per the norms given in Annexure- X. Honorarium to outstation/local resource person may be paid @ Rs 1500/- per person per session of 90 minutes subject to advanced submission of the full content or at least detailed abstract along with a ppt. Only two lectures per day will be allowed by a single resource person. This will be subject to a maximum of Rs.6,000/- per course. Outstation resource persons may be invited only once in a programme. Local resource persons may be paid upto @ Rs. 500/- as actual conveyance charges each way.

### 11.6 Course Coordinator:

The University may appoint, if required, one coordinator in case of Refresher Course only. A lump sum honorarium of Rs.6,000/- will be admissible to the Coordinator. However, in special circumstances, more than one coordinator may be appointed. The Honorarium amount will be equally shared by them.

The coordinators will not be entitled to draw honorarium for taking classes in the same course.

In case of Orientation Programme, Director may appoint one of the academic staff members as Coordinator of the programme. He/she will not be entitled for any honorarium.

## **12. Re-Appropriation of Funds:**

Re-appropriation of funds from one approved budget head to another is not permissible. The RCCB and HRDC may incur the expenditure strictly in accordance with the norms. Any expenditure that is not in conformity with the UGC norms will not be approved for grants-in-aid purpose and the university will have to meet such irregular expenditure from its own sources. In case there is any doubt on any matter connected with the organisation of a programme, a reference may please be made to the Commission for necessary clarifications before incurring any expenditure on an item not covered by the norms prescribed by the Commission for this purpose.

## **13. Procedure for Applying for the Scheme**

Establishment of a Human Resource Development Centre (HRDC) and Regional Centre for Capacity Building (RCCB) may ordinarily be proposed by a university that fulfils the following conditions:

- i. Availability of resources for and/or experience of organising one or more university leadership programmes or similar programmes.
- ii. Experience of organising summer institutes, workshops, refresher courses, etc.
- iii. Availability of facilities for the production of material and use of teaching aids.

Availability of qualified and sufficient number of resource persons required to run the course. It is presumed that the university would have adequate accommodation for housing 50 to 60 participants plus specialists throughout the year.

Since the Human Resource Development Centre (HRDC) and Regional Centre for Capacity Building (RCCB) are also expected to organise programmes for improving the professional competence of teachers in their area of specialization, the subject competence of the departments of the University may also be taken into account apart from pedagogy in identifying universities for the location of the RCCBs and HRDCs.

## **14. Procedure for the Approval by the UGC**

The establishment of RCCBs and HRDCs will be decided by the Commission on the recommendation of the UGC expert committee. The existing Academic Staff Colleges will be re-designated as HRDCs. Out of the existing HRDCs, a few would be upgraded as RCCBs on merit basis and on a transparent criterion.

## **15. Procedure for Release of Grants by the UGC**

The financial year for the Human Resource Development Centre (HRDC) and Regional Centre for Capacity Building (RCCB) will be from 1<sup>st</sup> April to 31<sup>st</sup> March.

Initially, a lump sum grant as approved by the Commission will be released to an RCCB/HRDC.

Further release of grant will be made to the RCCB and HRDC as soon as 75 per cent of the previous grant is utilised and the utilization certificates are submitted to UGC.

A statement of expenditure must be provided as per Annexures I to VIII to the UGC.

For final settlement of accounts, RCCBs and HRDCs should take measures to get their accounts audited by accredited Chartered Accountants.

**16. Procedure for Monitoring the Progress of the Scheme**

Monitoring, evaluation and quality assurance of RCCB and HRDCs programmes will be done from time to time by the Commission through Standing Committee/Expert Committee. Each RCCB and HRDC will submit Annual Progress Reports to the UGC as per format given in Annexure-XIV.

**17. Evaluation of Participants**

When possible, experts, preferably external, may be asked to assess the participants on the basis of multiple-choice objective tests, and give grades to participants, taking also into account other evaluations already done. The grading should be as follows:

- i. A: 75 per cent and above
- ii. B: 60 per cent to less than 75 per cent
- iii. C: 50 per cent to less than 60 per cent
- iv. D: Below 50 per cent

Those teacher participants who get Grade D are required to repeat the programme after a gap of one year without financial commitment to the UGC-RCCB and HRDC.

The total marks are to be fixed at 100 and the same is distributed in the following manner:

|  |    |
|--|----|
| I. Multiple-choice objective tests                                   | 30 |
| II. Seminars/participant presentation                                | 15 |
| III. Project/survey/others   | 20 |
| IV. Micro-teaching/participation                                     | 10 |
| V. Holistic response   | 25 |
| (punctuality, regularity, initiative, conduct, responsiveness, etc.) |    |

The above distribution may be adjusted to meet specific requirements.

The certificate issued to the teacher participant will only be valid if supported by the Grade based on the evaluation made during the programme.

## **18. Provision of Guest House in RCCB and HRDC**

The RCCB and HRDC will use the Guest House facilities available in the University. In case where there is no Guest House of the University, the RCCB and HRDC may send a detailed proposal with full justification to UGC which will be considered on individual basis depending upon the performance and requirement of the Centre. The UGC would provide grant to RCCBs and HRDCs for constructing 50 seater RCCB and HRDC Guest House with the UGC ceiling limited to Rs.1.5 crore during XII plan which includes the following:

- (i) 25 to 30 rooms for participants with attached toilet/bathroom
- (ii) 5 rooms with attached toilet/bathroom for Resource Persons, Experts, Eminent Scholars who visit RCCB and HRDC in connection with its activities
- (iii) One dining room
- (iv) One kitchen
- (v) Recreation room with a small library.

The procedure for applying for the Guest House scheme, procedure for approval, procedure for release of grant and the procedure for monitoring the scheme will more or less be the same as followed in other UGC Building norms with 100% grant. The existing Academic Staff Colleges who have received grants for construction of Guest House earlier will not be eligible to apply again.

A set of certificates is to be submitted in respect of progress and completion of the building work.

## **19. Miscellaneous Provisions**

No candidate will be allowed to attend the orientation/refresher programme if he/she does not attend the inaugural lecture of the said programme.

As this is a contact based programme, no teacher will be allowed to leave during the operation of the programme. However, in case of emergency with the permission of the Director of RCCB and HRDC, the participant can be allowed in exceptional circumstances to attend the similar number of hours in the next programme to complete the course. No certificate is to be issued to any participant unless adequate numbers of hours are completed by the concerned participant.

For students participants, no honorarium/TA/DA to be paid.

UGC has right to suspend the financial assistance to those RCCBs and HRDCs where audited reports are not received by the UGC by the end of June of following financial year or the performance is not satisfactory.

The number of participants for each course/programme should not be less than 30 failing



which course /programme will be considered as non-functional. Minimum number of participants has been fixed to ensure that participant cost is reduced and objectives of ASC are achieved in efficient manner. To avoid duplicacy of courses and reduce per participant cost, it has been decided to introduce Cluster Scheme for all HRDC/RCCB as per Annexure XV. Cluster Scheme will also ensure that same course is not conducted by other HRDC/RCCB under the same domain.

\*\*\*\*\*

*Sharma*



28

# Academic Staff College

## Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

Email:sharmabk07@gmail.com, Cell- 09406030873



No. 269 /ASC/15.

Dated, May 23, 2015.

To,  
The Secretary,  
University Grants Commission,  
Bahadur Shah Jafar Marg  
New Delhi- 110002.

*ORCA /*  
*35/05/15*

Subject- Designation change of ASC faculty.

Ref- Academic Advisory Committee meeting dated April 4, 2015.

Dear Sir,

Under the reference mentioned above this is to submit before you that-

1. This ASC was duly sanctioned by the UGC along with basic infrastructure in the year 2006.
2. Said infrastructure included 3 faculty post named as Professor- one, Reader- one & Lecture one.
3. Said faculty posts were advertized and two persons are already appointed u/s 49(2) of our University Act and are confirmed consequently. These three faculty posts carry due approval and commitment of the State Government. However, the post of Director/ Professor is still lying vacant.
4. Now the revised guidelines of UGC applicable from Feb.2015 in all ASC in the country have directed to change the designation of Lecturer / Assistant Professor to Assistant Director and the Reader to Dy. Director subsequently.
5. As the faculty working here were appointed in the name of Assistant Professor, the Academic Advisory Committee in its meeting of April 4, 2015 while adopting the revised guidelines felt to seek advice from UGC reminding that earlier they were appointed on teaching post.

You are therefore requested to through light upon this issue and allow us to retain the use of the same nomenclature and oblige.

Yours sincerely

(B.K.Sharma)

Director I/C

*23/5/15*

*2586*  
*26.5.15*

Copy to- The Registrar, Pt.Ravishankar Shukla University,Raipur.

Pt. Ravishankar Shukla University  
Raipur-492019



Handwritten notes: "H.M.S. 1 - 2", "Speed Post", and a circled number "29".

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**  
**35, FERZESHAH ROAD**  
**NEW DELHI - 110 001**

No. F. 28-10/2012 (ASC)

March, 2015

The Director  
Human Resource Development Centre  
Pt. Ravishankar Shukla University  
**Raipur-492 010 (CG)**

**23 MAR 2016**

Subject: - **Academy Advisory Committee-reg.**

Sir,

With reference to your letter No.269/ASC/2015 dated 14.03.2016 on the subject cited above, I am directed to inform you that as per XII plan guidelines of HRDC under point no.3.2.2 (a) **(Structure of RCCBs and HRDCs (Staffing norms/patterns))** may be reads as under:-

**(a) Academic Staff**

1. Director (in the pay scale of Professor): 1
2. Deputy Director (in the pay scale of Deputy Director (Physical Edn) : 1
3. Assistant Director (in the pay scale of Assistant Director (Physical Edn): 1

Yours faithfully,

**(Kanta Kumari)**  
Deputy Secretary




Handwritten notes: "CA", "Ne", and "28/3/16".



कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु टीप

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20.09.2018 में छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में संशोधन कर "संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए प्रसूति अवकाश (संवैतनिक) अनुज्ञेय होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा।"

छ.ग. राजपत्र दिनांक 20.09.2018 के अनुसार विश्वविद्यालयीन शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संविदा महिला कर्मचारियों को 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति जो भी पहले हो के लिये प्रसूति अवकाश (संवैतनिक) एवं शैक्षणिक संविदा महिला कर्मचारियों के लिये विश्वविद्यालय विनियम 122 के कंडिका 8 के उप कंडिका (ड) के पश्चात् कंडिका (ढ) निर्मित कर 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति जो भी पहले हो के लिये प्रसूति अवकाश (संवैतनिक) जोड़े जाने के संबंध में कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

  
Deputy Registrar (Admn.)  
P. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C. G.)

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, अटल नगर,  
जिला-रायपुर

(31)

क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3,

अटल नगर, दिनांक 25/10/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत  
छत्तीसगढ़.

विषय:- राज्य शासन की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में संशोधन।

---

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 13 में संशोधन किया गया है। संशोधन के संबंध में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(एम.आर. ठाकुर)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3,

अटल नगर, दिनांक 25/10/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ अटल नगर, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
3. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग.।
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।

7. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्प संख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/लोक आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़।
8. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर, छ.ग.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर, छ.ग.
10. विशेष सहायक/निज सहायक समस्त मान. मंत्रीगण, अटल नगर, रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली।
12. संचालक, जनसंपर्क, अटल नगर, रायपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
13. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
14. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
15. अवर सचिव(स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट [www.cg.nic.in/gadonline](http://www.cg.nic.in/gadonline) में अपलोड करने हेतु।

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

## छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 29, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2018

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं. अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

13. अवकाश की पात्रता. — (1) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवोन्मुक्त होने पर, आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जायेगी।
- स्पष्टीकरण — गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जायेगा तथा विश्रामावकाश विभागों के लिये कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जायेगा।
- (2) संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रसूति अवकाश (संवैतनिक) अनुज्ञेय होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3 दिनांक 19-09-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th September 2018

## NOTIFICATION

No. F 9-1/2012 /1-3. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012, namely :-

## AMENDMENT

In the said rules,

For rule 13, the following shall be substituted, namely :-

- "13. Eligibility for leave.- (1) Employee appointed on contract shall be entitled for 18 days casual leave and 3 days optional leave in each calendar year, and in the case of appointment in the middle of the year, or on discharge of his service, calculation of eligibility for casual leave shall be made on proportional basis for full completed months.

Explanation - Incomplete day shall be adjusted/rounded off with the next full day for computation and for Vacation Department calendar year means actual service of 12 months.

- (2) Maternity leave (with Salary) to the female employees, employed on contract, shall be admissible up to 180 days or the expiry of period of contract whichever is earlier. This leave shall not be admissible for the delivery after two living issues."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
RICHHA SHARMA, Principal Secretary.





क्रमांक : 1549 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक : 23 / 06 / 2016

35

## ॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 में लिये गए निर्णय क्रमांक 6 में भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2016 के अनुसार शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये संशोधित/पुनरीक्षित विनियम 122 का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 में किया गया है, अधिसूचित किया जाता है, जो निम्नांकित है :-

### विनियम क्रमांक-122

(E.C. 06-06-2016)

### शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति विनियम 2016

विश्वविद्यालय की राय में यह आवश्यक हो गया है कि-

1. विश्वविद्यालय के शिक्षकीय प्रवर्ग में, कतिपय रिक्तियां अल्प समय के लिये भरी जाएं।
2. अतः विश्वविद्यालय के शिक्षकीय संवर्ग को संविदा के आधार पर विनिर्दिष्ट कालवधि के लिये नियुक्त किया जाए।
3. अतएव भारत के छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा- 40 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए कार्यपरिषद् एतद् द्वारा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के अधीन सेवा के शिक्षकीय प्रवर्ग को संविदा आधार पर भर्ती से संबंधित विनियम बनाते हैं।

नियम

#### 1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा नाम

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय संविदा नियुक्ति शैक्षणिक विनियम 2016
- (2) तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ये विनियम संविदा सेवा पर लिए गए शिक्षकों को लागू होंगे।
- (3) यह विनियम कार्यपरिषद् में पारित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषाएँ

इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

- (क) समस्त पदों के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" विश्वविद्यालय का कुलपति होगा।
- (ख) विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है "पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर"।

#### 3. सूक्ष्म जांच/चयन समिति

सूक्ष्म जांच/चयन समिति निम्नानुसार होगी-

- (क) संकायाध्यक्ष
- (ख) संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष

अध्यक्ष

सदस्य

- (ग) कुलपति जी द्वारा मनोनित संबंधित विषय का वरिष्ठ शिक्षक अथवा जहां नियमित शिक्षक उपलब्ध न हो किसी अन्य विषय का शिक्षक सदस्य
- (घ) सूक्ष्म जांच/चयन समिति में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि नहीं होने की स्थिति में इस वर्ग में से एक सदस्य कुलपति जी द्वारा मनोनित सदस्य
- (ङ.) उपरोक्त समिति में चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में एक विषय विशेषज्ञ कुलपति द्वारा मनोनित किए जायेंगे। सदस्य

#### 4. पारिश्रमिक

संविदा पर कार्यरत व्यक्ति को प्रतिमाह पारिश्रमिक राज्यशासन के नियमानुसार देय होगा।

#### 5. नियुक्ति का तरीका

- (1) समस्त नियुक्तियों, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, सूक्ष्म जांच समिति द्वारा तैयार किए गए मेरिट आधार पर की जायेगी।
- (2) समिति शिक्षकों, के लिए अभ्यर्थी को दिए गए मेरिट अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में एक मेरिट सूची बनायेगी।
- (3) मेरिट लिस्ट बनाने के लिये अधिकतम 100 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदण्ड निम्नानुसार होगा-

|                                     |    |   |     |
|-------------------------------------|----|---|-----|
| (i) 12 <sup>th</sup>                | 10 | (ix) Projects   | 5   |
| (ii) Under Graduate                 | 10 | (x) M.Phil/ Ph.D. Supervised  | 5   |
| (iii) Post Graduate                 | 10 | (xi) Conf./Seminar/Symp./Workshop /attended in India                      | 5   |
| (iv) NET/SLET                       | 10 | (xii) Conf./Seminar/Symp./Workshop attended abroad/ Foreign visits as PDF | 5   |
| (v) M.Phil                          | 5  | (xiii) Research Papers/Books  | 10  |
| (vi) Ph.D.                          | 10 | (xiv) Quality of publication  | 5   |
| (vii) Any Recognised award          | 5  | (xv) Sub-Total  | 100 |
| (viii) Teaching/Research Experience | 5  |   |     |

टीप- उपरोक्त 100 अंकों में से प्राप्त अंकों का मेरिट की गणना हेतु निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा-

|   |     |
|---|-----|
| (a) Academic Record & Research Performance            | 50  |
| (b) Assessment of Domain Knowledge & Teaching Skill ☆ | 30  |
| (c) Interview Performance                             | 20  |
| Total-  | 100 |

☆ सामान्यतः संबंधित विषय पर Presentation के द्वारा एवं आवश्यकता होने पर परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।

- (4) (क) संविदा नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जायेगी।  
(अ) विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर

- (व) संबंधित विषय के विभागीय सूचना पटल पर प्रतियां प्रदर्शित कर, आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।
- (ख) प्राप्त समस्त आवेदन पत्र की प्रविष्टियां एक पृथक रजिस्टर में की जाएगी। रजिस्टर के अंतिम प्रविष्टी के नीचे कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर कर प्रमाणित करेंगे कि उस विषय में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

#### 6. समयावधि

संविदा आधार पर लिए गए सेवा की समयावधि सामान्यतः एक अकादमिक सत्र के लिए होगी। मूल संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, पुनः संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी। नियमित नियुक्तियों के तहत यदि संविदा पद पर कार्यरत व्यक्ति के पद पर नियुक्ति की जाती है तो संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जाएगी।

#### 7. शैक्षणिक अर्हता

अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यताएं निम्न में से कम न हो

- अ. स्नातक स्तर पर कम से कम 50% अंक
- ब. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55% अंक


#### 8. अन्य शर्तें

- (क) इन विनियमों के अधीन कोई भी नियुक्ति, संबंधित प्रवर्ग या उससे उच्च प्रवर्ग में रिक्त पद के विरुद्ध ही की जायेगी।
- (ख) इन विनियमों के अधीन शिक्षकीय पदों पर नियुक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियमों द्वारा भाषित होगी। इस प्रयोजन के लिए रोस्टर विश्वविद्यालय स्तर पर रखा जायेगा।
- (ग) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।
- (घ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति परिनियम 31 सहपठित छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 द्वारा शासित होगा।
- (ङ) इन विनियमों के अधीन सेवाओं का पर्यावसान, पदावधि के अवसान के पूर्व किसी भी ओर से एक माह की सूचना या उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर किसी भी समय किया जा सकेगा।
- (च) इन विनियमों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति किसी व्यक्ति को महंगाई भत्ता, गृहभत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- (छ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता का अधिकार होगा।
- (ज) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में अनुपातिक आकस्मिक अवकाश तथा ऐच्छिक छुट्टियों का हकदार होगा, किन्तु किसी भी प्रकार के अन्य अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा।
- (झ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति का शासकीय अथवा अन्य सेवा हेतु आवेदन पत्र को अग्रेषित नहीं किया जायेगा, आवेदक को सीधे आवेदन पत्र देने की छूट होगी।
- (ट) इन नियमों के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति की स्थिति में अनुपातिक पारिश्रमिक की कटौती की जाएगी।

- (ट) इन विनियमों के अंहीन नियुक्त ब्यक्ति को कुलपति तथा विभागाध्यक्ष के द्वारा निर्देशानुसार, कार्य पूर्ण करने होंगे।
- (ड) सेवा की कोई अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसा कि नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये।

9. आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में संविदा निष्पादन के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

आदेशानुसार,


  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 1550 /अका./2016

रायपुर, दिनांक: 23/06/2016

प्रतिलिपि :


1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
3. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)

// कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु टीप //

39

महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक 492/एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार अटल नगर, दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के द्वारा महिला कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष के कम उम्र के दो ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन पोषण हेतु संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

  
उपकुलसचिव (प्रशा.)  
N. Sahu

## छत्तीसगढ़ शासन

## वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

क्र. 492/एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़

विषय :- राज्य शासन की महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश लागू करने हेतु अवकाश नियम में संशोधन

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि महिला शासकीय कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष से कम उम्र के 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन-पोषण हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। उक्त अवकाश के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे -

- (1) यह अवकाश एक कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी एक अवसर हेतु अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जबकि न्यूनतम सीमा 5 दिन की होगी।
- (3) स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जावेगी। उक्त अवकाश हेतु तीन सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु तीन सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी।
- (4) संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन अवकाश नियम, 2010 के प्रपत्र-1अ में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (5) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा अवकाश नियम के अंतर्गत लागू किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
- (6) अवकाश अवधि के लिए अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व लागू दर से अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
- (7) संतान पालन अवकाश के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आवेदक को आवेदन पत्र के कालम-10 पर आवेदित अवकाश का स्पष्ट कारण अंकित करना होगा। यह अवकाश बच्चे के पालन-पोषण अथवा उसके विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कि परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।


- (8) संतान पालन अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा, किन्तु सामान्यतः कार्यालय का सुचारु संचालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में विधिवत अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् ही महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा।
- (9) अवकाश के पहले या बाद में पड़ने वाले राजपत्रित या साप्ताहिक अवकाश स्वयमेव अवकाश के साथ संयोजित माने जावेंगे तथा अवकाश अवधि में पड़ने वाले ऐसे अवकाश संतान पालन अवकाश की गणना में शामिल किये जाएंगे।
- (10) संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा शेष प्रत्यायोजन अर्जित अवकाश के समान होगा।
- (11) संतान पालन अवकाश लेखा का संधारण संलग्न प्रपत्र में किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। ये संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।

संलग्न :-

- (1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन की अधिसूचना
- (2) संतान पालन अवकाश लेखा का प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एस.के. चक्रवर्ती)  
संयुक्त सचिव 4/10/2018

पृ. क्र. 493/एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018  
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, अटल नगर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, अटल नगर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, अटल नगर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, अटल नगर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, अटल नगर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, अटल नगर
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

  
(पूजा शुक्ला)  
अवर सचिव



संतान पालन अवकाश खाता का प्रपत्र

| संतान पालन अवकाश की ली गई अवधि |       | संतान पालन अवकाश का शेष |        | प्रमाणितकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम |
|--------------------------------|-------|-------------------------|--------|--|
| कब से                          | कब तक | शेष                     | दिनांक |  |
| (1)                            | (2)   | (3)                     | (4)    | (5)  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |
|                                |       |                         |        |  |

*ang*

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

अधिसूचना

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018

क्रमांक एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं जो कि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में:-

1. नियम 13 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(1) संतान पालन अवकाश को छोड़कर, अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन, प्रपत्र-1 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा संतान पालन अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन, प्रपत्र-1अ में, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये।”
2. नियम 38-ख के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“38-ग. संतान पालन अवकाश- (1) इस नियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

  - (2) अधिकार के रूप में अवकाश का दावा नहीं किया जा सकेगा।
  - (3) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, “संतान” से अभिप्रेत है,-
    - (क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए); या

(ख) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली संतान (आयु सीमा का कोई बंधन नहीं)।

(4) उप-नियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जायेगी, अर्थात्:-

(क) यह एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि स्वीकृत किये गये अवकाश की कालावधि, आगामी कैलेण्डर वर्ष में भी जारी रहती है तो बारी की गणना ऐसे वर्ष में की जायेगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किये गये अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेण्डर वर्ष से अभिप्रेत है वर्ष के 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि।

(ख) यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि, उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(5) संतान पालन अवकाश की अवधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।

(6) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

(7) इस अवकाश का खाता, पृथक से संधारित किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाएगी।”

3. प्रपत्र 1 के पश्चात्, निम्नानुसार जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“प्रपत्र-1अ  
( नियम 13 देखिये)

संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम .....
2. पदनाम .....
3. विभाग/कार्यालय/अनुभाग .....
4. संतान का नाम जिसके लिए संतान पालन  
अवकाश का आवेदन किया जा रहा है .....
5. संतान की जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें) .....
6. संतान के 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि .....
7. क्या संतान दो बड़े बच्चों में शामिल है हां/नही
8. खाते में शेष अर्जित अवकाश (आवेदन की तिथि  
पर) .....
9. अवकाश की अवधि— दिन .....से.....तक  
पूर्वयोजित/अनुयोजित अवकाश, यदि कोई हो .....
10. आवेदित अवकाश का/के कारण .....
11. आवेदन की तिथि तक उपभोग की गई कुल संतान  
पालन अवकाश .....
12. (क) क्या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी गई हां/नहीं  
है  
(ख) यदि हां, तो अवकाश अवधि के दौरान पता .....
13. पिछले अवकाश से लौटने की तिथि, उस अवकाश  
की प्रकृति एवं अवधि .....

दिनांक : .....

आवेदक का हस्ताक्षर.....

कर्मचारी कोड संख्या .....

47

नियंत्रक अधिकारी की अभियुक्तियां

अवकाश अनुमोदित किया जाता है/ नहीं किया जाता है

दिनांक : .....

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

कार्यालय .....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(एस.के. चक्रवर्ती) 4/10/2018  
संयुक्त सचिव

48

Government of Chhattisgarh  
Finance Department  
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar

**NOTIFICATION**

Atal Nagar, Dated 4th October, 2018

No. F 2014-71-00183/Finance/Rules/IV:: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

**AMENDMENT**

In the said rules,-

1. For sub-rule (1) of Rules 13, the following shall be substituted, namely:-  
"(1)An application for leave or for an extension of leave except for Child Care Leave must be made in FORM-1 and application for an extension for Child Care Leave must be made in FORM-1A, to the Competent Authority to grant such leave or extension."
2. After rule 38-B, the following shall be added, namely:-  
**"38-C. Child Care Leave-** (1) Subject to the provisions of this rule, a woman Government servant may be granted child care leave by the Competent Authority for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children.  
(2) The leave cannot be claimed as a matter of right.  
(3) For the purposes of sub-rule (1), "Child" means,-  
(a) a child below the age of eighteen years (including legally adopted child); or

(b) a child with a minimum disability of forty percent (without any age limit) as specified in Notification No. 16-18/97-N 1.1 dated the 1st June, 2001, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment.

(4) Grant of child care leave to a woman Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year. If the period of leave sanctioned also continues into the next calendar year then the spell shall be counted in such year in which the leave was applied or in which major part of the leave applied falls. Calendar year means the period commencing from 1st January to 31st December of the year.

(b) Ordinarily, it shall not be sanctioned during the probation period. However, in special circumstances if the leave is sanctioned during the probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted.

(5) During the period of child care leave, the woman Government servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(6) Child care leave shall not be debited against the leave account and this leave may be combined with any other kind of leave.

(7) The account of this leave shall be maintained separately and entry shall be made in the service book of the concerned women Government servant."

3. After FORM-1, the following shall be added, namely:-

16

**"FORM-1A**

(See rule 13)

**APPLICATION FOR CHILD CARE LEAVE**

- 1. Name of the Applicant .....
- 2. Designation .....
- 3. Department/Office/Section .....
- 4. Name of Child for whom Child Care leave is applied for .....
- 5. Date of Birth of the Child (Attach birth certificate) .....
- 6. Date on which child will be attaining 18 years .....
- 7. Is the child among the two eldest Children Yes/No
- 8. EL in credit (as on date of application) .....
- 9. Period of Leave Days From.....To.....  
Prefix/Suffix of holiday, if any .....
- 10. Reason (s) for leave applied for .....
- 11. Total Child Care Leave availed till date .....
- 12. (a) Whether permission to leave headquarters is requested Yes/No
- (b) if yes, Address during leave period .....
- .....
- .....
- .....
- 13. Date of return from last leave, nature and period of that leave .....

Date.....

Signature of applicant .....

Employee Code No.....



**Remarks of Controlling Officer**

51

Leave Recommended/Leave Not Recommended

Date: .....

Signature .....

Designation .....

Office.....

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh



(S.K. Chakraborty)

Joint Secretary

4/10/2018-



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,  
रायपुर (छ.ग.)

52

माननीय कार्यपरिषद् की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालयीन टीप



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एन.सी.एन.आर. में पोस्ट डॉक्टरल फेलो पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व में संविदा सहायक प्राध्यापकों के लिये निर्धारित संविदा वेतन 29400/- पर पद विज्ञापित किया गया था। विज्ञापन एवं चयन समिति के अनुशंसा अनुसार डॉ. रविशंकर चौहान की नियुक्ति पोस्ट डॉक्टरल फेलो के पद पर निश्चित संविदा वेतन 29,400/- में की गयी है।

पूर्व में संविदा सहायक प्राध्यापकों को संविदा वेतन 29400/- स्वीकृत था।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 328/एल-2015/71-00338/वि/नि/चार दिनांक 24.07.2017 के द्वारा विभिन्न पदों के लिये संविदा वेतन निर्धारित किया गया है, जिसे कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2018 में अंगीकृत किया गया है। तदनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4032/स्था./सा.प्रशा./2018 दिनांक 29.11.2018 के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें संविदा सहायक प्राध्यापकों के लिये 36465/- एकमुश्त मासिक संविदा वेतन स्वीकृत किया गया है।

चूंकि पूर्व में संविदा सहायक प्राध्यापकों एवं पोस्ट डॉक्टरल फेलो को निश्चित संविदा वेतन 29400/- दिया जा रहा था।

अतः संविदा सहायक प्राध्यापकों की तरह पोस्ट डॉक्टरल फेलो के पद पर कार्यरत डॉ. रविशंकर चौहान को भी उनके पदभार ग्रहण तिथि 04.08.2018 से 36465/- एकमुश्त मासिक संविदा वेतन स्वीकृति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

  
Deputy Registrar (Admn.)  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C. G.)  




## कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु टीप

डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.09.2018 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में कृपया सूचित करना है कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.03.2018 के विषय क्रमांक 06 में हुये निर्णयानुसार पुर्नमूल्यांकन प्रकरण पर प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1273/स्था./सा.प्रशा./2018 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के निलंबन को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है।



**छ.ग. मूलभूत नियम 54-B(1)** के अनुसार किसी निलंबित शासकीय सेवक को बहाल किया जाये अथवा इस तरह बहाल हुआ मान लिया गया है, तो बहाली का आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी विचार करेगा और विशिष्ट आदेश करेगा कि:-

- (अ) बहाली तक निलंबित अथवा अधिवार्षिकी आयु पर उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि की अवधि के बारे में, जैसी भी स्थिति हो, शासकीय सेवक को अदा किये जाने वाले वेतन तथा भत्तों के संबंध में, तथा
- (ब) क्या उक्त अवधि कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जावे अथवा नहीं।

**छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के उप नियम 23** के अनुसार किसी शासकीय सेवक द्वारा निलंबन के अधीन बिताये गये समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में तब ही की जाएगी, जहां ऐसी जांच की समाप्ति पर उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया गया हो या निलंबन को पूर्णतः अनुचित ठहराया गया हो, अन्य मामलों में निलंबन की कालावधि की गणना तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उस समय अभिव्यक्त रूप से यह घोषित नहीं कर देता कि इसकी गणना उस सीमा तक की जाएगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी घोषित करें।

डॉ. दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के निलंबन से बहाली आदेश में निलंबन अवधि के वेतन भत्ते एवं निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किया जाना है अथवा नहीं के संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं है।

अतः डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किया जाना है अथवा नहीं के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

  
Deputy Registrar (Admn.)  
P. Ravishanker Shukla University  
RAIPUR (C. G.)  


पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)  
कार्यपरिषद के समक्ष रखने हेतु संक्षेपिका


54

विषय : तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए विकल्प परिवर्तन हेतु अंतिम अवसर।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1358/एल 2018-71-00036/वि/नि./चार, दिनांक 27.07.2018 के अनुसार राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु विकल्प परिवर्तन करने 20 सितम्बर 2018 तक अंतिम अवसर इस शर्त पर दी जाए कि 30 सितम्बर 2018 के उपरांत विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

राज्य शासन के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से 30 सितम्बर 2018 तक विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन मंगाए गए।

अतः 30 सितम्बर 2018 तक प्राप्त विकल्प पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता विकल्प परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

  
Deputy Registrar (Admn.)  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
RAIPUR, (C.G.)



35

वित्त निर्देश 39/2018

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 358/एल 2018-71-00036/वि/नि/चार  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 27.7.2018

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़

विषय:- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 210/277/वित्त/नियम/चार/2008,  
दिनांक 1.10.2008  
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 119/217/11/वित्त/नियम/चार,  
दिनांक 29.4.2011  
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 213/एफ-1000903/12/वित्त/नियम/चार,  
दिनांक 13.7.2012  
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 524/एफ-2013-21-00192/वि/नि/चार,  
दिनांक 20.12.2013  
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 145/एफ-2015-21-00650/वि/नि/चार,  
दिनांक 14.5.2015


वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 14 मई, 2015 द्वारा राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के एवज में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर विकल्प के आधार पर रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी किया गया है तथा चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक अंतिम अवसर दिया गया था।



2/ विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु विकल्प परिवर्तन के लिए एक और अवसर देने की मांग की जा रही है। राज्य शासन द्वारा प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोन्मुख निर्णय लिया गया है कि राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक एक अंतिम अवसर इस शर्त पर दी जाए कि दिनांक 30 सितम्बर, 2018 के उपरान्त विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासकीय विभागों द्वारा भी ऐसे प्रस्ताव वित्त विभाग को विचारार्थ नहीं भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

3/ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित विकल्प के आधार पर केवल विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् उद्भूत स्वत्वों का ही निराकरण किया जाएगा, उसके पूर्व की अवधि के दावे जो कभी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हों, पूर्व विकल्प के आधार पर ही निराकृत होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एस.के. चक्रवर्ती) 22/02/2018.  
संयुक्त सचिव

(57)

पृ.क्र. 359/एल 2018-71-00036/वि/नि/चार

नया रायपुर, दिनांक 27.7.2018

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर  
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

संयुक्त सचिव

## कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका


**विषय :-** विश्वविद्यालय परिसर में संचालित इंडियन कॉफी हाऊस के मासिक किराया(मेन्टेनेन्स चार्ज) में 50 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने बाबत।

विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर स्थित यूटीलिटी भवन के भूतल में इंडियन कॉफी हाऊस संचालित है। इंडियन कॉफी हाऊस के संचालन के लिए विश्वविद्यालय एवं इंडियन कॉफी हाऊस, जबलपुर के मध्य दिनांक 14.06.2016 को अनुबंध किया गया तथा दिनांक 15.11.2016 से इंडियन कॉफी हाऊस का संचालन किया गया। इंडियन कॉफी हाऊस को अनुबंध के अनुसार, दिनांक 15.11.2016 से एक वर्ष के लिए भवन किराया मुक्त प्रदाय किया गया था। यह छूट की अवधि दिनांक 15.11.2017 को समाप्त हो चुकी है।

इंडियन कॉफी हाऊस को भवन किराया(मेन्टेनेन्स चार्ज) के रूप में दिनांक 15.11.2017 से रुपये 25371.50 प्रतिमाह की दर से जमा किया जाना था, किन्तु इंडियन कॉफी हाऊस द्वारा दिनांक 07.12.2017 को आवेदन प्रस्तुत करते हुए विश्वविद्यालय इकाई में बिक्री कम होने का कारण दर्शाते हुए दिनांक 15.11.2017 से पुनः आगामी एक वर्ष के लिए किराया मुक्त करने का निवेदन किया गया जिसके प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय द्वारा इंडियन कॉफी हाऊस को सूचित किया गया कि अनुबंध की कंडिका 2 के अनुसार किराया की राशि में छूट प्रदान नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के तारतम्य में इंडियन कॉफी हाऊस, जबलपुर द्वारा हुए पुनः दिनांक 21.12.2018 आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि कमजोर विक्रय एवं भारी नुकसान का कारण प्रतिमाह निर्धारित किराया की राशि 25371.50 रुपये का 50 प्रतिशत अर्थात् 12,685.75 रुपये की दर से दिनांक 15.11.2017 से आज तक जमा करने एवं आगे भी इसी दर पर राशि जमा करने हेतु सहमत है।

अतः इंडियन कॉफी हाऊस के द्वारा उपरोक्त निवेदन के परिप्रेक्ष्य में माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

  
Deputy Registrar (Admin)  
Pt. Ravishankar Shukla Unive. S.Sy.  
RAIFUR, (C.G.)



**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त एवं योजना विभाग**  
**दाऊ कल्याण सिंह भवन**  
**मंत्रालय-रायपुर**

क्रमांक 254/एफ-1000847/वित्त/नियम/चार/12  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 08 अगस्त, 2012

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़ ।

**विषय:-** उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ते का पुनरीक्षण।


**संदर्भ:-** वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक जी-25/10/94/सी/चार, दिनांक 28.12.1994.

----

इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त ज्ञापन को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार समेकित निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. दोहरा कार्य भत्ता उसी स्थिति में देय होगा, जब किसी शासकीय सेवक को अपने कार्य के साथ-साथ अन्य उच्च रिक्त पद का कार्य करने का निर्देश दिया जाये तथा इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित, औपचारिक आदेश जारी किया जाये।
2. दोहरा कार्य भत्ता उच्च पद के 'ग्रेड वेतन' के 20 प्रतिशत के बराबर देय होगा।
3. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने की अवधि 15 दिन से कम होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा। किसी भी प्रकरण में इस भत्ते की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. दोहरा कार्य भत्ता की पात्रता उन प्रकरणों में नहीं होगी, जहां उच्च पद निर्मित होने की तारीख से अथवा 1 वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त हो।
5. दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में जारी किया जायेगा।
6. यह भत्ता पे-बैंड-4 के पदों एवं उससे उच्च पदों पर कार्य निर्वहन करने की स्थिति में देय नहीं होगा।
7. दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे।

2/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे। इन निर्देशों को विशिष्ट शासकीय सेवाओं के प्रकरण में शिथिलीकृत नहीं किया जाएगा, अगर किसी विभागाध्यक्ष या किसी अन्य स्रोत से शिथिलीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो प्रशासकीय विभाग ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं करेंगे।




(एस.के.चकवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/ मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर ।
14. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
15. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर ।
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
 (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी)  
 छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

62

प्रपत्र

उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने के संबंध में विवरण/अनुशांसा/स्वीकृति

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम, पे-बैंड एवं ग्रेड-पे, जिसको दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत किया जाना है ।
2. दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृति की अवधि ।
3. ऊंचे पद का नाम, पे-बैंड और ग्रेड-पे, जिसके पद का कार्य के लिये व्यवस्था की गई है ।
4. उपरोक्त व्यवस्था हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश का क्रमांक एवं दिनांक (कृपया आदेश की प्रति संलग्न करें)

हस्ताक्षर  
सक्षम अधिकारी


## कार्यपरिषद में रखने हेतु संक्षेपिका

विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय का 54वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 के लिए पूर्व वर्षों की भांति विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशाला एवं विभागों से जानकारी मंगाकर समावेश किया गया है। तदपश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन समिति के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया गया।



विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखे जाने हेतु उपलब्ध कराया जाना है।

अतः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

  
Deputy Registrar (Admin.)  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR, (C.G.)

**संक्षेपिका :-**

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दिनांक 22 से 26 फरवरी 2019 में 12<sup>th</sup> South Asian Universities Youth festival (SAUFEST) 2018-19 की मेजबानी विश्वविद्यालय कर रहा है, प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय बजट में कोई भी बजट प्रावधान नहीं है । कार्यक्रम के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय के सामान्य बजट मद से Youth Festival Fund में राशि रुपये 40.00 लाख एवं Student welfare fund में प्रावधानित राशि से रुपये 5.00 लाख एवं शेष राशि की व्यवस्था Sponsorship से की जावेगी । बजट पुनर्विनियोजन एवं डी.पी.आर. अनुसार प्रस्तावित व्यय राशि रुपये 65.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

  
वित्त नियंत्रक  
ध.श.वि.वि. रायपुर (छ.ग.)  


प्रति,

(64)

59

श्रीमान कुल सचिव  
पारिवेशिक शुक्ल अरिब विद्यापीठ  
रायपुर

विषय :- Msc (भौतिक) की डिग्री ~~का~~ निरस्त करने का

अभ्यर्थ, मैं जानकू राम-चेलक पिता बालाराम  
चेलक ग्राम-घोंट का निवासी हूँ। जो कि मेरे  
द्वारा जानकारी के अभाव में सत्र 2013-14 में  
में Bed एवं 2015 में Bed पाल किया उसके  
बाद Msc physics में 2014 जून को एडमिशन  
लिया और Msc का पेपर दिवाने रखा है।

जो कि मुझे जानकारी नहीं था  
कि Bed एवं Msc लगभग एक-ही सत्र में हो  
गयी वकना इसलिए पेपर दिवाने रखा है।

आपके निवेदन  
है कि मेरी Msc physics की डिग्री  
निरस्त करने का कलर करे।

आभार

Deleary

Date  
29/10/2018

आधी  
जानकू राम-चेलक  
पिता-ग्राम-घोंट पो.आ.  
जबगांव 03141.  
राजिम तह. अमरपुर  
जिला-रायपुर  
म- 9139 30 5197



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)  
Pt. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Statement of marks for the examination of

65  
60

M.Sc. PHYSICS (I SEMESTER)

DECEMBER - 2014

ROLL NO. 112557  
ENROLL NO. TT/22707  
MEDIUM ENG.  
STATUS REGULAR

NAME - JANKU RAM CHELAK  
F/H NAME -SHRI LALA RAM CHELAK  
M NAME - SMT. CHAMELI BAI CHELAK



CENTRE - GOVT. COLLEGE, KURUD  
COLLEGE - GOVT. COLLEGE, KURUD

| S U B J E C T S                             | S C H E M E O F M A R K S |     |          |     |     | M A R K S |      |     | O B T A I N E D |            |
|---|---------------------------|-----|----------|-----|-----|-----------|------|-----|-----------------|------------|
|   | I                         | II  | III      | MIN | MAX | I         | II   | III | TOTAL           |            |
|   | EXTERNAL                  |     | INTERNAL |     |     | TOTAL     |      |     |                 |            |
|   | MAX                       | MIN | OBT.     | MAX | MIN | OBT.      | OBT. | CR. | GR.             | DESCR.     |
| 01-MATHEMATICAL PHYSICS                     | 080                       | 016 | 009*     | 020 | 004 | 011       | 020  | 4   | 0               | Dropped/ G |
| 02-CLASSICAL MECHANICS                      | 080                       | 016 | 010*     | 020 | 004 | 012       | 022  | 4   | 0               | Dropped/ G |
| 03-ELECTRODYNAMICS & PLASMA PHYSICS         | 080                       | 016 | 031      | 020 | 004 | 012       | 043  | 4   | 5               | Third/ E   |
| 04-ELECTRONICS                              | 080                       | 016 | 025      | 020 | 004 | 012       | 037  | 4   | 5               | Third/ E   |
| 05-LABORATORY COURSE I-A (GENERAL & OPTICS) | 100                       | 020 | 055      | ... | ... | ...       | 055  | 2   | 6               | Second/ D  |
| 06-LABORATORY COURSE I-B (ELECTRONICS)      | 100                       | 020 | 071      | ... | ... | ...       | 071  | 2   | 8               | First/ B   |

| PERCENTAGE OF MARKS | GRADE PT. | DESCRIPTION     |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 90 and above        | 10        | First/O         |
| 80-89               | 9         | First/A         |
| 70-79               | 8         | First/B         |
| 60-69               | 7         | First/C         |
| 48-59               | 6         | Second/D        |
| 36-47               | 5         | Third/E         |
| 20-35               | 4         | Third/F         |
| Below 20            | -         | Dropped/grace/G |

$$SGPA = \frac{\sum (\text{Credit of the Course} \times \text{Grade Point})}{\text{Total Credits in the Semester}}$$

$$CGPA = \frac{\sum \text{Credit Points of all previous} + \text{current Semester}}{\sum \text{Credits of all previous} + \text{current Semester}}$$

|        |     |       |     |
|--------|-----|-------|-----|
| SGPA - | 600 | TOTAL | 248 |
|--------|-----|-------|-----|

|                       |       |        |       |        |       |        |             |        |        |          |   |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------|----------|---|
| M<br>A<br>R<br>K<br>S | ***** |        | ***** |        | ***** |        | GRAND TOTAL |        | RESULT | DIVISION | % |
|                       | TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL       | OUT OF |        |          |   |
|                       | ***** | *****  | ***** | *****  | 248   | 600    | FAIL        | ATKT   |        |          |   |

MARKS OBT. TWO HUNDRED FORTY EIGHT O/OF 600

- The asterisk adjacent to marks denotes failure (\*)
- The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward.
- 'A' Denotes Absent.



Date of receipt of mark sheet by 24/03/15  
School of Studies / College

*Becom*  
O.S.D. (Exam Section)  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C.G.)





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Statement of marks for the examination of

MAY-2015

M.Sc. PHYSICS (I SEMESTER)(ATKT)

ROLL NO. 112557  
ENROLL NO. TT/22707  
MEDIUM ENG.  
STATUS ATKT

NAME - JANKU RAM CHELAK  
F/H NAME -SHRI LALA RAM CHELAK  
M NAME - SMT. CHAMELI BAI CHELAK



CENTRE - GOVT. COLLEGE, KURUD  
COLLEGE - GOVT. COLLEGE, KURUD

| SUBJECTS   | SCHEME OF MARKS     |        |                 |             |       | MARKS  |             |        | OBTAINED |           |   |
|--|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|--------|-------------|--------|----------|-----------|---|
|  | I                   | II     | III             | MIN         | MAX   | I      | II          | III    | TOTAL    |           |   |
|  | EXTERNAL            |        | INTERNAL        |             |       | TOTAL  |             |        |          |           |   |
|  | MAX                 | MIN    | OBT.            | MAX         | MIN   | OBT.   | OBT.        | CR.    | GR.      | DESCR.    |   |
| 01-MATHEMATICAL PHYSICS  | 080                 | 016    | 028             | 020         | 004   | 011C   | 039         | 4      | 5        | Third/ E  |   |
| 02-CLASSICAL MECHANICS   | 080                 | 016    | 016             | 020         | 004   | 012C   | 028         | 4      | 4        | Third/ F  |   |
| 03-ELECTRODYNAMICS & PLASMA PHYSICS  | 080                 | 016    | 031C            | 020         | 004   | 012C   | 043         | 4      | 5        | Third/ E  |   |
| 04-ELECTRONICS   | 080                 | 016    | 025C            | 020         | 004   | 012C   | 037         | 4      | 5        | Third/ E  |   |
| 05-LABORATORY COURSE I-A (GENERAL & OPTICS)  | 100                 | 020    | 055C            |             |       |        | 055         | 2      | 6        | Second/ D |   |
| 06-LABORATORY COURSE I-B (ELECTRONICS)   | 100                 | 020    | 071C            |             |       |        | 071         | 2      | 8        | First/ B  |   |
|  | PERCENTAGE OF MARKS |        | GRADE PT.       | DESCRIPTION |       |        |             |        |          |           |   |
|  | 90 and above        | 10     | First/O         |             |       |        |             |        |          |           |   |
|  | 80-89               | 9      | First/A         |             |       |        |             |        |          |           |   |
|  | 70-79               | 8      | First/B         |             |       |        |             |        |          |           |   |
|  | 60-59               | 7      | First/C         |             |       |        |             |        |          |           |   |
|  | 48-59               | 6      | Second/D        |             |       |        |             |        |          |           |   |
|  | 36-47               | 5      | Third/E         |             |       |        |             |        |          |           |   |
|  | 20-35               | 4      | Third/F         |             |       |        |             |        |          |           |   |
|  | Below 20            | -      | Dropped/grace/G |             |       |        |             |        |          |           |   |
| SGPA = $\frac{\sum (\text{Credit of the Course} \times \text{Grade Point})}{\sum \text{Total Credits in the Semester}}$                            |                     |        |                 |             |       |        |             |        |          |           |   |
| CGPA = $\frac{\sum \text{Credit Points of all previous} + \text{current Semester}}{\sum \text{Credits of all previous} + \text{current Semester}}$ |                     |        |                 |             |       |        |             |        |          |           |   |
| SGPA - 5.20  |                     |        |                 |             |       | 600    |             | TOTAL  | 273      |           |   |
| M<br>A<br>R<br>K<br>S  | *****               |        | *****           |             | ***** |        | GRAND TOTAL |        | RESULT   | DIVISION  | % |
|  | TOTAL               | OUT OF | TOTAL           | OUT OF      | TOTAL | OUT OF | TOTAL       | OUT OF |          |           |   |
|  | *****               |        | *****           |             | ***** |        | 273         | 600    | PASS     |           |   |
| MARKS OBT. TWO HUNDRED SEVENTY THREE O/OF 600  |                     |        |                 |             |       |        |             |        |          |           |   |

1. The asterisk adjacent to marks denotes failure (\*)
2. The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward.
3. 'A' Denotes Absent.



Date of receipt of mark sheet by 03/08/15  
School of Studies / College



*B. S. D.*  
G.S.D. (Exam Section)  
Registrar  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C.G.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)  
PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Statement of marks for the examination of

(67)

(62)

M.Sc. PHYSICS (II SEMESTER)

MAY-2015

ROLL NO. 112557  
ENROLL NO. TT/22707  
MEDIUM ENG.  
STATUS REGULAR

NAME - JANKU RAM CHELAK  
F/H NAME - SHRI LALA RAM CHELAK  
M NAME - SMT. CHAMELI BAI CHELAK



CENTRE - GOVT. COLLEGE, KURUD  
COLLEGE - GOVT. COLLEGE, KURUD

| SUBJECTS  | SCHEME OF MARKS |                 |          |  |       | MARKS   |             |        | OBTAINED |            | DESCR. |
|---|-----------------|-----------------|----------|--|-------|---|-------------|--------|----------|------------|--------|
|   | I               | II              | III      | MIN  | MAX   | I   | II          | III    | TOTAL    |            |        |
|   | EXTERNAL        |                 | INTERNAL |  | TOTAL |   |             |        |          |            |        |
|   | MAX             | MIN             | OBT.     | MAX  | MIN   | OBT.  | OBT.        | CR.    | GR.      |            |        |
| 01-QUANTUM MECHANICS-I                                  | 080             | 016             | 025      | 020  | 004   | 012   | 037         | 4      | 5        | Third/ E   |        |
| 02-STATISTICAL MECHANICS                                | 080             | 016             | 006*     | 020  | 004   | 013   | 019         | 4      | 0        | Dropped/ G |        |
| 03-ELECTRONIC & PHOTONIC DEVICES AND OPTICAL MODULATORS | 080             | 016             | 045      | 020  | 004   | 014   | 059         | 4      | 6        | Second/ D  |        |
| 04-COMPUTATIONAL PHYSICS & COMPUTER PROGRAMMING         | 080             | 016             | 043      | 020  | 004   | 012   | 055         | 4      | 6        | Second/ D  |        |
| 05-LAB A (NUMERICAL ANALYSIS & COMPUTER PROGRAMMING)    | 100             | 020             | 058      | ...  | ...   | ...   | 058         | 2      | 6        | Second/ D  |        |
| 06-LAB B (DIGITAL ELECTRONICS & MICROPROCESSOR)         | 100             | 020             | 048      | ...  | ...   | ...   | 048         | 2      | 6        | Second/ D  |        |
| PERCENTAGE OF MARKS                                     | GRADE PT.       | DESCRIPTION     |          | SGPA = $\frac{\sum (\text{Credit of the Course} \times \text{Grade Point})}{\text{Total Credits in the Semester}}$ |       | CGPA = $\frac{\sum \text{Credit Points of all previous} + \text{current Semester}}{\text{Credits of all previous} + \text{current Semester}}$ |             |        |          |            |        |
| 90 and above  | 10              | First/O         |          |  |       |   |             |        |          |            |        |
| 80-89   | 9               | First/A         |          |  |       |   |             |        |          |            |        |
| 70-79   | 8               | First/B         |          |  |       |   |             |        |          |            |        |
| 60-69   | 7               | First/C         |          |  |       |   |             |        |          |            |        |
| 48-59   | 6               | Second/D        |          |  |       |   |             |        |          |            |        |
| 35-47   | 5               | Third/E         |          |  |       |   |             |        |          |            |        |
| 20-35   | 4               | Third/F         |          |  |       |   |             |        |          |            |        |
| Below 20  | -               | Dropped/grace/G |          |  |       |   |             |        |          |            |        |
| SGPA -  |                 | CGPA -          |          | 600  |       | TOTAL   |             | 276    |          |            |        |
| M<br>A<br>R<br>K<br>S                                   | *****           |                 | *****    |  | ***** |   | GRAND TOTAL |        | RESULT   | DIVISION   | %      |
|   | TOTAL           | OUT OF          | TOTAL    | OUT OF   | TOTAL | OUT OF  | TOTAL       | OUT OF |          |            |        |
|   | *****           | *****           | *****    | *****  | 276   | 600   | FAIL        |        | ATKT     |            |        |
| MARKS OBT. TWO HUNDRED SEVENTY SIX O/OF 600             |                 |                 |          |  |       |   |             |        |          |            |        |

- The asterisk adjacent to marks denotes failure (\*)
- The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward.
- 'A' Denotes Absent.



Date of receipt of mark sheet by 06/08/15  
School of Studies / College

*B. S. D.*  
O.S.D. (Exam Section)  
Pt. Registrar Shukla University  
RAIPUR (C.G.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Statement of marks for the examination of

68

68

M.Sc. PHYSICS (II SEMESTER)(ATKT)

DEC-2015

ROLL NO. 112557  
ENROLL NO. TT/22707  
MEDIUM ENG.  
STATUS ATKT

NAME - JANKU RAM CHELAK  
F/H NAME -SHRI LALA RAM CHELAK  
M NAME - SMT. CHAMELI BAI CHELAK



CENTRE - GOVT. COLLEGE, KURUD  
COLLEGE - GOVT. COLLEGE, KURUD

| S U B J E C T S   | SCHEME OF MARKS |     |          |     |       | MARKS |      |     | OBTAINED |            |
|---|-----------------|-----|----------|-----|-------|-------|------|-----|----------|------------|
|   | I               | II  | III      | MIN | MAX   | I     | II   | III | TOTAL    |            |
|   | EXTERNAL        |     | INTERNAL |     | TOTAL |       |      |     |          |            |
|   | MAX             | MIN | OBT.     | MAX | MIN   | OBT.  | OBT. | CR. | GR.      | DESCR.     |
| 01-QUANTUM MECHANICS-I                                  | 080             | 016 | 025C     | 020 | 004   | 012C  | 037  | 4   | 5        | Third/ E   |
| 02-STATISTICAL MECHANICS                                | 080             | 016 | 007*     | 020 | 004   | 013C  | 020  | 4   | 0        | Dropped/ G |
| 03-ELECTRONIC & PHOTONIC DEVICES AND OPTICAL MODULATORS | 080             | 016 | 045C     | 020 | 004   | 014C  | 059  | 4   | 6        | Second/ D  |
| 04-COMPUTATIONAL PHYSICS & COMPUTER PROGRAMMING         | 080             | 016 | 043C     | 020 | 004   | 012C  | 055  | 4   | 6        | Second/ D  |
| 05-LAB A (NUMERICAL ANALYSIS & COMPUTER PROGRAMMING)    | 100             | 020 | 058C     | ... | ...   | ...   | 058  | 2   | 6        | Second/ D  |
| 06-LAB B (DIGITAL ELECTRONICS & MICROPROCESSOR)         | 100             | 020 | 048C     | ... | ...   | ...   | 048  | 2   | 6        | Second/ D  |

| PERCENTAGE OF MARKS | GRADE PT. | DESCRIPTION     |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 90 and above        | 10        | First/O         |
| 80-89               | 9         | First/A         |
| 70-79               | 8         | First/B         |
| 60-69               | 7         | First/C         |
| 48-59               | 6         | Second/D        |
| 38-47               | 5         | Third/E         |
| 20-35               | 4         | Third/F         |
| Below 20            | -         | Dropped/grace/G |

$$SGPA = \frac{\sum (\text{Credit of the Course} \times \text{Grade Point})}{\text{Total Credits in the Semester}}$$

$$CGPA = \frac{\sum \text{Credit Points of all previous} + \text{current Semester}}{\text{Credits of all previous} + \text{current Semester}}$$

|        |        |    |     |       |     |
|--------|--------|----|-----|-------|-----|
| SGPA - | CGPA - | -- | 600 | TOTAL | 277 |
|--------|--------|----|-----|-------|-----|

|                       |       |        |       |        |       |        |             |        |        |          |   |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------|----------|---|
| M<br>A<br>R<br>K<br>S | ***** |        | ***** |        | ***** |        | GRAND TOTAL |        | RESULT | DIVISION | % |
|                       | TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL       | OUT OF |        |          |   |
|                       | ***** | *****  | ***** | *****  | 277   | 600    | FAIL        | ATKT   |        |          |   |

MARKS OBT. TWO HUNDRED SEVENTY SEVEN O/OF 600

- The asterisk adjacent to marks denotes failure (\*)
- The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward.
- 'A' denotes ...



09/03/16

Date of receipt of mark sheet by  
School of Studies / College



*Brecom*  
O.S.D. (Exam Section)  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C.G.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Statement of marks for the examination of

69  
69

NAAC Accredited "A"

M.Sc. PHYSICS (II SEMESTER)

MAY-JUNE 2017

ROLL NO. 112557  
ENROLL NO. TT/22707  
MEDIUM ENG.  
STATUS EX

NAME - JANKU RAM CHELAK  
F/H NAME -SHRI LALA RAM CHELAK  
M NAME - SMT. CHAMELI BAI CHELAK



CENTRE - SANT GURU GHASIDAS GOVT. P.G. COLLEGE, KURUD  
COLLEGE - SANT GURU GHASIDAS GOVT. P.G. COLLEGE, KURUD

| S U B J E C T S   |  | EXTERNAL |     |      | INTERNAL |     |      | TOTAL |   |   | CR. GR.    | DESCR. |
|---|--|----------|-----|------|----------|-----|------|-------|---|---|------------|--------|
|   |  | MAX      | MIN | OBT. | MAX      | MIN | OBT. | OBT.  |   |   |            |        |
| 01-QUANTUM MECHANICS-I                                  |  | 080      | 016 | 006* | 020      | 004 | 012C | 018   | 4 | 0 | Dropped/ G |        |
| 02-STATISTICAL MECHANICS                                |  | 080      | 016 | 030  | 020      | 004 | 013C | 043   | 4 | 5 | Third/ E   |        |
| 03-ELECTRONIC & PHOTONIC DEVICES AND OPTICAL MODULATORS |  | 080      | 016 | 018  | 020      | 004 | 014C | 032   | 4 | 4 | Third/ F   |        |
| 04-COMPUTATIONAL METHODS & PROGRAMMING                  |  | 080      | 016 | 026  | 020      | 004 | 012C | 038   | 4 | 5 | Third/ E   |        |
| 05-LAB A (NUMERICAL ANALYSIS & COMPUTER PROGRAMMING)    |  | 100      | 020 | 063  | ...      | ... | ...  | 063   | 2 | 7 | First/ C   |        |
| 06-LAB B (DIGITAL ELECTRONICS & MICROPROCESSOR)         |  | 100      | 020 | 057  | ...      | ... | ...  | 057   | 2 | 6 | Second/ D  |        |

| PERCENTAGE OF MARKS | GRADE PT. | DESCRIPTION     |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 90 and above        | 10        | First/O         |
| 80-89               | 9         | First/A         |
| 70-79               | 8         | First/B         |
| 60-69               | 7         | First/C         |
| 48-59               | 6         | Second/D        |
| 36-47               | 5         | Third/E         |
| 20-35               | 4         | Third/F         |
| Below 20            | -         | Dropped/grace/G |

|        |        |     |       |     |
|--------|--------|-----|-------|-----|
| SGPA - | CGPA - | 600 | TOTAL | 251 |
|--------|--------|-----|-------|-----|

| M<br>A<br>R<br>K<br>S | ***** |        | ***** |        | ***** |        | GRAND TOTAL |        | RESULT | DIVISION | % |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------|----------|---|
|                       | TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL       | OUT OF |        |          |   |
|                       |       | *****  | ***** | *****  | ***** | 251    | 600         | FAIL   | ATKT   |          |   |

MARKS OBT. TWO HUNDRED FIFTY ONE O/OF 600

1. The asterisk adjacent to marks denotes failure (\*)
2. The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward.
3. 'A' Denotes Absent.



30/08/17

DATE OF RESULT PUBLICATION

*Deeom*  
O. S. D. (Exam.)  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR. (Chhattisgarh)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

70

65

Statement of marks for the examination of

NAAC Accredited "A"

M.Sc. PHYSICS (II SEMESTER)

MAY/JUNE 2018

ROLL NO. 112557  
ENROLL NO. TT/22707  
MEDIUM ENGLISH  
STATUS ATKT

NAME - JANKU RAM CHELAK  
F/H NAME - SHRI LALA RAM CHELAK  
M NAME - SMT. CHAMELI BAI CHELAK



CENTRE - SANT GURU GHASIDAS GOVT. P.G. COLLEGE, KURUD  
COLLEGE - (365) SANT GURU GHASIDAS GOVT. P.G. COLLEGE, KURUD

| SUBJECTS  |  | EXTERNAL |     |      | INTERNAL |     |      | TOTAL |     |     |           |
|---|--|----------|-----|------|----------|-----|------|-------|-----|-----|-----------|
|   |  | MAX      | MIN | OBT. | MAX      | MIN | OBT. | OBT.  | CR. | GR. | DESCR.    |
| 01-QUANTUM MECHANICS-I                                  |  | 080      | 016 | 018  | 020      | 004 | 012C | 030   | 4   | 4   | Third/ F  |
| 02-STATISTICAL MECHANICS                                |  | 080      | 016 | 030C | 020      | 004 | 013C | 043   | 4   | 5   | Third/ E  |
| 03-ELECTRONIC & PHOTONIC DEVICES AND OPTICAL MODULATORS |  | 080      | 016 | 019  | 020      | 004 | 014C | 033   | 4   | 4   | Third/ F  |
| 04-COMPUTATIONAL METHODS & PROGRAMMING                  |  | 080      | 016 | 026C | 020      | 004 | 012C | 038   | 4   | 5   | Third/ E  |
| 05-LAB A (NUMERICAL ANALYSIS & COMPUTER PROGRAMMING)    |  | 100      | 020 | 063C | ...      | ... | ...  | 060   | 2   | 7   | First/ C  |
| 06-LAB B (DIGITAL ELECTRONICS & MICROPROCESSOR)         |  | 100      | 020 | 057C | ...      | ... | ...  | 057   | 2   | 6   | Second/ D |

| PERCENTAGE OF MARKS | GRADE PT. | DESCRIPTION     |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 90 and above        | 10        | First/O         |
| 80-89               | 9         | First/A         |
| 70-79               | 8         | First/B         |
| 60-69               | 7         | First/C         |
| 49-59               | 6         | Second/D        |
| 36-47               | 5         | Third/E         |
| 20-35               | 4         | Third/F         |
| Below 20            | -         | Dropped/grace/G |

|        |   |
|--------|---|
| SGPA = | $\frac{\sum (\text{Credit of the Course} \times \text{Grade Point})}{\sum \text{Total Credits in the Semester}}$              |
| CGPA = | $\frac{\sum \text{Credit Points of all previous + current Semester}}{\sum \text{Credits of all previous + current Semester}}$ |

|             |  |             |  |     |       |     |
|-------------|--|-------------|--|-----|-------|-----|
| SGPA - 4.90 |  | CGPA - 5.05 |  | 600 | TOTAL | 264 |
|-------------|--|-------------|--|-----|-------|-----|

|                       |       |        |       |        |       |        |                    |        |        |          |   |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------------|--------|--------|----------|---|
| M<br>A<br>R<br>K<br>S | ***** |        | ***** |        | ***** |        | <b>GRAND TOTAL</b> |        | RESULT | DIVISION | % |
|                       | TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL              | OUT OF |        |          |   |
|                       | ***** | *****  | ***** | *****  | 264   | 600    | PASS               |        |        |          |   |

MARKS OBT. TWO HUNDRED SIXTY FOUR O/F 600

- The asterisk adjacent to marks denotes failure (\*)
- The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward.
- 'A' Denotes Absent.



31/08/18

DATE OF RESULT PUBLICATION

*Exeom*  
O.S.D. (Exam Section)  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C.G.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)  
PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Statement of marks for the examination of

71

66

M.Sc. PHYSICS (III SEMESTER)

DEC-2015

ROLL NO. 112557  
ENROLL NO. TT/22707  
MEDIUM ENG.  
STATUS REGULAR

NAME - JANKU RAM CHELAK  
F/H NAME - SHRI LALA RAM CHELAK  
M NAME - SMT. CHAMELI BAI CHELAK



CENTRE - GOVT. COLLEGE, KURUD  
COLLEGE - GOVT. COLLEGE, KURUD

| S U B J E C T S                                      | SCHEME OF MARKS     |        |           |                 |       |   | MARKS       |        |        | OBTAINED   |   |
|--|---------------------|--------|-----------|-----------------|-------|---|-------------|--------|--------|------------|---|
|  | I                   | II     | III       | MIN             | MAX   | I   | II          | III    | TOTAL  |            |   |
|  | EXTERNAL            |        | INTERNAL  |                 | TOTAL |   |             |        |        |            |   |
|  | MAX                 | MIN    | OBT.      | MAX             | MIN   | OBT.  | OBT.        | CR.    | GR.    | DESCR.     |   |
| QUANTUM MECHANICS - II                               | 080                 | 016    | 027       | 020             | 004   | 012   | 039         | 4      | 5      | Third/ E   |   |
| ATOMIC & MOLECULAR PHYSICS                           | 080                 | 016    | A *       | 020             | 004   | 012   | 012         | 4      | 0      | Dropped/ G |   |
| SOLID STATE PHYSICS - I                              | 080                 | 016    | 013*      | 020             | 004   | 013   | 026         | 4      | 0      | Dropped/ G |   |
| ELECTRONICS (COMMUNICATION) - I                      | 080                 | 016    | 018       | 020             | 004   | 008   | 026         | 4      | 4      | Third/ F   |   |
| LABORATORY COURSE III-A (MATERIAL SC. & GENERAL)     | 100                 | 036    | 062       | ...             | ...   | ...   | 062         | 2      | 7      | First/ C   |   |
| LABORATORY COURSE III-B (ELECTRONICS(COMMUNICATION)) | 100                 | 036    | 060       | ...             | ...   | ...   | 060         | 2      | 7      | First/ C   |   |
|  | PERCENTAGE OF MARKS |        | GRADE PT. | DESCRIPTION     |       | SGPA = $\frac{\sum (\text{Credit of the Course} \times \text{Grade Point})}{\text{Total Credits in the Semester}}$                            |             |        |        |            |   |
|  | 90 and above        |        | 10        | First/O         |       | CGPA = $\frac{\sum \text{Credit Points of all previous} + \text{current Semester}}{\text{Credits of all previous} + \text{current Semester}}$ |             |        |        |            |   |
|  | 80-89               |        | 9         | First/A         |       |   |             |        |        |            |   |
|  | 70-79               |        | 8         | First/B         |       |   |             |        |        |            |   |
|  | 60-69               |        | 7         | First/C         |       |   |             |        |        |            |   |
|  | 49-59               |        | 6         | Second/D        |       |   |             |        |        |            |   |
|  | 36-47               |        | 5         | Third/E         |       |   |             |        |        |            |   |
|  | 20-35               |        | 4         | Third/F         |       |   |             |        |        |            |   |
|  | Below 20            |        | -         | Dropped/grace/G |       |   |             |        |        |            |   |
| SGPA -   |                     | CGPA - |           | --              |       | 600   |             | TOTAL  |        | 225        |   |
| M<br>A<br>R<br>K<br>S                                | *****               |        | *****     |                 | ***** |   | GRAND TOTAL |        | RESULT | DIVISION   | % |
|  | TOTAL               | OUT OF | TOTAL     | OUT OF          | TOTAL | OUT OF  | TOTAL       | OUT OF |        |            |   |
|  | *****               | *****  | *****     | *****           | 225   | 600   | FAIL        | ATKT   |        |            |   |
| MARKS OBT. TWO HUNDRED TWENTY FIVE O/OF 600          |                     |        |           |                 |       |   |             |        |        |            |   |

1. The asterisk adjacent to marks denotes failure (\*)
2. The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward.
3. 'A' Denotes Absent.



Date of receipt of mark sheet by  
School of Studies / College

19/03/16



*Becom*  
O.S.D. (Exam Section)  
Registrar  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C.G.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)  
PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Statement of marks for the examination of

M.Sc. PHYSICS (III SEMESTER) (ATKT)

MAY-JUNE 2016

ROLL NO. 112557  
ENROLL NO. TT/22707  
MEDIUM ENG.  
STATUS ATKT

NAME - JANKU RAM CHELAK  
F/H NAME - SHRI LALA RAM CHELAK  
M NAME - SMT. CHAMELI BAI CHELAK



CENTRE - GOVT. COLLEGE, KURUD  
COLLEGE - GOVT. COLLEGE, KURUD

| SUBJECTS   | SCHEME OF MARKS |                 |          |        |       | MARKS  |             |        | OBTAINED |           |   |
|--|-----------------|-----------------|----------|--------|-------|--------|-------------|--------|----------|-----------|---|
|  | I               | II              | III      | MIN    | MAX   | I      | II          | III    | TOTAL    |           |   |
|  | EXTERNAL        |                 | INTERNAL |        |       | TOTAL  |             |        |          |           |   |
|  | MAX             | MIN             | OBT.     | MAX    | MIN   | OBT.   | OBT.        | CR.    | GR.      | DESCR.    |   |
| QUANTUM MECHANICS - II                               | 080             | 016             | 027C     | 020    | 004   | 012C   | 039         | 4      | 5        | Third/ E  |   |
| ATOMIC & MOLECULAR PHYSICS                           | 080             | 016             | 058      | 020    | 004   | 012C   | 070         | 4      | 8        | First/ B  |   |
| SOLID STATE PHYSICS - I                              | 080             | 016             | 043      | 020    | 004   | 013C   | 056         | 4      | 6        | Second/ D |   |
| ELECTRONICS (COMMUNICATION) -I                       | 080             | 016             | 018C     | 020    | 004   | 008C   | 026         | 4      | 4        | Third/ F  |   |
| LABORATORY COURSE III-A (MATERIAL SC. & GENERAL)     | 100             | 036             | 062C     | ...    | ...   | ...    | 062         | 2      | 7        | First/ C  |   |
| LABORATORY COURSE III-B (ELECTRONICS(COMMUNICATION)) | 100             | 036             | 060C     | ...    | ...   | ...    | 060         | 2      | 7        | First/ C  |   |
| PERCENTAGE OF MARKS                                  | GRADE PT.       | DESCRIPTION     |          |        |       |        |             |        |          |           |   |
| 90 and above   | 10              | First/O         |          |        |       |        |             |        |          |           |   |
| 80-89  | 9               | First/A         |          |        |       |        |             |        |          |           |   |
| 70-79  | 8               | First/B         |          |        |       |        |             |        |          |           |   |
| 60-69  | 7               | First/C         |          |        |       |        |             |        |          |           |   |
| 48-59  | 6               | Second/D        |          |        |       |        |             |        |          |           |   |
| 36-47  | 5               | Third/E         |          |        |       |        |             |        |          |           |   |
| 20-35  | 4               | Third/F         |          |        |       |        |             |        |          |           |   |
| Below 20   | -               | Dropped/grace/G |          |        |       |        |             |        |          |           |   |
| SGPA = 6.00  |                 | CGPA = ..       |          | 600    |       | TOTAL  |             | 313    |          |           |   |
| M<br>A<br>R<br>K<br>S                                | *****           |                 | *****    |        | ***** |        | GRAND TOTAL |        | RESULT   | DIVISION  | % |
|  | TOTAL           | OUT OF          | TOTAL    | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL       | OUT OF |          |           |   |
|  | *****           | *****           | *****    | *****  | 313   | 600    | PASS        |        |          |           |   |
| MARKS OBT. THREE HUNDRED THIRTEEN O/OF 600           |                 |                 |          |        |       |        |             |        |          |           |   |

$$SGPA = \frac{\sum (\text{Credit of the Course} \times \text{Grade Point})}{\text{Total Credits in the Semester}}$$

$$CGPA = \frac{\sum \text{Credit Points of all previous + current Semester}}{\text{Credits of all previous + current Semester}}$$

1. The asterisk adjacent to marks denotes failure (\*)
2. The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward.
3. 'A' Denotes Absent.



Date of receipt of mark sheet by 20/07/16  
School of Studies / College

*Beerom*  
O.S.O. (Exam Section)  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C.G.)  
Registrar



68

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

73

50

क. 1754/परीक्षा/महावि./सेमेस्टर/2018

रायपुर, दिनांक 22/10/2018


सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2018-19 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची

| केंद्र/<br>महा.कोड | परीक्षा केन्द्र का नाम   | महा.<br>कोड | केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम                                 |
|--------------------|--|-------------|---|
| 101                | विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर<br>(दुर्ग वि.वि.के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के एम.कॉम छोड़कर भूतपूर्व/एटीकेटी परीक्षार्थी भी परीक्षा देंगे।) | 101         | विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर                      |
|                    |  | 118         | विप्र कला-वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., वि.वि. के पीछे, रायपुर     |
| 107                | शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा. पुरानी बस्ती रायपुर  | 107         | शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा पुरानी बस्ती, रायपुर                 |
|                    |  | 117         | गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर                      |
| 112                | दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर   | 112         | दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर                                |
|                    |  | 103         | शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर                     |
|                    |  | 113         | विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर   |
|                    |  | 158         | शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा0 धरसीवा रायपुर                           |
|                    |  | 115         | महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर                 |
| 115                | महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर  | 121         | पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, मेन रोड कचना, जि.रायपुर, (छ.ग.) |
|                    |  | 123         | शान्ति निकेतन महाविद्यालय, रायपुर                                     |
|                    |  | 129         | आदर्श कला-वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर                     |
|                    |  | 131         | सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर                                |
|                    |  | 150         | कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, रायपुर                                |
|                    |  | 119         | प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर                               |
|                    |  | 104         | शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर                      |
|                    |  | 120         | महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर                               |
| 128                | कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर  | 122         | अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर                             |
|                    |  | 124         | दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर                                  |
|                    |  | 128         | कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर                           |
| 164                | सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)   | 116         | श्रीमती प्र.गो.दास डागा कन्या महा., कचहरी चौक, रायपुर                 |
|                    |  | 164         | सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)          |
| 166                | सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)   | 166         | सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा)                          |
|                    |  | 168         | शास. बद्रिप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग                               |
| 168                | शास. बद्रिप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग  | 168         | शास. बद्रिप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग                               |
| 169                | शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महा., अभनपुर  | 169         | शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर                      |
| 201                | शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार   | 201         | शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार                                    |
|                    |  | 202         | शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार                         |
|                    |  | 206         | शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी                                  |
| 203                | शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा  | 203         | शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा                                 |
| 205                | शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा  | 205         | शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा                                 |
| 209                | शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़  | 209         | शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़                     |
|                    |  | 208         | शास. राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव                       |
| 210                | शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल  | 210         | शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल                                 |
|                    |  | 207         | शासकीय महाविद्यालय, लवन   |
|                    |  | 251         | शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम                                  |
| 251                | शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम   | 175         | सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)                       |
|                    |  | 262         | शास. महा. फिंगेश्वर, गरियाबंद   |
| 255                | शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महा, गरियाबंद   | 255         | शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद                        |
|                    |  | 253         | शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)                           |



| केंद्र / महा.कोड | परीक्षा केन्द्र का नाम                                    | महा. कोड | केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम                   |
|------------------|---|----------|---|
| 259              | शास. पं.श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग               | 259      | शास. पं.श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग             |
| 301              | शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातको. महा. महासमुन्द         | 301      | शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द |
| 306              | शासकीय खे.ल. कला / वाणिज्य महा0 बागबाहरा                  | 306      | शासकीय खे.ल. कला / वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा        |
| 307              | शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा                      | 307      | शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा                    |
| 309              | शास.स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सराईपाली | 309      | शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली   |
|                  |   | 310      | रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली                          |
| 351              | शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव पी0जी0 कालेज, धमतरी        | 351      | शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव पी0जी0 कालेज, धमतरी      |
| 361              | शास. सुखराम नागे महा., सिहावा (नगरी)                      | 361      | शास. सुखराम नागे महा., सिहावा (नगरी)                    |
|                  |   | 367      | अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी                              |
| 362              | नवीन शासकीय महाविद्यालय भखारा                             | 362      | नवीन शासकीय महाविद्यालय भखारा                           |
| 365              | संत गुरु घासीदास शासकीय पी0जी0 कालेज, कुरुद               | 365      | संत गुरु घासीदास शासकीय पी0जी0 कालेज, कुरुद             |
|                  |   | 366      | गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड                             |


- टीप :- 1. उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।  
2. संबंधित परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य केन्द्राध्यक्ष होंगे।

  
 आदेशानुसार  
 कुलसचिव  
 रायपुर, दिनांक 22/10/2018

पृ.क. 1755 / परीक्षा / महावि. / सेमेस्टर / 2018

प्रतिलिपि :-

- कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों / परीक्षा केन्द्रों को सूचनार्थ।
- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये केवल प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ सेमेस्टर के (एटीकेटी / भूतपूर्व) परीक्षाओं के लिए ही परीक्षार्थियों से भरे हुये सशुल्क परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।
- स.कु.स., गोपनीय / अकादमी / विकास / वि.क.अ.नामांकन / प्रभारी, वि.वि. मुद्रणालय / समस्त कार्यसहायक (परीक्षा),
- वित्त नियंत्रक / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, रांची-झारखंड।
- प्रभारी, इंटरनेट, कम्प्यूटर-विज्ञान अध्ययनशाला को इस सूचना के साथ कि उक्त अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करे,
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- संपादक समस्त स्थानीय समाचार-पत्र रायपुर / अमर-किरण, दुर्ग / सबेरा-संकेत, राजनांदगांव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

  
 उप कुलसचिव (परीक्षा)



20

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

75



क्रमांक 1756/बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./सेमेस्टर/2018

रायपुर, दिनांक 22/10/2018

सेमेस्टर परीक्षा बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम 2018-19 के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची

1. सेमेस्टर परीक्षा - बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम 2018-19 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची-

| केंद्र/महा. कोड. | परीक्षा केन्द्र का नाम  | महा. कोड | केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम                                      |
|------------------|---|----------|--|
| 101              | विश्वविद्यालय अध्ययनशाला,<br>पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर      | 102      | इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर                      |
|                  |   | 118      | विप्र कला/वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर                          |
|                  |   | 124      | दिशा महाविद्यालय रामनगर, कोटा रोड, रायपुर                                  |
|                  |   | 126      | विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कोटा, रायपुर                             |
|                  |   | 137      | रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुन्दरनगर, रायपुर                         |
|                  |   | 189      | अकांक्षा लायन्स स्कूल फॉर मेन्टली हेन्डीकेप्ड, रायपुर                      |
| 105              | शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा.,<br>जी.ई. रोड, रायपुर             | 151      | विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर   |
|                  |   | 152      | कालिन्दी महाविद्यालय, स्वाति एजुकेशन सोसायटी, लालपुर, रायपुर               |
|                  |   | 187      | आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डूमरतालाब कांगेरवैली, रायपुर               |
|                  |   | 195      | आदर्श महाविद्यालय, मुर्दा रोड, दतरेगा, रायपुर                              |
| 111              | शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,<br>शंकरनगर, रायपुर                      | 111      | शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकरनगर, रायपुर                          |
| 112              | दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर  | 119      | प्रगति महाविद्यालय, रायपुर   |
|                  |   | 131      | सेंट विसेंट पैलोटी, महावि., कॉपा, रायपुर                                   |
|                  |   | 181      | स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम नरदहा आरंग जि. रायपुर                   |
| 115              | महंत लक्ष्मीनारायण दास महा., गाँधी चौक,<br>रायपुर                         | 179      | श्रीराम कॉलेज ग्राम सारागाँव जिला रायपुर                                   |
|                  |   | 188      | कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन ग्राम नरदहा, रायपुर                       |
| 119              | प्रगति महाविद्यालय, रायपुर  | 112      | दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर   |
|                  |   | 120      | महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर                                    |
|                  |   | 156      | के.डी.रुगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी अटारी, रायपुर                   |
| 121              | पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, कचना<br>रोड कचना, जि.रायपुर, (छ.ग.) | 161      | दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, विधानसभा चंदखुरी मार्ग रायपुर             |
|                  |   | 177      | सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम तुलसी जिला रायपुर                          |
|                  |   | 186      | कोलम्बिया कॉलेज, टेकारी, रायपुर  |
| 127              | सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी,<br>रायपुर                        | 121      | पं.हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, मेन रोड कचना, जि.रायपुर               |
|                  |   | 134      | महात्मा गाँधी महाविद्यालय, रायपुर  |
| 169              | शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय,<br>अभनपुर                       | 170      | नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर जिला-रायपुर                      |
|                  |   | 171      | ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाठा, अभनपुर जिला-रायपुर                     |
|                  |   | 178      | सी.आई.टी. बी.एड कॉलेज ग्राम भेलवाडीह जिला रायपुर                           |
|                  |   | 191      | श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर         |
| 170              | नेता जी सुभाष महाविद्यालय बेलभाठा, रायपुर                                 | 173      | श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर |
|                  |   | 180      | शाम्भवी स्कूल ऑफ एजुकेशन ग्राम धुसेरा अभनपुर जि. रायपुर                    |
|                  |   | 185      | श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, धनेली, माना केम्प, रायपुर            |
|                  |   | 192      | रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन धनेली, माना, रायपुर                                 |
| 203              | शास. जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा                                       | 204      | कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट देवरी, भाटापारा जि.बलौदाबाजार -भाटापारा        |

Cont..2


| केंद्र / महा कोड | परीक्षा केन्द्र का नाम  | महा. कोड | केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम                           |
|------------------|---|----------|---|
| 251              | शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम                          | 175      | सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)                 |
| 255              | शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद                | 256      | इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंसेस, गरियाबंद                |
|                  |   | 257      | गुरुकुल इंस्टीट्यूट, केशोडर रोड, गरियाबंद                       |
| 301              | शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद | 261      | श्री वीरेन्द्र दीपक शिक्षा महा. ग्राम जामगाँव, जिला गरियाबंद    |
|                  |   | 303      | शांतीबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद         |
|                  |   | 304      | जयहिन्द महाविद्यालय महासमुंद                                    |
|                  |   | 313      | श्याम बालाजी कॉलेज महासमुंद                                     |
|                  |   | 305      | इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, रायपुर रोड, बेलसोंडा, महासमुंद         |
| 307              | शास.चन्द्रपाल डडसेना महाविद्यालय पिथौरा                       | 315      | रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ग्राम-जंगोरा,पोस्ट ऑफिस पिथौरा |
| 309              | शास. स्व.श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा. ,सराईपाली            | 310      | रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली                                  |
|                  |   | 311      | प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराईपाली                 |

## 2. सेमेस्टर परीक्षा – बीपी.एड. पाठ्यक्रम 2018-19 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची

| केंद्र / महा. कोड | परीक्षा केन्द्र का नाम  | महा. कोड | केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम                                     |
|-------------------|---|----------|---|
| 101               | विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर | 101      | विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर                          |
|                   |   | 118      | विप्र कला/वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर                         |
|                   |   | 121      | पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, कचना रोड कचना, जि. रायपुर,(छ.ग.)    |
| 169               | शास0 काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर                    | 170      | नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर जिला-रायपुर                     |
|                   |   | 193      | श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर |
| 365               | शासकीय महाविद्यालय, कुरुद   | 365      | शासकीय महाविद्यालय, कुरुद   |

### टीप :-

1. परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य, केन्द्राध्यक्ष होंगे।
2. उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।
3. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय महाविद्यालय कोड का उल्लेख करेंगे।
4. आसंजित महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों को शैक्षणिक स्टाफ, भवन, फर्नीचर इत्यादि परीक्षा केन्द्रों के मांग पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना आवश्यक है।
5. परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने के पूर्व उसकी सम्यक जाँच कर लेवें। तत्पश्चात ही परीक्षा आवेदन अग्रेषित करें, क्योंकि इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित महा0/परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष की होगी।
6. कृपया ध्यान देवे कि जिन महाविद्यालयों को बी.एड/एम.एड/बी.पी.एड. परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है,वे केन्द्र निर्धारण शुल्क राशि रूपये 10,000/- विश्वविद्यालय कोष में अनिवार्य रूप से यथासमय अधिसूचित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक जमा करावें। इस हेतु पत्र प्रेषित की जावेंगी।


आदेशानुसार,  
  
 कुलसचिव

पृ.क्रमांक 1757/बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./सेमेस्टर/2018

रायपुर, दिनांक 22/10/2018

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को
2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/अध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा संस्थान पं.र.शु.वि.वि.रायपुर/शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला/ प्राचार्य संबंधित महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को सूचनार्थ।
3. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये केवल प्रथम एवं द्वितीय सेमे., तृतीय/चतुर्थ सेमे0 के (भूतपूर्व/एटीकेटी) परीक्षाओं के लिए ही परीक्षार्थियों से भरे हुये परीक्षा आवेदन पत्र सशुल्क स्वीकार करते हुये विश्वविद्यालय में जमा करावें।
4. स.कु.स., गोपनीय/अकादमी/ विकास/वित्त नियंत्रक/ समस्त कार्यसहायक (परीक्षा)
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/वि.क.अ. नामांकन/वि0वि0 मुद्रनालय/संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, रांची-झारखंड।
6. प्रभारी, इंटरनेट, कम्प्यूटर अध्य.शाला को इस सूचना के साथ कि उक्त अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करे।
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र. शु. वि. वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित हेतु अग्रेषित।
8. संपादक समस्त स्थानीय समाचार-पत्र रायपुर/अमर-किरण,दुर्ग/सबेरा-संकेत,राजनांदगांव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

  
उप कुलसचिव (परीक्षा)  
Am



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



E-Mail : rsuexam@gmail.com

क्र. 2024/बी.एड./सेमे./ परीक्षा केन्द्र/2018

78

रायपुर, दिनांक 29/11/2018

// संशोधित अधिसूचना //

बी.एड. की सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2018-19 के लिए परीक्षा केन्द्र एवं आसंजित महा0 की संशोधित सूची

विश्वविद्यालयीन पूर्व प्रेषित अधिसूचना क्र. 1756/बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./सेमे./2018 रायपुर दिनांक 22.10.2018, बी.एड.सेमेस्टर परीक्षा के लिए सत्र 2018-19 के लिए प्रेषित की गई परीक्षा केन्द्र की सूची में नाम में एकरूपता के कारण कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, महा. कोड-150 का नाम छुट गया है। जिसे निम्नानुसार निम्नांकित परीक्षा केन्द्र के साथ आसंजित महाविद्यालय के रूप में जोड़कर पढ़ा जावे:-

| केन्द्र/<br>महा. कोड | सेमेस्टर परीक्षा बी.एड. के केन्द्र का नाम         | महा.<br>कोड | बी.एड. की सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित<br>आसंजित महाविद्यालय का नाम |
|----------------------|---|-------------|--|
| 115                  | महंत लक्ष्मीनारायण दास महा., गांधी<br>चौक, रायपुर | 150         | कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नरदहा,<br>रायपुर                             |

टीप- शेष यथावत रहेंगे।

क्र. 2025/बी.एड./सेमे./ परीक्षा केन्द्र/2018

प्रतिलिपि :-

वि0क0अ0(परीक्षा)

रायपुर, दिनांक 29/11/2018

1. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को इस निर्देश के साथ कि वे इस संशोधन से संबंधित परीक्षार्थियों को अवगत कराते हुए यथासमय परीक्षा में शामिल करावें।।
2. स0कु0स0, गोपनीय/वि0क0अ0, अकादमी/ परीक्षा/विकास/ संबंधित कार्यसहायक (परीक्षा)।
3. वित्त नियंत्रक /संचालक, महा0 विकास परिषद् /अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/प्रभारी वि0वि0 मुद्राणालय वि0क0अ0 कम्प्यूटर गोप0।
4. प्रभारी इंटरनेट, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला को इस सूचना के साथ उक्त संशोधित अधिसूचना को वि. वि. के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, रांची-झारखंड, को इस सूचना के साथ अग्रेषित कि वे बी.एड.सेमेस्टर परीक्षा की केन्द्र सूची में उपरोक्तानुसार संशोधन कर वि. वि. को सूचित करें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



E-Mail : rsuexam@gmail.com

क्र. 2044 / परीक्षा / वार्षिक / केंद्र / 2018

रायपुर, दिनांक 30 / 11 / 2018

// मुख्य परीक्षा 2019 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची //

| केंद्र / महा. कोड    | परीक्षा केन्द्र का नाम  | महा. कोड | केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम   |
|----------------------|---|----------|---|
| <b>जिला - रायपुर</b> |   |          |   |
| 101                  | विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर  |          |   |
| 103                  | शास. जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महा., बैरनबाजार, रायपुर  | 133      | शास.नवीन महा.गुड़ियारी रायपुर   |
|                      |   | 195      | आदर्श कालेज, दतरेंगा जि. रायपुर   |
|                      |   | 199      | श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन, पो.आ. सेजबहार                        |
| 104                  | शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर  |          |   |
| 105                  | शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा., जी.ई. रोड, रायपुर  | 197      | शास. आदर्श महाविद्यालय, रायपुर  |
|                      |   | 198      | कोपलवाणी श्रवण बाधित आवासीय महाविद्यालय, रायपुर   |
| 106                  | शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर  |          |   |
| 107                  | डॉ. राधा बाई शास. नवीन कन्या महा., पुरानीबस्ती, रायपुर  | 132      | शासकीय नवीन महा.भाटागांव, रायपुर  |
| 108                  | शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव, जिला-रायपुर (केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिए)   |          |   |
| 109                  | शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर (केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिए)   | 160      | नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महा., खरोरा   |
|                      |   | 196      | स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम-मुडपार, पोस्ट खरोरा, जि.रायपुर |
| 112                  | दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर (आसजित महा.के अतिरिक्त बी.सी.ए. भाग-तीन के दुर्ग वि.वि. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले महा.के पूरक परीक्षार्थी अंतिम अवसर के रूप में शामिल होंगे।)                |          |   |
| 113                  | विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर   |          |   |
| 115                  | महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर (आसजित महा.के अतिरिक्त बी.सी.ए. भाग-तीन के दुर्ग वि.वि. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले महा.के पूरक परीक्षार्थी अंतिम अवसर के रूप में शामिल होंगे।) | 162      | अभ्युदय महा., चंदखुरी फार्म, रायपुर   |
| 116                  | श्रीमती प्र.गो.दास डागा कन्या महा., कचहरी चौक, रायपुर (केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिए)   |          |   |
| 117                  | गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर  |          |   |
| 118                  | विप्र कला/वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर   | 154      | आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, डूमर तालाब, रायपुर  |
| 119                  | प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर   |          |   |
| 120                  | महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर   |          |   |
| 121                  | पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., मेन रोड कचना, रायपुर (आसजित महा.के अतिरिक्त बी.सी.ए. भाग-तीन के दुर्ग वि.वि. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले महा.के पूरक परीक्षार्थी अंतिम अवसर के रूप में शामिल होंगे।)   |          |   |
| 122                  | अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर   | 123      | शान्ति निकेतन महाविद्यालय, रायपुर   |
| 124                  | दिशा महाविद्यालय, रामनगर, रायपुर  | 125      | पं. रामसखा उपाध्याय महा., रायपुर  |
|                      |   | 153      | प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर  |
| 127                  | सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर   |          |   |
| 128                  | कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर   |          |   |
| 129                  | आदर्श कला-वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर   |          |   |
| 130                  | केन्द्रीय-जेल, रायपुर (उप केन्द्र)  |          |   |
| 131                  | सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर  | 150      | कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, रायपुर  |

| केंद्र/महा कोड                    | परीक्षा केन्द्र का नाम   | महा. कोड | केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम                             |
|-----------------------------------|--|----------|---|
| 156                               | के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, अटारी, रायपुर (एवं स्नातक स्तर के बी०ए० तथा बी०कॉम० के अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए)     |          |   |
| 158                               | शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर   |          |   |
| 159                               | श्री साईनाथ महाविद्यालय, परसतराई (धरसीवा)  |          |   |
| 161                               | दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, विधानसभा, चंदखुरी मार्ग, रायपुर (एवं स्नातक स्तर के बी०ए० तथा बी०कॉम० के अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए) |          |   |
| 163                               | शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मॉडर  |          |   |
| 164                               | सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)   | 165      | आर.के.एस. महाविद्यालय, नेवरा-तिल्दा                               |
| 166                               | सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ (तिल्दा)  |          |   |
| 167                               | विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज  |          |   |
| 168                               | शास. बद्रीप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग  | 183      | आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट छतौना, मंदिर हसौद, रायपुर        |
| 169                               | शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अमनपुर   | 171      | ग्रेसियस कालेज ऑफ एजुकेशन बेलभाठा अमनपुर जि. रायपुर               |
|                                   |  | 194      | सी.आई.टी. साईंस एंड कामर्स कालेज ग्राम भेलवाडीह अमनपुर जि. रायपुर |
| 170                               | नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अमनपुर  |          |   |
| 174                               | श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर।   |          |   |
| 175                               | सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)  |          |   |
| <b>जिला- बलौदाबाजार -भाटापारा</b> |  |          |   |
| 201                               | शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार   |          |   |
| 202                               | शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार  |          |   |
| 203                               | शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा  | 204      | कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट देवरी, भाटापारा जिला-रायपुर           |
|                                   |  | 213      | शास.नवीन महा. मोपका-निपनिया जिला बलौदाबाजार -भाटापारा             |
| 205                               | राजीव गॉंधी शासकीय महाविद्यालय, सिमगा  |          |   |
| 206                               | शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी   | 214      | शास.नवीन महाविद्यालय वटगन,पलारी                                   |
| 207                               | शासकीय महाविद्यालय, लवन  |          |   |
| 208                               | शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगाँव  |          |   |
| 209                               | शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़  |          |   |
| 210                               | शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल  | 215      | शास.नवीन महाविद्यालय,सोनाखान                                      |
| 212                               | दुलीचंद जालान कॉलेज,कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलई, पॉली, सरसीवा जिला-बलौदाबाजार  |          |   |
| <b>जिला- गरियाबंद</b>             |  |          |   |
| 251                               | शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम   |          |   |
| 252                               | आर्यभट्ट कला-विज्ञान महा., कोपरा   |          |   |
| 253                               | शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)  | 254      | कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम) (उपकेन्द्र)                  |
| 255                               | शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद   | 256      | इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, गरियाबंद                   |
|                                   |  | 257      | गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गरियाबंद                                     |
| 259                               | शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग  | 260      | उदंती महाविद्यालय, देवभोग   |
|                                   |  | 264      | नवीन शास.महा. गोहरापदर, जिला गरियाबंद                             |
| 262                               | शासकीय महा. फिंगेश्वर, गरियाबंद  |          |   |
| 263                               | नवीन शास. महा. मैनपुर, गरियाबंद  | 258      | श्री पैरी गंगा महाविद्यालय, मैनपुर                                |

81


26

| केंद्र/महा. कोड       | परीक्षा केन्द्र का नाम   | महा. कोड | केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम       |
|-----------------------|--|----------|---|
| <b>जिला- महासमुंद</b> |  |          |   |
| 301                   | शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द  | 304      | जयहिन्द महाविद्यालय, महासमुन्द              |
|                       |  | 317      | शास.नवीन महाविद्यालय, चिरको (उपकेन्द्र)     |
| 302                   | शासकीय माता कर्मा कन्या महा., महासमुन्द  |          |   |
| 303                   | शांतीबाई कला-वाणिज्य महा., महासमुन्द   |          |   |
| 306                   | शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा   | 318      | शास.नवीन महाविद्यालय, तेंदुकोना             |
| 307                   | चन्द्रपाल डडसेना शासकीय महा., पिथौरा   |          |   |
| 308                   | स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना   | 316      | शास.नवीन महाविद्यालय, पिरदा (उपकेन्द्र)     |
| 309                   | शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली  | 314      | प्रतिभा फूलझर कालेज, ग्राम बालसी, सराईपाली  |
| 310                   | रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली   |          |   |
| 312                   | शास. महाविद्यालय, बलौदा, जिला महासमुंद   |          |   |
| <b>जिला - धमतरी</b>   |  |          |   |
| 351                   | शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी  | 353      | जिनेसिस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, धमतरी        |
|                       |  | 354      | वन्देमातरम् महाविद्यालय, गणेश चौक, धमतरी    |
|                       |  | 355      | काम्पटेक महाविद्यालय, धमतरी                 |
|                       |  | 356      | प्रज्ञा कला/वाणिज्य महा., रत्नाबांधा, धमतरी |
|                       |  | 370      | शास.नवीन महाविद्यालय, आमदी                  |
| 352                   | शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी  |          |   |
| 361                   | शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी (सिहावा)  | 367      | अलशम्स इंफोटेक कॉलेज, नगरी                  |
| 362                   | शासकीय महाविद्यालय, भखारा, धमतरी   | 363      | छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा         |
| 364                   | कला महाविद्यालय, जामगाँव (जी)  |          |   |
| 365                   | संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय, कुरुद   |          |   |
| 368                   | शास. महाविद्यालय, मगरलोड जिला धमतरी  | 366      | गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड                 |
| 369                   | शास.नवीन महाविद्यालय, सिलौटी (केवल बी.ए., बी.एस.-सी. एवं बी.कॉम प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए) |          |   |

- टीप:-
1. उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य, केन्द्राध्यक्ष रहेंगे।
  2. परीक्षार्थी ऑनलाईन द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय महाविद्यालय कोड का उल्लेख करेंगे।
  3. उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।
  4. आसंजित महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों को शैक्षणिक स्टाफ, भवन, फर्नीचर इत्यादि परीक्षा केन्द्रों के मांग पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना आवश्यक है।
  5. परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कापी अथवा परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने के पूर्व उसकी सम्यक जाँच कर लेवें। तत्पश्चात ही परीक्षा आवेदन अग्रेषित करें, क्योंकि इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित महा0/परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/ केन्द्राध्यक्ष की होगी।

**आवश्यक टीप:-**

1. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार एवं संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक स्तर अंतिम वर्ष के ऐसे परीक्षार्थी जो वार्षिक परीक्षा 2018 में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की परीक्षा में शामिल हुये हैं, उनमें से सभी पात्र पूरक परीक्षार्थियों के लिए अंतिम अवसर के रूप में परीक्षा केन्द्र रायपुर में निम्नानुसार है:-
2. बी.ए. एवं बी.कॉम भाग-तीन के लिए - महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर।
3. बी.एस.सी भाग-तीन के लिए - पं.हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, कचना, रायपुर।
4. बी.सी.ए. भाग -तीन के लिए - दुर्गा, महाविद्यालय के.के.रोड, रायपुर।

आदेशानुसार,  
  
 कुलसचिव



- 4 -

पृ.क्र. 2045 / परीक्षा / वार्षिक / केंद्र / 2018  
 प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 30/11/2018

1. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को ।
2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को सूचनार्थ ।
3. प्राचार्य/अध्यक्ष- समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/अध्ययनशाला को,
4. दुर्ग विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों को,
5. स.कु.स., गोपनीय/अकादमी/वित्त नियंत्रक/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/विकास/समस्त कार्यसहायक (परीक्षा),
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/ प्रभारी, वि.वि. मुद्रणालय/ वि०क०अ० कम्प्यूटर गोपनीय/संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, रांची-झारखंड/ जनसंपर्क अधिकारी, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ ।
7. प्रभारी, इंटरनेट, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला को इस सूचना के साथ कि उक्त अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
9. संपादक समस्त स्थानीय समाचार पत्र रायपुर/अमर किरण दुर्ग/सबेरा संकेत राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

उप कुलसचिव (परीक्षा)  
 [Signature]



क्र. 2018 / परीक्षा / वार्षिक परीक्षा संशो. / 2018

रायपुर, दिनांक 05/12/2018

// संशोधित अधिसूचना //

वार्षिक परीक्षा 2019 के लिए आसंजित महाविद्यालय के जिले में संशोधन

विश्वविद्यालयीन अधिसूचना क्र. 2044/परीक्षा/वार्षिक/केन्द्र/2018 रायपुर दिनांक 30.11.2018 वार्षिक परीक्षा 2019 के लिए प्रेषित परीक्षा केन्द्रों की सूची में पृ.क्र.02 पर अंकित केन्द्र क्र.203- शास.जी.एन.ए.महा.भाटापारा में आसंजित महाविद्यालय कोड क्र. 204- कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट देवरी, भाटापारा जिसमें जिला-रायपुर अतिरिक्त रूप से अंकित हो गया है, जिसे सुधार कर जिला-रायपुर को विलोपित किया जाता है, अर्थात् महा.कोड क्र. 204- कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट देवरी, जिला बलौदाबाजार -भाटापारा पढ़ा जावे।

टीप'- शेष यथावत रहेंगे।

*B. S. Choudhary*  
वि०क०अ०(परीक्षा)

पृ. क्र. 2018 / परीक्षा / वार्षिक परीक्षा संशो. / 2018

रायपुर, दिनांक 5/12/2018

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को इस निर्देश के साथ कि वे इस संशोधन से अवगत होकर उक्त त्रुटि को विलोपित कर लें।
2. स.कु.स., गोपनीय/वि०क०अ०, अका./उ.कु.स.,विकास/परीक्षा विभाग के संबंधित कार्यसहायकों को,
3. वित्त नियंत्रक /संचालक, महा० विकास परिषद् /अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/प्रभारी वि०वि० मुद्राणालय वि०क०अ० कम्प्यूटर गोप०।
4. प्रभारी इंटरनेट,कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला को इस सूचना के साथ उक्त संशोधित अधिसूचना को वि.के.वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता,रांची-झारखंड को इस सूचना के साथ अग्रेषित कि वे वार्षिक परीक्षा की केन्द्र सूची में उपरोक्तानुसार संशोधन करे।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*B. S. Choudhary*  
वि०क०अ०(परीक्षा)



क्र. 2820 / परीक्षा / वार्षिक परीक्षा संशो. / 2018

रायपुर, दिनांक 10/12/2018

// संशोधित अधिसूचना //

वार्षिक परीक्षा 2019 के लिए एक आसंजित महाविद्यालय को जोड़ने के संबंध में संशोधन

विश्वविद्यालयीन अधिसूचना क्र. 2044/परीक्षा/वार्षिक/केन्द्र/2018 रायपुर दिनांक 30.11.2018 वार्षिक परीक्षा 2019 के लिए प्रेषित परीक्षा केन्द्रों की सूची में पृ.क्र.01 में आसंजित महा.कोड क्र.-133- शास. नवीन महा.गुड़ियारी, रायपुर अंकित है, जिसे सुधार कर गुड़ियारी पढ़ा जावे, इसी प्रकार पृ.क्र.02 पर अंकित केन्द्र क्र.168-शास. बद्रीप्रसाद कला-वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग के साथ महा.कोड क्र. 135- शास.नवीन महाविद्यालय, समोदा, जिला-रायपुर, का नाम विलंब से जानकारी प्राप्त होने के कारण छुट गया है, जिसे सुधार कर निम्नानुसार पढ़ा जावे, अर्थात् महा.कोड क्र.135- शास.नवीन महाविद्यालय, समोदा, जिला-रायपुर को उक्त परीक्षा केन्द्र के साथ आसंजित करते हुए जोड़कर पढ़ा जावे :-

| केन्द्र / महा. कोड | वार्षिक परीक्षा केन्द्र का नाम                | महा. कोड | वार्षिक परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित आसंजित महाविद्यालय का नाम |
|--------------------|---|----------|--|
| 168                | शास.बद्रीप्रसाद कला-वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग | 183      | आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, छतौना, मंदिर हसौद, रायपुर    |
|                    |   | 135      | शास.नवीन महाविद्यालय, समोदा, जिला-रायपुर                       |

टीप- 1. शेष यथावत रहेंगे।

2. शास.नवीन महाविद्यालय, समोदा, जिला-रायपुर में अध्ययनरत बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. प्रथम वर्ष के नियमित छात्र-छात्राएं हैं, जो उक्त परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में शामिल होंगे।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (परीक्षा)

रायपुर, दिनांक 10/12/2018

पृ. क्र. 212 / परीक्षा / वार्षिक परीक्षा संशो. / 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष, शास.ब.प्र. कला-वाणि., महा, आरंग एवं प्राचार्य, शास.नवीन महाविद्यालय, समोदा, जिला-रायपुर को इस निर्देश के साथ कि वे इस संशोधन से अवगत होते हुए संबंधित महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा समय उक्त परीक्षा केन्द्र में शामिल करावें।
2. स.कु.स., गोपनीय / वि0क0अ0, अका. / उ.कु.स., विकास / परीक्षा विभाग के संबंधित कार्यसहायकों को,
3. वित्त नियंत्रक / संचालक, महा0 विकास परिषद् / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / प्रभारी वि0वि0 मुद्राणालय वि0क0अ0 कम्प्यूटर गोप0।
4. प्रभारी इंटरनेट, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला को इस सूचना के साथ उक्त संशोधित अधिसूचना को वि. वि.के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, रांची-झारखंड को इस सूचना के साथ अग्रेषित कि वे वार्षिक परीक्षा की केन्द्र सूची में उपरोक्तानुसार संशोधन करें।
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (परीक्षा)

85 80 24

## कार्य परिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका


विषय :-रसायन अध्ययनशाला के लिये **Electrochemical instrument** सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।

वि.वि. के रसायन अध्ययनशाला में Science & Engineering Research Board (SERB), New Delhi द्वारा शोध परियोजना (EEQ/2017/000331, Dated- 16/03/2018) के तहत रू. 27,49,000=00 सेंक्शन हुआ है जिसमें रू.10=00 लाख इस्ट्रूमेंट(उपकरण) क्रय हेतु सेंक्शन हुआ है। उपकरण (Electrochemical Instrument) क्रय हेतु निविदा सूचना क्रमांक 187/Dev./Tender/18, Raipur, Date 17/07/2018 एवं क्रमांक 209/Dev./Tender/18, Raipur, Date 10/08/2018 के द्वारा निविदा सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित फर्मों द्वारा सीलबंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत किया गया था, जिसे निविदाकर्ता की उपस्थिति में दिनांक 24/08/2018 को खोला गया है।

1. Shilpa Instruments & Services, G7/G2, Phase-8, New Brahmmand Annex, Near Ghodbunder, Road, Azad Nagar, Thane (West) - 400607
2. Techno Comm Instruments Pvt. Ltd, 81, SBI Officers Prime Residency, Kodichikkana Halli, Bangalore - 560076
3. Sinsil International, A/88, Survey Park, Near Mother Dairy, Santoshpur, Kolkata-700075

विभागीय क्रय समिति ने न्यूनतम दर के आधार पर Sinsil International, Kolkata से क्रय की अनुशंसा की है। क्रय की राशि US \$ 14,570.00 है जिसे केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

रसायन अध्ययनशाला के लिये Electrochemical instrument सामग्री क्रय किये जाने की अनुमानित व्यय US \$ 14,570.00 जो कि रू.10,66,260=00 (दस लाख छैसठ हजार दो सौ साठ मात्र) होगा। US Dollar की कीमत भारतीय रूपये में परिवर्तनशील है। अतः क्रय की राशि भुगतान के दिनांक को US Dollar की कीमत के आधार पर निर्धारित होगा। अतः रसायन अध्ययनशाला के लिये Electrochemical instrument सामग्री क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

  
**Dr. Manmohan L. Satnami**  
Principal Investigator  
SERB-EEQ Project  
School of Studies in Chemistry,  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
RAIPUR (C.G.)

86

संक्षेपिका,,फलोरोसेन्स माईक्रोस्कोप खरीदी

प्रो. केशवकांत साहू को DRDO, New Delhi द्वारा स्वीकृत शोध परियोजना के अन्तर्गत एक फलोरोसेन्स माईक्रोस्कोप (LM-52-3001-EPI of Lawrence and Mayo make), जिसका मूल्य रू. 5,25,000.00 (रू. पाच लाख पच्चीस हजार मात्र), GST (5%) सहित है को M/s Surana Enterprises, Raipur से खरीदा जाना प्रस्तावित है। यह खरीदी प्रक्रिया वि.वि. द्वारा जारी टेन्डर/रेट कान्ट्रेक्ट (No: 284/Vikas/2018, dated 25.10.2018), जो 24.10.2019 तक वैध है, के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त राशि शोध परियोजना के उपकरण मद से उपलब्ध होगी, जिसमें सत्र 2018-19 के लिए Rs. 9.90 Lakh उपलब्ध है।

*Keshav*  
20/12/18.

87

## कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने वाले टीप

विषय— मूल विज्ञान केंद्र के Physics, Biology, Chemistry व Communication Skills Lab हेतु 54 कम्प्यूटर, 04 प्रिंटर व 54 UPS का कय किये जाने की स्वीकृति हेतु।

मूल विज्ञान केंद्र के Physics, Biology, Chemistry व Communication Skills Lab (Communication Skills Lab बनाये जाने हेतु) हेतु 54 कम्प्यूटर (for Physics Lab -10, Biology Lab -06, Chemistry Lab -06 & Communication Skills Lab- 32), 04 प्रिंटर ( for Biology-02, Chemistry-02) व 54 UPS( for 54 Computers) का कय Gem Rate के आधार पर किया जाना है, जिसके लिए अनुमानित लागत रू. 28,90,200/- है, अतः इन सामग्रीयों के कय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात् संबंधित फर्मों को कार्यादेश दिये जाने के पूर्व अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।



संचालक  
DIRECTOR

Center for Basic Sciences  
Pt. Ravishankar Shukla University  
Faipur (C. G.) 492 010



**पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार**  
**पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)**

E-mail : library\_prsu@rediffmail.com, Phone No. 0771 – 2262686



88

क्रमांक / 268/ग्रंथागार / 2018

रायपुर, दिनांक 13.12.2018

अधिसूचना

पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 29.11.18 दिन गुरुवार को अपराह्न 3.00 बजे ग्रंथागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष सहित निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

|  |             |
|--|-------------|
| 1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति           | अध्यक्ष     |
| 2. डॉ. संदीप वनसुत्रे                      | सदस्य       |
| 3. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा                | सदस्य       |
| 4. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा                | सदस्य       |
| 5. डॉ. संजय कुमार                          | सदस्य       |
| 6. डॉ. बी.एस. ठाकुर                        | सदस्य       |
| 7. डॉ. एन.के. बाघमार                       | सदस्य       |
| 8. डॉ. (श्रीमती) नमिता ब्रम्हे             | सदस्य       |
| 9. डॉ. ए.के. गुप्ता                        | सदस्य       |
| 10. डॉ. एस.के. चटर्जी                      | सदस्य       |
| 11. श्री उमेश अग्रवाल                      | वि.आ. सदस्य |
| 12. डॉ. सुपर्ण सेन गुप्ता, वि.वि. ग्रंथपाल | सचिव        |

कार्यवृत्त:-

विषय क्र. 1 : ग्रंथालय समिति के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन।  
निर्णय : समिति द्वारा नये सदस्यों का स्वागत किया गया एवं निवर्तमान सदस्यों के महत्वपूर्ण योगदान के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

विषय क्र. 2 : ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 13.01.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।  
निर्णय : समिति ने सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की।

विषय क्र. 3 : ग्रंथालय के कार्य की प्रगति की सूचना।

- पुस्तक क्रय।
- शोध-पत्रिका क्रय।
- E-Resources की जानकारी।

निर्णय : समिति ने सूचना ग्रहण की।


- पुस्तक क्रय – राशि रु. 4,23,233 की 278 पुस्तकों का क्रय।
- शोध-पत्रिका क्रय- राशि रु. 27,37,862 की 152 शोध पत्रिकाओं का क्रय।
- E-Resources – वर्तमान में विभिन्न विषयों की कुल 2881 ई-बुक्स उपलब्ध हैं।

विषय क्र. 4 : अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार।

निर्णय : अध्यक्ष की अनुमति से समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये।

- पं. सुन्दर. लाल शर्मा ग्रंथागार के पोर्टल को विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले वाले website के टैंडर में सम्मिलित करने हेतु कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययन शाला के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित किया जाए।
- विभागाध्यक्षों से उनके विभाग/विषय में प्रदत्त पी-एच.डी. उपाधि की सूचना प्राप्त की जाए।

3. विश्वविद्यालय बजट वर्ष 2018-19 के-14: D:1-a में प्रावधानित 42.00 लाख के आबंटन पर निम्नानुसार सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की ।
  - पुस्तक क्रय के लिए 15.00 लाख ।
  - शोध-पत्रिका क्रय के लिए 27.00 लाख ।
4. पं. सुन्दर लाल शर्मा ग्रथागार में ग्रंथालय की गतिविधियों से पाठकों को अवगत कराने एवं पाठकोन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित हो इस हेतु सुविधायुक्त संगोष्ठी कक्ष तैयार करने की सहमति व्यक्त की ।
5. विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में संचालित विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की पुस्तकों के क्रय हेतु अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल से अनुसंशित सूची मंगाई जाए ।-
6. विश्वविद्यालय ग्रंथालय को विभिन्न महाविद्यालय में संचालित शोध-केंद्रों से जोड़ने की विशेष पहल की जाए ।
7. देश में बनने जा रहे ' 13 वाँ सेन्सस वर्क स्टेशन ' की सूचना ग्रहण की ।

  
(प्रो. केशरी लाल वर्मा)  
कुलपति

  
(डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता)  
सचिव  
ग्रंथालय समिति

पृष्ठा. क्रमांक 263/ग्रंथा.समिति/2018  
प्रतिलिपि,

रायपुर, दिनांक 13.12.2018

1. माननीय कुलपति जी, अध्यक्ष, ग्रंथालय समिति ।
2. माननीय कुलसचिव जी,
3. माननीय समस्त सदस्यगण ग्रंथालय समिति ।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
सचिव





कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने वाले टीप

**विषय:-** संबद्धता की कार्यवाही किये जाने बाबत।

शासकीय महाविद्यालय भटगांव जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा में सत्र 2012-13 में कक्षा एम.ए.पूर्व- हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण समिति का गठन कर पत्र (1) वि. वि. का पत्र क्र. 8072/अका./2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012 को प्रेषित करने के पश्चात् कई बार से भी पत्र प्रेषित किया जा चुका है। महाविद्यालय को निम्नलिखित पत्र प्रेषित किया गया था-

(2) इस कार्या. का पत्र क्र. 2451/अका./2016 रायपुर, दिनांक 01.10.2016

(3) इस कार्या. का पत्र क्र. 2616/अका./2016 रायपुर, दिनांक 21.10.2016

(4) इस कार्या. का पत्र क्र. 2870/अका./2016 रायपुर, दिनांक 17.11.2016

(5) इस कार्या. का पत्र क्र. 3114/अका./2016 रायपुर, दिनांक 16.12.2016

(6) इस कार्या. का पत्र क्र. 3348/अका./2017 रायपुर, दिनांक 24.01.2017

(7) इस कार्या. का पत्र क्र. 4142/अका./2017 रायपुर, दिनांक 30.05.2017

(8) इस कार्या. का पत्र क्र. 5354/अका./2017 रायपुर, दिनांक 24.07.2017

(9) इस कार्या. का पत्र क्र. 5472/अका./संबद्धता/2017 रायपुर, दिनांक 15.12.2017

आयुक्त, उच्च संचालनालय, ब्लाक सी-30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को महाविद्यालय निरीक्षण की कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने, भेजे जाने वाले पत्र निम्नलिखित है-

(1) वि.वि. का पत्र क्र. 5304/अका./संबद्धता/2017 रायपुर, दिनांक 16.10.2017

(2) वि. वि. का पत्र पृ. क्रमांक 5832/अका./संबद्धता/2018 रायपुर, दिनांक 15.02.2018

(3) वि.वि. का पत्र क्रमांक 6867 /अका./संबद्धता/2018 रायपुर दिनांक 04.08.2018.

उक्त पत्रों के प्रेषित किये जाने के पश्चात् भी संबद्धता हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। सत्र 2012-13 से संबद्धता की कार्यवाही लंबित है। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विशेष कर्तब्यस्थ अधिकारी (अका.)

(91)

# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

072/अका./2012

रायपुर, दिनांक 13/08/2012

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय,  
भटगाँव,  
जिला-बलौदाबाजार (छ0ग0)

विषय : सत्र 2012-13 में सम्बद्धता हेतु निरीक्षण समिति का गठन।

नए महाविद्यालय/कक्षाएँ प्रारंभ करने हेतु राज्य शासन से प्राप्त अनुमति पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु निरीक्षण समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है -

| कक्षा/विषय  | निरीक्षण समिति के सदस्य   |
|---|---|
| M.A.- Previous -<br>1. Hindi Literature<br>2. Political Science | 01. प्रो. के.एल. वर्मा, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला पं.र.शु.वि.वि. रायपुर<br>02. प्रो. ए.के. पाण्डेय, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला पं. र.शु.वि.वि. रायपुर |

9827114146  
9424215678

निरीक्षण समिति के समन्वयक प्रो. के.एल. वर्मा होंगे। कृपया इनसे संपर्क कर महाविद्यालय का निरीक्षण एक सप्ताह के भीतर करवा लें। निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रतिवेदन के भाग 'अ' में अपेक्षित जानकारी भरकर इसे दो प्रतियों में तैयार रखे ताकि निरीक्षण कार्य में व्यवधान न हो। निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.prsu.ac.in](http://www.prsu.ac.in) पर भी उपलब्ध है। यदि भाग 'अ' पर जानकारी विश्वविद्यालय में जमा कर दी गई है तो उसकी फोटो प्रति निरीक्षण समिति को उपलब्ध करावें। समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं निरीक्षण मानदेय (प्रत्येक को रु. 1000/-) का भुगतान महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के समय किया जाएगा।

आदेशानुसार

VK 11/8/12

प्रभारी अधिकारी (अका.)

रायपुर, दिनांक 13/08/2012

पृ. क्र. 8073/अका./2012

प्रतिलिपि :

1. निरीक्षण समिति के सदस्यों को, इस अनुरोध के साथ कि एक सप्ताह के भीतर महाविद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रतिवेदन का प्रारूप महाविद्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है जिसके भाग 'अ' पर महाविद्यालय द्वारा सम्यक जानकारी दी जाती है।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कक्षा अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्र. 2451 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक 01 / 09 / 2016  
10

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय,  
भटगांव,  
जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

विषय : एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान की संबद्धता के संबंध में।


संदर्भ: (1) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8072/अका./2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012

(2) आपका पत्र क्रमांक 179/2016 भटगांव, दिनांक 19.09.2016.

—000—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 से नवीन विषय एम. ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान प्रारंभ करने हेतु संबद्धता की कार्यवाही हेतु महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल गठित किया गया है। किन्तु आज पर्यंत निरीक्षण दल से निरीक्षण कराकर या निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।


यदि आपके महाविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण दल से निरीक्षण करायी गयी हो तो निरीक्षण प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करावे, ताकि सम्बद्धता की कार्यवाही की जा सके।

  
उप कुलसचिव (अका.)

क्र. 2452 / अका. / 2016  
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक 01 / 09 / 2016  
10

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
03. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्र. 2616 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक 21 / 10 / 2016

प्रति,

स्मरण-पत्र

प्राचार्य,  
शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय,  
भटगांव,  
जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

विषय : एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान की संबद्धता के संबंध में।

संदर्भ: (1) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8072/अका./2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012  
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2451/अका./2016 रायपुर, दिनांक 01.10.2016

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 से एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान हेतु गठित निरीक्षण दल से निरीक्षण करायी गयी हो तो निरीक्षण प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराने पत्र प्रेषित किया गया था। जिसकी जानकारी से विश्वविद्यालय को आज पर्यंत तक अवगत नहीं कराया गया है।

अतः अतिशीघ्र अवगत करावे, ताकि सम्बद्धता की कार्यवाही की जा सके।


  
उप कुलसचिव (अका.)

क्र. 2617 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक 21 / 10 / 2016

प्रतिलिपि :

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
03. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

91-3

o/c



## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्र. 2870 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक 17 / 11 / 2016

प्रति,

स्मरण-पत्र

प्राचार्य,  
शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय,  
भटगांव,  
जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

विषय : एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान की संबद्धता के संबंध में।

- संदर्भ: (1) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8072/अका./2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012  
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2451/अका./2016 रायपुर, दिनांक 01.10.2016  
(3) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2616/अका./2016 रायपुर, दिनांक 21.10.2016

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 से एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान हेतु गठित निरीक्षण दल से निरीक्षण करायी गयी हो तो निरीक्षण प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराने पत्र प्रेषित किया गया था। जिसकी जानकारी से विश्वविद्यालय को आज पर्यंत तक अवगत नहीं कराया गया है।


अतः अतिशीघ्र अवगत करावे, ताकि सम्बद्धता की कार्यवाही की जा सके।

  
उप कुलसचिव (अका.)

क्र. 2871 / अका. / 2016  
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक 17 / 11 / 2016

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
03. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

91-4

21

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 3114 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक : 16 / 12 / 2016

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय,  
भटगांव,

जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

स्मरण पत्र

विषय: एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान विषयों के संबद्धता हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन बाबत।

संदर्भ: 01. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 01. 8072 / अका. / 2012 दिनांक 13.08.2012.

02. 2451 / अका. / 2016 दिनांक 01.10.2016.

03. 2616 / अका. / 2016 दिनांक 21.10.2016.

04. 2870 / अका. / 2016 दिनांक 17.11.2016.

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 से एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान विषयों के संबद्धता हेतु पत्र क्रमांक 8072 / अका. / 2012 दिनांक 13.08.2012 के द्वारा गठित निरीक्षण दल से निरीक्षण कराई गई हो तो निरीक्षण प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु पत्र लिखा गया था जिसके संबंध में आज दिनांक तक महाविद्यालय द्वारा कोई भी जानकारी / निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः इस संबंध में पुनः लेख है कि, गठित निरीक्षण दल द्वारा यदि निरीक्षण करवा लिया गया हो तो निरीक्षण प्रतिवेदन, विश्वविद्यालय में शीघ्र प्रेषित करें ताकि, संबद्धता संबंधी कार्यवाही की जा सके।

  
उप कुलसचिव (अका.)

पृ.क्रमांक : 3115 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक : 16 / 12 / 2016

प्रतिलिपि :-

01. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,

02. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।

  
वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्र. 3348 / अका. / 2017

रायपुर, दिनांक 24/01/2017

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय,  
भटगांव,  
जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

स्मरण-पत्र

विषय : एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान विषयों के संबद्धता हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन बाबत।  
संदर्भ: (1) आपका पत्र क्रमांक 179/2016 भटगांव दिनांक 19.09.2016


- (पत्र प्राप्ति दिनांक 07.01.2017)
- (2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8072/अका./2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012
  - (3) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2451/अका./2016 रायपुर, दिनांक 01.10.2016
  - (4) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2616/अका./2016 रायपुर, दिनांक 21.10.2016
  - (5) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2870/अका./2016 रायपुर, दिनांक 17.11.2016
  - (6) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3114/अका./2016 रायपुर, दिनांक 16.12.2016

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 से एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान विषयों के संबद्धता हेतु पत्र क्रमांक 8072/अका./2012 दिनांक 13.08.2012 के द्वारा गठित निरीक्षण दल से निरीक्षण कराई गई हो तो निरीक्षण प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित लिखा गया था, जिसके संबंध में आज दिनांक तक महाविद्यालय द्वारा कोई भी जानकारी/निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः इस संबंध में पुनः लेख है कि गठित निरीक्षण दल द्वारा यदि निरीक्षण करवा लिया गया हो तो निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में शीघ्र प्रेषित करें ताकि, संबद्धता संबंधी कार्यवाही की जा सके।

आदेशानुसार

  
उप कुलसचिव (अका.)  
रायपुर, दिनांक 24/01/2017

क्र. 3349 / अका. / 2017

प्रतिलिपि :

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
03. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

91-6

01C  
01C

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्र. 41A2 / अका./2017

रायपुर, दिनांक 30/05/2017

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय,  
भटगांव,  
जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

विषय : एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान विषयों के संबद्धता हेतु निरीक्षण बाबत।


संदर्भ: (1) आपका पत्र क्रमांक 179/2016 भटगांव दिनांक 19.09.2016  
(पत्र प्राप्ति दिनांक 07.01.2017)

- (2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8072/अका./2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012
- (3) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2451/अका./2016 रायपुर, दिनांक 01.10.2016
- (4) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2616/अका./2016 रायपुर, दिनांक 21.10.2016
- (5) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2870/अका./2016 रायपुर, दिनांक 17.11.2016
- (6) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3114/अका./2016 रायपुर, दिनांक 16.12.2016
- (7) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4023/अका./2017 रायपुर, दिनांक 11.05.2017

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 से एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान विषयों के संबद्धता हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। किन्तु आज पर्यंत निरीक्षण की कार्यवाही से इस कार्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया है।


अतः निरीक्षण की कार्यवाही करने हेतु निरीक्षण समिति के सदस्यों से निरीक्षण तिथी तय करने संपर्क कर अतिशीघ्र निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे, ताकि संबद्धता संबंधी कार्यवाही की जा सके।

  
उप कुलसचिव (अका.)

क्र. 41A3 / अका./2017  
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक 30/05/2017

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
02. प्रो. के.एल. वर्मा, समन्वयक, निरीक्षण समिति, साहित्य एवं भाषा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
03. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
04. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) 917

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्र. 4520 / अका. / 2017

रायपुर, दिनांक 24 / 07 / 2017

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय,  
भटगांव,  
जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

स्मरण-पत्र

विषय : एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान विषयों के संबद्धता हेतु निरीक्षण बाबत।

संदर्भ: (1) आपका पत्र क्रमांक 179/2016 भटगांव दिनांक 19.09.2016  
(पत्र प्राप्ति दिनांक 07.01.2017)


- (2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8072/अका./2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012
- (3) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2451/अका./2016 रायपुर, दिनांक 01.10.2016
- (4) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2616/अका./2016 रायपुर, दिनांक 21.10.2016
- (5) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2870/अका./2016 रायपुर, दिनांक 17.11.2016
- (6) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3114/अका./2016 रायपुर, दिनांक 16.12.2016
- (7) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4023/अका./2017 रायपुर, दिनांक 11.05.2017
- (8) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4142/अका./2017 रायपुर, दिनांक 30.05.2017

—000—


विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 से एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान विषयों के संबद्धता हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। किन्तु आज पर्यंत निरीक्षण की कार्यवाही से इस कार्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः इस संबंध में पुनः लेख है कि गठित निरीक्षण दल द्वारा यदि निरीक्षण करवा लिया गया हो तो निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में शीघ्र प्रेषित करें ताकि, संबद्धता की कार्यवाही किया जा सके।

क्र. 4521 / अका. / 2017  
प्रतिलिपि :

  
उप कुलसचिव (अका.)  
रायपुर, दिनांक 24 / 07 / 2017

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
03. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
वशिष्ठ अधीक्षक (अका.)



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय) Email-academicprsu@gmail.com

क्रमांक 5472 / अका./संबद्धता/2017  
प्रति,

रायपुर, दिनांक : 15/12/2017

प्राचार्य,  
शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय,  
भटगांव,  
जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

स्मरण पत्र

विषय : निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

एम.ए. पूर्व हिन्दी-

- संदर्भ :
- (1) इस कार्या. का पत्र क्र. 8072/अका./2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012,
  - (2) इस कार्या. का पत्र क्र. 2451/अका./2016 रायपुर, दिनांक 01.10.2016
  - (3) इस कार्या. का पत्र क्र. 2616/अका./2016 रायपुर, दिनांक 21.10.2016
  - (4) इस कार्या. का पत्र क्र. 2870/अका./2016 रायपुर, दिनांक 17.11.2016
  - (5) इस कार्या. का पत्र क्र. 3114/अका./2016 रायपुर, दिनांक 16.12.2016
  - (6) इस कार्या. का पत्र क्र. 4023/अका./2012 रायपुर, दिनांक 11.05.2017
  - (7) इस कार्या. का पत्र क्र. 4142/अका./2017 रायपुर, दिनांक 30.05.2017

बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष- बायो समूह- रसायन, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र।

- (1) इस कार्या. का पत्र क्र. 4646/अका./संबद्धता/2017 रायपुर, दिनांक 09.08.2017
- (2) इस कार्या. का पत्र क्र. 5058/अका./संबद्धता/2017 रायपुर, दिनांक 09.10.2017

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 में कक्षा एम.ए. पूर्व- हिन्दी, राजनीति विज्ञान एवं सत्र 2017-18 में कक्षा बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष बायो समूह- रसायन, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र पाठ्यक्रमों के संबद्धता हेतु निरीक्षण समिति का गठन कर पत्र प्रेषित किया गया था। किन्तु आज पर्यंत उक्त विषयों की निरीक्षण की कार्यवाही करा कर निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में जमा नहीं करवाये हैं।

अतः निरीक्षण की कार्यवाही करा कर निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में अतिशीघ्र जमा करवायें, ताकि संबद्धता कि कार्यवाही किया जा सके।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पं. क्रमांक 5473 / अका./संबद्धता/2017  
प्रतिलिपि -

रायपुर, दिनांक 15/12/2017

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी,30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर को निरीक्षण के लिये कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय) Email-academicprsu@gmail.com

क्रमांक 5304/अका./संबद्धता/2017  
प्रति,

रायपुर, दिनांक : 16/10/2017

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल,  
इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : सत्र 2012-13 में एम.ए. पूर्व- हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान की संबद्धता के संबंध में।  
संदर्भ : छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का पत्र पृ.  
क्र. 2386/एफ 3-35/2012/38-1 रायपुर, दिनांक 23.06.2012

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार शासकीय राज महंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय भटगांव जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को सत्र 2012-13 में कक्षा एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। महाविद्यालय को उक्त कक्षा प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्राप्त कर विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 8072/अका./2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012 के द्वारा निरीक्षण समिति का गठन कर पत्र प्रेषित किया गया था एवं महाविद्यालय को निरीक्षण की कार्यवाही कराये जाने 09 बार पत्र प्रेषित किया जा चुका है। किन्तु महाविद्यालय द्वारा आज पर्यंत निरीक्षण की कार्यवाही नहीं कराया गया है।

प्राचार्य द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही कराये जाने रुचि नहीं ली जा रही है। अतः प्राचार्य को निरीक्षण के लिये कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 5305 /अका./संबद्धता/2017  
प्रतिलिपि -

रायपुर, दिनांक : 16/10/2017

1. प्राचार्य, शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा को सूचनार्थ।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।

उप. कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

91-10



दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय) Email-academicprsu@gmail.com

क्रमांक 5831 / अका. / संबद्धता / 2018  
प्रति,

रायपुर, दिनांक : 15 / 02 / 2018

स्मरण पत्र

प्राचार्य,  
शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय,  
भटगांव,  
जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

विषय : निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

एम.ए. पूर्व हिन्दी-

संदर्भ :

- (1) इस कार्या. का पत्र क्र. 8072 / अका. / 2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012
- (2) इस कार्या. का पत्र क्र. 2451 / अका. / 2016 रायपुर, दिनांक 01.10.2016
- (3) इस कार्या. का पत्र क्र. 2616 / अका. / 2016 रायपुर, दिनांक 21.10.2016
- (4) इस कार्या. का पत्र क्र. 2870 / अका. / 2016 रायपुर, दिनांक 17.11.2016
- (5) इस कार्या. का पत्र क्र. 3114 / अका. / 2016 रायपुर, दिनांक 16.12.2016
- (6) इस कार्या. का पत्र क्र. 4023 / अका. / 2012 रायपुर, दिनांक 11.05.2017
- (7) इस कार्या. का पत्र क्र. 4142 / अका. / 2017 रायपुर, दिनांक 30.05.2017
- (8) इस कार्या. का पत्र क्र. 5472 / अका. / संबद्धता / 2017 रायपुर, दिनांक 15.12.2017

बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष- बायो समूह- रसायन, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र।

- (1) इस कार्या. का पत्र क्र. 4646 / अका. / संबद्धता / 2017 रायपुर, दिनांक 09.08.2017
- (2) इस कार्या. का पत्र क्र. 5058 / अका. / संबद्धता / 2017 रायपुर, दिनांक 09.10.2017
- (3) इस कार्या. का पत्र क्र. 5472 / अका. / संबद्धता / 2017 रायपुर, दिनांक 15.12.2017

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 में कक्षा एम.ए. पूर्व- हिन्दी, राजनीति विज्ञान एवं सत्र 2017-18 में कक्षा बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष बायो समूह- रसायन, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र पाठ्यक्रमों के संबद्धता हेतु निरीक्षण समिति का गठन कर पत्र प्रेषित किया गया था। किन्तु आज पर्यंत उक्त विषयों की निरीक्षण की कार्यवाही करा कर निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में जमा नहीं करवाये हैं।

अतः निरीक्षण की कार्यवाही करा कर निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में अतिशीघ्र जमा करवायें, ताकि संबद्धता कि कार्यवाही किया जा सके।

उप कुलसचिव (अका.)

रायपुर, दिनांक : 15 / 02 / 2018

पृ. क्रमांक 5832 / अका. / संबद्धता / 2018  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी.30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर को निरीक्षण के लिये कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद,
3. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय) Email-academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 6867 / अका./संबद्धता/2018

रायपुर, दिनांक : 04/08/2018

प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
ब्लाक-सी, 30 द्वितीय तल,  
इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : सत्र 2012-13 से संचालित कक्षा एम.ए.पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान की संबद्धता के संबंध में।

संदर्भ: इस कार्या. का पत्र क्र. 5304/अका./संबद्धता/2017 रायपुर, दिनांक 16.10.2017.


—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव जिला- बलौदाबाजार को छत्तीसगढ़ शासन के पत्र पृ.क्रमांक 2386/एफ 3-35/2012/38-1 रायपुर, दिनांक 23.06.2012 के द्वारा एम.ए.पूर्व हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान की कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई थी। महाविद्यालय द्वारा संबद्धता आवेदन जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 8072/अका./2012 रायपुर, दिनांक 13.08.2012 को निरीक्षण समिति का गठन पत्र प्रेषित किया गया था। निरीक्षण की कार्यवाही कराये जाने महाविद्यालय को कई बार से स्मरण पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है एवं मौखिक रूप से भी सूचित किया गया है, किन्तु 06 वर्ष बाद भी आज पर्यंत उक्त विषयों की निरीक्षण की कार्यवाही नहीं कराया गया है। पुनः वि.वि.के पत्र क्रमांक 6254/अका./संबद्धता/2018 रायपुर, दिनांक 23.04.2018 के द्वारा निरीक्षण समिति का पुनर्गठन कर पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु महाविद्यालय ने उक्त समिति से भी निरीक्षण की कार्यवाही नहीं कराया गया है, जिसके कारण से विश्वविद्यालय से संबद्धता की कार्यवाही नहीं किया गया है तथा महाविद्यालय में बिना विश्वविद्यालयीन संबद्धता की कक्षाएँ संचालित हो रहा है।

ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 5304/अका./संबद्धता/2017 रायपुर दिनांक 16.10.2017 के द्वारा उक्त के संबंध में महाविद्यालय को निर्देशित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त विषयों की संबद्धता हेतु निरीक्षण की कार्यवाही अतिशीघ्र संपन्न कराने हेतु महाविद्यालय को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक 6868 / अका./संबद्धता/2018

रायपुर, दिनांक : 04/08/2018

प्रतिलिपि -

1. प्राचार्य, शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव जिला- बलौदाबाजार
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, उप कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

92

क्रमांक 7880 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2019

रायपुर, दिनांक 4/01/2019

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 08.01.2019 अपरान्ह 03.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

|                                  |   |         |
|----------------------------------|---|---------|
| 1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा      | - | सदस्य   |
| 3. डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल  | - | सदस्य   |
| 4. डॉ. एच.के. पाठक               | - | सदस्य   |
| 5. डॉ. बशीर हसन                  | - | सदस्य   |
| 6. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा      | - | सदस्य   |
| 7. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ  | - | सदस्य   |
| 8. डॉ. संजय कुमार                | - | सदस्य   |
| 9. डॉ. एस.के. जाधव               | - | सदस्य   |
| 10. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव         | - | सदस्य   |
| 11. डॉ. संदीप वनसूत्रे, कुलसचिव  | - | सचिव    |

## बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

### कार्यवृत्त :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.10.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.10.2018 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय: पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

| क्र. | महाविद्यालय का नाम   | कक्षा/विषय   | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|------|--|--|--------------|---------|--|
| i    | शासकीय नवीन महाविद्यालय, सोनाखान, जि.-बलौदाबाजार-भाटापारा  | B.Sc.-I- Bio & Maths- Chemistry, Botany, Zoology, Maths, Physics             | 90           | 2018-19 | 1. डॉ. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस, अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर<br>2. डॉ. के.के. घोष, रसायनशास्त्र अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर   |
|      |  | B.A.-I- (FC- Hindi, English), Hindi Litt., Political Sc., Sociology, History | 90           |         | 3. डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर<br>4. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर<br>5. डॉ. राजेश दुबे, प्राचार्य, शास. नवीन महा. खरोरा |
|      | शासन का आदेश - 162/264/आउशि / योजना/2018 दिनांक 19.06.2018 |  |              |         |  |

**निरीक्षण तिथि – 13.12.2018**  
 Affiliation sought for B.A.-I yr (90) and B.Sc.-Iyr (90)  
 Ref.: University letter 7516/Acad./Affil./2018 dt. 2-11-2018  
 The College is newly opened Govt. Naveen College in the session 2018-19 at Sonakhan with In-Charge of Principal, Govt. College, Kasdol with sanctioned Course of BA I yr (90) and B.Sc. Iyr (90). The College has been sanctioned an set up of 1 Principapl, 10 Asstt. Prof. and 8 office & lab Staff.  
 The College has started running in Govt. Veterinary Hospital Campus with Six room facility. The space is inadequate. No laboratory space exists. 160 Students has taken admission in BA I yr (90) and B.Sc. I yr (70). There is no regular faculty and office staff except for one Grade III Assistant. 10 Guest Faculty (one each in Chemistry, Botany, Zoology, Mathematics, Physics, Hindi, English, Political Science, Sociology and History) are working in the College. Govt. has sanctioned budget for furniture, books, store, equipment & contingency to the College. College has procured office furniture, class room-furniture & 334 Books Some lab material for B.Sc. I yr has been purchased. Equipments, more books, furniture, glass-wares, chemicals & lab space is essentially required to run the course as per syllabus.

**निर्णय:** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

| क्र.  | महाविद्यालय का नाम                            | कक्षा/विषय   | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|---|---|--|--------------|---------|--|
| ii  | शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिरदा, जिला-महासमुंद | B.Sc.-I- Bio & Maths - Chemistry, Botany, Zoology, Maths, Physics        | 90           | 2018-19 | 1. डॉ. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस, अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर<br>2. डॉ. के.के. घोष, रसायनशास्त्र अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर<br>3. डॉ. नमिता ब्रम्हे, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर |
|   |   | B.A.-I- (FC-Hindi, English), Economics, Geography, History, Hindi Litt., | 90           |         | 1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर<br>2. डॉ. मधुलता बारा, साहित्य एवं भाषा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर                                 |
| शासन का आदेश क्र. 162/264/आउशि / योजना/2018 दिनांक 19.06.2018 |   |  |              |         |  |

**निरीक्षण तिथि – 05.12.2018**  
 Affiliation sought for B.A.-I yrs (90+9) and B.Sc.-Iyr (90+9)  
 Ref.: University letter 6953/Acad./Affil./2018 dt. 20-08-2018  
 The College is newly opened Govt. Naveen College in the session 2018-19 at Pirda with in-Charge Principal, Govt. College, Basna for BA Iyr (90) and B.Sc. Iyr(90). Later Govt. increased 9 seats each in BA & BSc Iyr. The College has been given set up of 1 Principal, 10 Asst. Prof. & 8 office and lab staff. The College has started running in Govt. Higher Secondary School at Pirda in morning Shift in 4 rooms & 2 small lab space. The Space in inadequate. 182 Students have taken admission in Ist yr (B.A.-89, B.Sc. 93). There is no regular faculty in the College. However, 10 Guest faculty (1 each in Geography, Economics, History, English, Hindi, Chemistry, Maths, Physics, Botany & Zoology) are working in the College. Govt. has sanctioned budget for furniture, books, store, equipment, contingency etc to the College. Office & class room furniture has been purchased. Also 552 books have been purchased. Rest other facility including laboratory facility, equipment, chemicals, glass wares etc. are yet to be developed and procured. Office & lab staff has to be recruited. All facility be arranged soon.

**निर्णय:** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

| क्र.   | महाविद्यालय का नाम                  | कक्षा / विषय   | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य   |
|--|-------------------------------------|--|--------------|---------|---|
| iii  | शास. नवीन महा. चिरको, जिला-महासमुंद | B.Sc.-I- Bio Group- Chemistry, Botany, Zoology                                 | 90           | 2018-19 | 1. प्रो. के.के. घोष, रसायनशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर<br>2. प्रो. एस.के. प्रसाद, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर<br>3. प्रो. एन.के. बघमार, भूगोल अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर<br>4. डॉ. विजय कुमार अग्रवाल, शास. जे. यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर |
|  |                                     | B.A.-I-FC (Hindi, English), Geography, History, Hindi Litt., Political Science | 90           |         |   |
|  |                                     | B.Com.-I - All Compulsory Subject  | 90           |         |   |
| आ.उ.शि. संचा. का पत्र क्र. 162/264/आउशि / योजना/2018 दिनांक 19.06.2018 |                                     |  |              |         |   |

**निरीक्षण तिथि – 01.11.2018**

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. के आदेश क्र. 7213/रायपुर दिनांक 01.10.2018 के परिपालन में आज दिनांक 01.11.2018 को शास. नवीन महा. चिरको का निरीक्षण किया गया।

- वर्तमान में महाविद्यालय का कोई भवन नहीं है, यह पंचायत भवन में संचालित हो रहा है।
- बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में 90 छात्रों को प्रवेश दिया गया। स्वीकृत पद-3 के विरुद्ध में वर्तमान में वनस्पति, रसायन तथा जीव विज्ञान में 1-1 अतिथि व्याख्याता कार्यरत है। बी.एससी. के लिए अलग-अलग प्रयोगशाला तथा उपकरणों की अत्यंत आवश्यकता है।
- बी.ए. भाग एक में 90 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। स्वीकृत पद 5 के विरुद्ध केवल एक भूगोल में नियमित शिक्षक तथा अन्य में इतिहास, राजनीति तथा हिन्दी व अंग्रेजी में अतिथि व्याख्याता है। भूगोल विषय हेतु प्रयोगशाला की आवश्यकता है।
- बी.काम. भाग एक में 17 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। स्वीकृत दोनो पद पर अतिथि व्याख्याता कार्यरत है।
- प्रत्येक विषय में पुस्तकों की अत्यंत आवश्यकता है।
- प्रयोगशाला परिचारक की आवश्यकता है।
- वर्तमान में शास. पी.जी. महावि. महासमुंद के प्राचार्य ही प्रभारी है।
- छात्र-छात्राओं में अभूतपूर्व उत्साह पाया गया।

**निर्णय:** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

| क्र.  | महाविद्यालय का नाम                       | कक्षा / विषय  | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य   |
|---|--|---|--------------|---------|---|
| iv  | शास. नवीन महाविद्यालय, गुड़ियारी, रायपुर | B.A.-I- (F.C.- Hindi, English), Political Sc., Economics, Geography | 90           | 2018-19 | 1. डॉ. आर.के. ब्रम्हे, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर<br>2. डॉ. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर<br>3. डॉ. कमलेश श्रीवास, रसायन अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर<br>4. डॉ. ध्रुव कुमार पाण्डेय, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर |
|   |  | B.Sc.-I- Maths Group- Chemistry, Maths, Physics                     | 90           |         |   |
|   |  | B.Com.-I- All Compulsory Subject                                    | 90           |         |   |
| शासन का आदेश – आयुक्त उच्च शिक्षा संचा. का पत्र क्र. 162/264/आउशि/ योजना/2018 दिनांक 19.06.2018 |  |   |              |         |   |



**निरीक्षण तिथि – 05.12.2018**

- वर्तमान में महाविद्यालय, शशिबाला स्कूल गुढ़ियारी के भवन में संचालित हो रहा है। वर्तमान में स्वयं का भवन एवं भूमि नहीं है।
- वर्तमान में, महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति की गई है, परंतु किसी भी विषय में नियमित शिक्षक नहीं है। अतिथि प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य किया जा रहा है।
- महाविद्यालय ग्रंथालय में, छात्रों के संख्या के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें नहीं है।
- महाविद्यालय में, भौतिक शास्त्र, रसायन तथा भूगोल की प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उपकरण एवं अन्य आवश्यक सामग्री की जरूरत है।

**निर्णय:** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

| क्र.   | महाविद्यालय का नाम                              | कक्षा/विषय              | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|--|---|-------------------------|--------------|---------|--|
| v  | शासकीय दाऊ कल्याण स्नातकोत्तर महावि. बलौदाबाजार | M.Sc. I/II Sem.- Botany | 30           | 2018-19 | 1. डॉ. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस, अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर<br>2. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर<br>3. डॉ. एच. बिक्रोल, एन.आई.टी., रायपुर<br>4. डॉ. केशरी वर्मा, एन.आई.टी. रायपुर |
|  |   | M.Sc. I/II Sem.-I.T.    | 30           |         |  |
| स्थापना वर्ष – 1962-63<br>उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ 3-4/2018/38-1 दि. 03.08.2018 |   |                         |              |         |  |

**निरीक्षण तिथि – 08.12.2018**

Govt. DK College, Balodabazar- Affiliation sought for M.Sc. I/II Botany (30) and M.Sc. I/II IT (30)  
 Ref: University letter 7514/Acad./Affil/2018 date 2-11-2018

The College is Govt. PG College established in 1963 (Non-Govt.) and affiliation in B.Sc., M.A., LL.B, M.A., M.Com., M.Sc., PGDCA etc. It is not NAAC accredited. The College has its own building with class. rooms, labs, library and playground. The College has regular Principal. The College has two regular faculty in Botany and no faculty in IT. The College has sanction post of one Professor & 2 Asst. Prof in Botany and one post of Professor in IT. One guest faculty is working in IT. The Faculty is inadequate to run M.Sc. Classes. Adequate number of faculty be appointed to run M.Sc. Classes in Botany and IT. Most of the lab staff posts are vacant. Lab Staffs are essentially needed to run laboratory classes. The College has inadequate space for class rooms and laboratory. Separate class rooms and laboratory space to accommodate 30 students for M.Sc. IT and Botany is essential. The lab facility and equipments are inadequate and need to be upgraded immediately for M.Sc. as per syllabus. A separate lab with 30 computers with latest configuration and licensed software as per M.Sc. Syllabus is required. More books as per M.Sc. Syllabus need to be purchased. At least two journals in each subject be procured in library. The College is eligible for affiliation.

**निर्णय:** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

| क्र.  | महाविद्यालय का नाम                                  | कक्षा/विषय   | छात्र संख्या   | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|---|---|--|----------------|---------|--|
| vi  | शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा. महासमुंद | B.C.A.-I<br>पी.जी. डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एवं दर्शन        | 40<br>40       | 2018-19 | 1. डॉ. (श्रीमती) कविता ठाकुर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर<br>2. डॉ. विनोद कुमार पटले, अध्ययनशाला, पं.र. शु.वि.वि. रायपुर<br>3. डॉ. जगेलाल गहरे, तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन शास्त्र अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर  |
| स्थापना वर्ष - 1964-65  |   |  |                |         |  |
| <p><b>निरीक्षण तिथि- 28.11.2018. B.C.A.-I</b><br/>वि.वि. के आदेश क्रमांक 7033/अका./सम्बद्धता/2018 रायपुर दिनांक 10.09.2018 के अनुसार महाविद्यालय का बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिए निरीक्षण किया गया। महाविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सत्र 2018-19 में महाविद्यालय द्वारा बी.सी.ए. प्रथम वर्ष में 39 (Thirty Nine) छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। महाविद्यालय में बी.सी.ए. प्रथम वर्ष 40 (चालीस) सीट के लिए निम्न तथ्य प्रस्तुत है -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम बी.सी.ए. प्रथम वर्ष के लिए अधोसंरचना संतोषप्रद है।</li> <li>महाविद्यालय को प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए 20(बीस) नवीनतम Configuration के कम्प्यूटर क्रय किया जाना आवश्यक होगा।</li> <li>प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेंस साफ्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक होगा।</li> <li>प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए 02(दो) कम्प्यूटर शिक्षक, एक गणित शिक्षक एवं एक तकनीकी सहायक कम्प्यूटर प्रयोगशाला के लिए नियमित नियुक्ति किया जाना आवश्यक होगा।</li> <li>प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित छात्र/छात्राओं के अनुपात में पुस्तकें ग्रंथालय के लिए क्रय किया जाना आवश्यक होगा।</li> <li>प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए पृथक से वातानुकूलित कम्प्यूटर प्रयोगशाला बनाया जाना आवश्यक होगा।</li> </ol> <p><b>निरीक्षण तिथि- 06.12.2018, पी.जी. डिप्लोमा इन योग एजुकेशन एवं दर्शन</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>पी.जी. डिप्लोमा इन योग एजुकेशन एंड फिलासफी प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु अभी 01 ही कमरा है। ध्यान योग हेतु 01 कमरे की आवश्यकता है।</li> <li>प्रस्तावित पाठ्यक्रम संबंधी ग्रंथालय में पुस्तक ही नहीं है, जिसे अविलंब क्रय कर ग्रंथालय में उपलब्ध कराने की आवश्यक है। ताकि छात्र-छात्राएं पढ़कर पाठ्यक्रम को व्यवस्थानुरूप तैयार कर परीक्षा दे सकें। साथ ही 01 कमरा ध्यान के लिए भी जरूरी है। इन दोनों आवश्यक जरूरी को समय के साथ सुलभ करने हेतु निर्देश दिया गया।</li> </ol> <p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p> |   |  |                |         |  |
| क्र.  | महाविद्यालय का नाम                                  | कक्षा/विषय   | छात्र संख्या   | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
| vii   | बी.सी.एस. शास. स्नातकोत्तर महा. धमतरी               | M.Sc. I/II- Zoology<br>M.Sc. I/II- Physics<br>M.Sc. I/II- IT | 30<br>30<br>30 | 2018-19 | 1. डॉ. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस, अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर<br>2. डॉ. जय नारायण वर्मा, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर<br>3. डॉ. एन.के. चक्रधारी, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर<br>4. डॉ. दीप्ति झा, शास. डॉ. राधा बाई, नवीन कन्या महा. रायपुर<br>5. डॉ. विनोद कुमार पटले, कम्प्यूटर साइंस अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर |
| स्थापना वर्ष - 1965-66<br>उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ 3-4/2018/38-1 दि. 03.08.2018  |   |  |                |         |  |

**निरीक्षण तिथि – 03.12.2018**

The College is Govt. P.G. College established in 1963 (Non-Govt.) and 9-6-1981 (Govt.). It is NAAC accredited with B-Grade. The College has its own building with class rooms, labs, library & play ground. The College do not have regular faculty in Zoology, Physics & IT. The College has sanctioned post of 1 Professor and 2 Asst. Prof. in Zoology; 1 Professor & 2 Asstt. Prof. in Physics and 1 Professor in IT. Two guest faculty in Zoology, 3 guest faculty in Physics & 2 guest faculty in IT are working in College. Four contract faculty are working for teaching BCA, DCA & PGDCA. The laboratory facility are inadequate. Only one lab for UG & PG Courses exists in each of the three subjects. Separate class rooms are required to run PG Classes. The equipment and lab facility are inadequate and need to be upgraded as per syllabus of M.Sc. courses. The IT lab has only limited computer of old configuration. New Computer and licence Software has to be purchased. More books have to be purchased in all the three subjects as per syllabus. At least two journals in each subject be also procured.

**निर्णय:** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

| क्र.  | महाविद्यालय का नाम          | कक्षा/विषय  | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|---|-----------------------------|---|--------------|---------|--|
| viii  | कला महाविद्यालय, जी-जामगांव | B.A.-I- (FC-Hindi, English), Hindi Litt., Political Sc., Economics (Seat increment) | 80 (50+30)   | 2019-20 | 1. डॉ. शैल शर्मा, साहित्य एवं भाषा अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर<br>2. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, प्राचार्य, शास. पी.जी महावि. कुरुद<br>3. डॉ. भेखलाल सोनकर, अर्थशास्त्र, अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर |
|   |                             | B.Com.-I (new course)   | 40           |         |  |
| स्थापना वर्ष – 2003-04<br>आ.उ.शि. संचा. का पत्र क्र. एफ 17-37 / 2018 / 38-2 / दिनांक 23.07.2018 |                             |   |              |         |  |

**निरीक्षण तिथि – 07.12.2018**

पं.र.शु.वि.वि. रायपुर के पत्र क्रमांक 7392/अका./2018 रायपुर दिनांक 22.10.2018 के तारतम्य में कला महाविद्यालय जी-जामगांव का सम्बद्धता निरीक्षण किया एवं पाया कि

- नियमित प्राचार्य है।
- प्राचार्य कक्ष को शामिल करते हुए 08 कमरे उपलब्ध हैं।
- भवन ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त है जो कि समिति को दिया गया है।
- पुस्तकें एवं फर्नीचर अपर्याप्त है।
- बी.ए. भाग एक दो तीन हेतु 50 सीट स्वीकृत है इसे 30 सीट के वृद्धि के साथ 80 किये जाने की एवं बी.काम. प्रथम वर्ष में 40 सीट दिए जाने की अनुशंसा की जाती है।
- राज. शास्त्र, अंग्रेजी एवं वाणिज्य हेतु एक-एक शिक्षक की नियुक्त किया जाना अनिवार्य है।

**निर्णय:** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।

| क्र.   | महाविद्यालय का नाम                               | कक्षा/विषय  | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|--|--|---|--------------|---------|--|
| ix   | शास. राजीवलोचन महाविद्यालय, राजिम, जिला-गरियाबंद | M.Sc. Final (III & IV Sem.) Physics   | 25           | 2018-19 | 1. डॉ. नमिता ब्रम्हे, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर<br>2. डॉ. अनुभा सिंह गौर, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर   |
|  |  | स्थापना वर्ष - 1971-72<br><b>निरीक्षण तिथि - 12.10.2018</b><br>1. Number of Books for M.Sc. Course is sufficient.<br>2. Number of class rooms for M.Sc. Course are sufficient.<br>3. Experimental facilities for M.Sc. III Semester lab are insufficient. Eligibility can be given only when sufficient number of equipments for III sem. lab will be procured. |              |         |  |
| <b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।  |  |   |              |         |  |
| क्र.   | महाविद्यालय का नाम                               | कक्षा/विषय  | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
| x  | शास. महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद       | M.Sc. I/II Sem. Chemistry   | 30           | 2018-19 | 1. डॉ. एम.के. देव, रसायनशास्त्र अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर<br>2. डॉ. टी.एल. वर्मा, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर<br>3. डॉ. एम.पी. गुप्ता, राजीव गांधी शास. महा. सिमगा, जिला-बलौदाबाजार<br>4. डॉ. ए.के. भट्ट शास. विज्ञान स्नातकोत्तर महावि. रायपुर |
|  |  | M.A. I/II Sem Geography   | 40           |         |  |
|  |  | B.Sc.-III- Maths, Physics   | 60           |         |  |
| स्थापना वर्ष - 2013-14<br><b>निरीक्षण तिथि - 06.12.2018</b><br>B.Sc.-III- Physics प्रयोगशाला के उपकरण, पुस्तकें और नियमित सहा. प्राध्यापक की आवश्यकता है।<br>B.Sc.-III- Math's हेतु 01 नियमित सहा. प्राध्यापक एवं पर्याप्त कक्ष एवं पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं।<br>एम.ए. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर भूगोल के लिए उपकरण क्रय करने हेतु आदेश दिया गया है। प्रायोगिक प्रयोगशाला, कक्ष, सहायक प्राध्यापक के दो पद स्वीकृत है।<br>M.Sc. I/II Sem. (Chemistry)<br>* नियमित शिक्षक (AP/Professor) एक भी नहीं है (पद स्वीकृत है)<br>* पुस्तकें नहीं है।<br>* उपकरणों तथा Chemicals की कमी है।<br>उक्त जानकारियों के आधार पर कमियों को पूर्ण करने की प्रत्याशा में संबंधित कोर्स को महाविद्यालय में चलने की अनुशंसा की जाती है। |  |   |              |         |  |
| <b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।  |  |   |              |         |  |

| क्र.   | महाविद्यालय का नाम   | कक्षा/विषय  | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|--|--|---|--------------|---------|--|
| xi   | दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलईपाली, सरसीवां, जिला-बलौदाबाजार - भाटापारा | B.Com-II  | 75           | 2018-19 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रो. आर.के. प्रधान, बायोसाइंस, अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर</li> <li>2. डॉ. सुभाष चन्द्राकर, दुर्गा महावि. रायपुर</li> <li>3. डॉ.के.एन. शर्मा, शासकीय महावि. आरंग</li> <li>4. डॉ. केशरी वर्मा, एन.आई.टी. , रायपुर</li> <li>5. डॉ. एस.एस. खनूजा, दुर्गा महावि. रायपुर</li> </ol> |
|  |  | B.Sc.-II- Botany, Zoology, Physics, Chemistry,            | 75           |         |  |
|  |  | B.C.A.-II   | 30           |         |  |
|  |  | B.A.-II- Pol.Sc., Sociology, Economics, and Hindi/English | 75           |         |  |
| स्थापना वर्ष - 2017-18<br>आ.उ.शि. संचा. का पत्र क्र. 565/<br>आउशि/अशै.प्र./2018/38-2/ दिनांक<br>28.02.2018   |  |   |              |         |  |
| <b>निरीक्षण तिथि - 17.12.2018</b><br>Eligible for affiliation<br>The observation of the Committee :<br>None of the working employee, nither teaching nor supporting staff, are appointed under statute 28.<br>Therefore college should make the appointment earliest under statute 28 with increase in the number of books and some other laboratory equipments.   |  |   |              |         |  |
| <b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी। |  |   |              |         |  |
| क्र.   | महाविद्यालय का नाम   | कक्षा/विषय  | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
| xii  | महंत लक्ष्मी नारायण दास महावि. गांधी चौक, रायपुर                                       | B.Com-III   |              | 2018-19 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. डॉ. एच.विक्रोल, एन.आई.टी. , रायपुर</li> <li>2. डॉ. ध्रुव कुमार पांडेय, शास. जे.योगा. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर</li> </ol>  |
|  |  |   |              |         |  |
| <b>निरीक्षण तिथि - 29.11.2018</b><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>2. B.Com. (Computer Application) तृतीय वर्ष हेतु Computer में 15000/- रु. की पुस्तकें क्रय की जावे।</li> <li>3. B.Com. (Computer Application) तृतीय वर्ष हेतु Software क्रय किया जाये उपलब्ध कराए।</li> </ol>   |  |   |              |         |  |
| <b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी। |  |   |              |         |  |

| क्र.   | महाविद्यालय का नाम                             | कक्षा/विषय  | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य   |
|--|--|---|--------------|---------|---|
| xiii   | शास. नारायण राव मेघावाले कन्या महावि. धमतरी    | B.Sc. III-(Bio Group)-Chemistry, Botany, Zoology-(60 Seats)         | 60           | 2018-19 | 1. डॉ. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस, अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर<br>2. डॉ. के.के. घोष, रसायनशास्त्र अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर<br>3. डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर   |
|  |  | B.Sc. III -(Maths Group) Physics, Chemistry, Mathematics-(60 Seats) | 60           |         |   |
| स्थापना वर्ष – 1994-95<br>आ.उ.शि. संवा. का पत्र क्र. 390/आउशि /अ.शै.प्र./2018 दिनांक 28.03.2018  |  |   |              |         |   |
| निरीक्षण तिथि – 09.10.2018   |  |   |              |         |   |
| <b>Regerence :</b> 7180/Acad/Affl./2018 Raipur, dt. 25-09-2018   |  |   |              |         |   |
| <b>Affiliation :</b> B.Sc. III (Bio & Maths) - 60 seat each  |  |   |              |         |   |
| This is a govt. College established in July 1995 affiliated to UGC under 2f. It has sufficient space with its own building. However, lab space and facility is inadequate. One faculty in science subject (Botany) is regular. One guest faculty each in Chemistry, Physics, Mathematics and Zology is working. As per syllabus, practical and laboratory equipment, glass wares and consumables are insufficient. Library has very limited Books as per the number of students. |  |   |              |         |   |
| The college need to upgrade the facilities in terms of library, equipment, chemicals, glass wares, books to run the class & practicals.  |  |   |              |         |   |
| <b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।  |  |   |              |         |   |
| क्र.   | महाविद्यालय का नाम                             | कक्षा/विषय  | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य   |
| xiv  | स्व. दौलतराम शर्मा शास. स्नातकोत्तर महा. कसडोल | M.Sc.. I/II Sem. Zoology  | 25           | 2018-19 | 1. डॉ. आरती परगनिहा, बायोसाइंस अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर<br>2. डॉ. सीमा गुप्ता, शास. नागार्जुन विज्ञान स्नात. महा. रायपुर<br>3. डॉ. क्षिप्रा वर्मा, शास. नागार्जुन विज्ञान स्नात. महा. रायपुर<br>4. डॉ. प्रतिमा चंद्राकर, शास. जे. यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर |
|  |  | M.Sc.. I/II Sem. Chemistry  | 25           |         |   |
| स्थापना वर्ष : 1983-84<br>छ.ग. शासन उ.शि.वि. मंत्रालय का पत्र क्र. एफ. 3-4/2018/38-1 दिनांक 03.08. 2018  |  |   |              |         |   |
| निरीक्षण तिथि – 27.11.2018 <b>M.Sc.. I/II Sem. Zoology</b>   |  |   |              |         |   |
| Inspection committee visited Lt. Daulatram Sharma Govt. PG College, Kasdol on 27-11-2018 for affiliation of M.Sc. I/II Sem. Zoology (seats-25). The committee observed the following points:   |  |   |              |         |   |
| 1. Infrastructure: Rooms and practical labs are adequate.  |  |   |              |         |   |
| 2. Instruments, Chemicals, specimens, slides are available but inadequate.   |  |   |              |         |   |
| 3. Books: Reference books are available but more recent books are required.  |  |   |              |         |   |
| 4. Faculty: Sanctioned 1+1; 1 permanent & 1 guest faculty are working. Technical assistant required.   |  |   |              |         |   |
| (PG) रसायन शास्त्र के लिए सम्बद्धता हेतु शर्तें जो होना चाहिए :  |  |   |              |         |   |
| <b>आधारिक संरचना :</b> सैद्धांतिक कक्षाएं पर्याप्त है। प्रयोगशाला की कमी है। कम से कम दो प्रयोगशाला (M.Sc. I SEM & MSc. III) होना अनिवार्य है।   |  |   |              |         |   |
| <b>Instruments &amp; Chemicals :</b> वर्तमान में Instruments की कमी है, एम.एस.सी. के लिए Instruments अत्यन्त आवश्यक है। Chemicals अपर्याप्त है।  |  |   |              |         |   |
| <b>Books &amp; Journals :</b> वर्तमान में नहीं है। शीघ्र ही इसको उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।  |  |   |              |         |   |
| <b>प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक :</b> प्राध्यापकों की कमी है। UG एवं PG मिलाकर मात्र दो संविदा में अतिथि व्याख्याता कार्यरत हैं। प्राध्यापकों की और आवश्यकता है।   |  |   |              |         |   |
| <b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।  |  |   |              |         |   |

| क्र.   | महाविद्यालय का नाम                               | कक्षा/विषय   | छात्र संख्या                     | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य   |
|--|--|--|----------------------------------|---------|---|
| xv   | पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महावि. कचना रोड, रायपुर | M.Sc.. Final Year (III/IV Sem.)<br>Computer Application  | 20                               | 2018-19 | 1. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर<br>2. डॉ. एच. विक्रोल, एन.आई.टी., रायपुर  |
| <p>स्थापना वर्ष : 1994-95<br/>आ.उ.शि. संवा. का पत्र क्र. 449/आउशि /अ.शे.प्र./2018 दिनांक 14.08.2018</p> <p><b>निरीक्षण तिथि – 26.10.2018</b></p> <p>पत्र क्र. 7288/अका./2018 दिनांक 10.10.2018 के संदर्भ में आज दिनांक 26.10.2018 को निरीक्षण किया और पाया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>2. पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोगशाला में Licensed Software install किये जाये।</li> <li>3. ग्रंथालय में पाठ्यक्रम के अनुसार Reference Books क्रय की जाये।</li> </ol> <p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।</p>  |  |  |                                  |         |   |
| क्र.   | महाविद्यालय का नाम                               | कक्षा/विषय   | छात्र संख्या                     | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य   |
| xvi  | संत गुरु घासीदास शास. महा. कुरुद, जिला-धमतरी     | B.Sc.-III- Microbiology<br>B.Sc.-III-Computer Sc.<br>B.Sc.-II- I.T.<br>M.Sc.-III/IV Sem. Biotechnology<br>M.A.-I/II Sem. Sociology<br>M.A.-I/II Sem. Political Sc. | 30<br>30<br>20<br>30<br>30<br>30 | 2018-19 | 1. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर<br>2. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर<br>3. डॉ. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर<br>4. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, समाजशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर<br>5. डॉ. अरुण कुमार दीक्षित शास. महाविद्यालय, अभनपुर, जिला-रायपुर |
| <p>स्थापना वर्ष : 1983-84<br/>छ.ग. शासन उ.शि.वि. मंत्रालय का पत्र क्र. एफ. 3-4/2018/38-1 दिनांक 03.08.18</p> <p><b>निरीक्षण तिथि – 02.11.2018</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. एम.ए. I/II सेमे. समाजशास्त्र – कक्षाओं के लिये पर्याप्त अधोसंरचना है। छात्र अनुपात में पुस्तकों की आवश्यकता होगी।</li> <li>2. एम.ए. I/III सेमे. राजनीति शास्त्र – कक्षाओं के लिये पर्याप्त अधोसंरचना है। छात्र अनुपात में पुस्तकों की आवश्यकता होगी।</li> <li>3. बी.एस-सी. II year I.T. अधोसंरचना पर्याप्त है, पृथक प्रयोगशाला कक्षानुसार आवश्यक/छात्र अनुपात में पुस्तकों की कमी है।</li> <li>4. बी.एस.सी. II कम्प्यूटर साइंस – अधोसंरचना पर्याप्त है, पृथक प्रयोगशाला कक्षा अनुसार आवश्यक, छात्र अनुपात में पुस्तकों की आवश्यकता है।</li> <li>5. बी.एस.सी. III सूक्ष्मजीव विज्ञान – सैद्धांतिक कक्षा के लिये कक्ष है लेकिन प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण नहीं है। छात्र अनुपात में पुस्तकों की आवश्यकता है।</li> <li>6. एम.एस-सी. III/IV सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं के लिये अपर्याप्त अधोसंरचना एवं उपकरण/मात्र दो सहा. प्राध्यापक की नियुक्ति, छात्र अनुपात में पुस्तकों की आवश्यकता।</li> </ol> <p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p> |  |  |                                  |         |   |

| क्र.   | महाविद्यालय का नाम   | कक्षा/विषय  | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|--|--|---|--------------|---------|--|
| xvii   | शास. खेमराज लक्ष्मीचंद वाणिज्य विज्ञान महा. बागबाहरा, जिला-महासमुंद        | M.A.-I/II Sem.Economics   | 30           | 2018-19 | 1. डॉ. अमरकांत पांडेय, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर<br>2. डॉ. मनीष राय, रसायन शास्त्र अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर<br>3. डॉ. अनुभा सिंह गौर, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर<br>4. डॉ. आरती परगनिहा, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर |
|  |  | M.Sc.-I/II Sem. Chemistry   | 25           |         |  |
|  |  | B.Sc.-II- Bio & Maths Group   | 50-50        | 2011-12 |  |
|  |  | B.Sc.-III- Bio & Maths Group  | 50-50        | 2012-13 |  |
| स्थापना वर्ष : 1962-63<br>छ.ग. शासन उ.शि.वि. मंत्रालय का पत्र क्र. एफ. 3-4/2018/38-1 दिनांक 03.08. 2018  |  |   |              |         |  |
| <b>निरीक्षण तिथि – 25.10.2018</b>  |  |   |              |         |  |
| Ref. : 7301/Acad./Affiliation/2018 Raipur, dated 10-10-2018  |  |   |              |         |  |
| The inspection committee visited the Govt. Khemraj Laxmichand Arts, Commerce & Sci. College, Bagbahra Fro its affiliation for the following new course MA I/II Economics, MSc I/II Chemistry, B.Sc. II Bio & Maths, and BSc III Bio & Maths on 25-10-2018. The following facts were found:   |  |   |              |         |  |
| 1. No. of classrooms, furnitures and books available in the library are sufficient for MA I/II Economics.  |  |   |              |         |  |
| 2. Lab infrastructure for M.Sc I/II Chemistry are not adequate.  |  |   |              |         |  |
| 3. Furniture's & Books are sufficient for B.Sc. II Bio & Maths.  |  |   |              |         |  |
| 4. Lab space & equipments are not adequate for running B.Sc. Practical classes.  |  |   |              |         |  |
| 5. Regular teacher should be appointed in all above mentioned courses.   |  |   |              |         |  |
| <b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।  |  |   |              |         |  |
| क्र.   | महाविद्यालय का नाम   | कक्षा/विषय  | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
| xviii  | शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महावि. भाटापारा, जि.-बलौदाबाजार-भाटापारा | B.Sc.-III- Biotechnology  | 30           | 2018-19 | 1. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर<br>2. डॉ. टी.एल.वर्मा, शास. जे. यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर<br>3. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर  |
|  |  | B.A.-II Geography   | 40           |         |  |
|  |  | B.A.-II Sociology   | 50           |         |  |
|  |  | स्थापना वर्ष : 1963-64<br>छ.ग. शासन उ.शि.वि. मंत्रालय का पत्र क्र. एफ. 3-4/2018/38-1 दिनांक 03.08. 2018 |              |         |  |
| <b>निरीक्षण तिथि – 17.09.2018</b>  |  |   |              |         |  |
| निरीक्षण समिति के द्वारा दिनांक 17.09.2018 को शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा, जि.-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) का निरीक्षण किया गया। समिति ने अपने निरीक्षण में यह पाया कि जिन कक्षाओं को संचालित किए जाने की अनुमति चाही गयी है उससे संबंधित आधारभूत संरचना महाविद्यालय में उपलब्ध है। इस आधार पर बी.ए. भाग दो समाजशास्त्र हेतु 50 सीट, बी.ए. भाग दो, भूगोल हेतु 40 सीट तथा बी.एस.सी. भाग तीन बायोटेक्नालॉजी हेतु 30 सीट की पात्रता सत्र 2018-19 के लिए है। साथ ही सत्र 2019-20 से बी.ए. भाग एक में 60 सीट करने की अनुशंसा की जाती है। |  |   |              |         |  |
| <b>टीप :</b> निरीक्षण समिति 2018-19 की सम्बद्धता के लिए गठित की गई थी।   |  |   |              |         |  |
| <b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।  |  |   |              |         |  |



| क्र.                   | महाविद्यालय का नाम                            | कक्षा/विषय   | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|------------------------|---|--|--------------|---------|--|
| xix                    | शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव, जिला-रायपुर | B.A.-II- FC, Hindi Litt., English Litt., Economics, Political Sc., Sociology | 90           | 2018-19 | <ol style="list-style-type: none"> <li>डॉ. के.के. घोष, रसायनशास्त्र अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर</li> <li>डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर</li> <li>डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा, साहित्य एवं भाषा अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर</li> <li>डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर</li> <li>डॉ. ध्रुव कुमार पांडेय, शास. जे.योगा. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर</li> </ol> |
|                        |   | B.Sc.-II- Bio Group- Chemistry, Zoology, Biotechnology                       | 90           |         |  |
|                        |   | B.Com.-II- All Compulsory Subject  | 90           |         |  |
| स्थापना वर्ष : 2017-18 |   |  |              |         |  |

निरीक्षण तिथि - 03.01.2019

पं. रविशंकर शु. वि.वि. के पत्र क्रमांक 7727/अका./संबद्धता/2018 दिनांक 17.12.2018 B.Sc.-II/B.A-II/B.Com.-II के सम्बद्धता हेतु आज निरीक्षण किया गया वर्तमान से यह महाविद्यालय शास. नवीन महा. बीरगांव पूर्व माध्यमिक शाला रावाभांठा में संचालित हो रहा है। इस सत्र में B.Sc.-II Bio group 33, B.A-II 49 तथा B.Com.-II 28 छात्र अध्ययनरत हैं। महा. में नियमित प्राचार्य है सेट अप के हिसाब से स्टाफ पूर्ण है। B.Sc. में रसायन, जूलाजी, बाटनी के 3 सहा. प्राध्यापक कार्यरत हैं इसी प्रकार B.Com. 3 तथा BA में हिन्दी राजनीति, अंग्रेजी 2 समाजशास्त्र नियमित सहा. प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्र में अतिथि व्याख्याता 1 कार्यरत है। पुस्तकालय में पुस्तकें पर्याप्त नहीं हैं और खरीदने की आवश्यकता है। प्रयोगशाला- रसायन प्रयोगशाला में केमिकल ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्रय करने की आवश्यकता है वर्तमान में ये विज्ञान महा. रायपुर में प्रायोगिक कार्य संपन्न किया जाता है। Zoology/Biotechnology में भी प्रायोगिक उपकरण की आवश्यकता है। दो प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 2 आफिस स्टाफ है।

**निर्णय:** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

| क्र.   | महाविद्यालय का नाम                         | कक्षा/विषय                       | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|--|--|----------------------------------|--------------|---------|--|
| xx   | शासकीय नवीन महाविद्यालय, भखारा, जिला-धमतरी | M.A.-I/II Sem. Geography         | 30           | 2018-19 | <ol style="list-style-type: none"> <li>डॉ. एन.के. बघमार, अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर</li> <li>डॉ. टी.एल. वर्मा, शास. जे.योगा. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर</li> <li>डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर</li> <li>डॉ. सी.एल. देवांगन, प्राचार्य, शास. जे.योगा. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर</li> <li>डॉ. श्रीमती प्रभा वेरुलकर, शास. स्नातकोत्तर महावि. धमतरी</li> <li>डॉ. नंदा नेमा, शास. जे.योगा. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर</li> </ol> |
|  |  | M.Sc. I/II Sem. Maths            | 30           |         |  |
|  |  | M.A.-I/II Sem. Political Science | 30           |         |  |
| स्थापना वर्ष : 2008-09<br>छ.ग. शासन उ.शि.वि. मंत्रालय का पत्र क्र. एफ. 3-4/2018/38-1 दिनांक 03.08.2018 |  |                                  |              |         |  |

**निरीक्षण तिथि – 31.12.2018**

दिनांक 31.12.2018 को शास. महावि. भखारा में एम.एस.सी. (गणित), एम.ए. (भूगोल) तथा एम.ए. (राजीनति विज्ञान) सेमेस्टर I/II की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया।

महाविद्यालय में आधारभूत संरचना उपलब्ध है तथा प्राचार्य पदस्थ है। प्रस्तावित विषयों में स्नातक स्तर पर भी कक्षाएँ संचालित है। सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक विषय में 1 प्रोफेसर तथा 3 सहा. प्राध्यापक की पदस्थापना होनी चाहिए, परन्तु सभी विषयों में 2-2 शिक्षकों का सेटअप स्वीकृत है। प्रत्येक विषय में स्थायी तथा 1 अंशकालीन शिक्षक कार्यरत है।

भूगोल प्रयोगशाला हेतु Theodolite, Dumpy level, Imageries, Computer Software तथा Toposheets क्रय किया जाना आवश्यक है। तीना विषयों में प्रत्येक प्रश्नपत्र में पाठ्यक्रम में उल्लेखित Text Book/Recommended Books की 04-04 सेट क्रय किया जाना आवश्यक है।

प्रत्येक विषय में 2-2 अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

**निर्णय:** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

| क्र.  | महाविद्यालय का नाम  | कक्षा/विषय   | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य  |
|---|---|--|--------------|---------|--|
| xxi   | शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, जि.-बलौदाबाजार-भाटापारा | B.A.-I- FC-(Hindi, English), Political Science, Hindi Litt., Sociology, Geography, | 90           | 2018-19 | 1. डॉ. अनुसूइया बघेल, भूगोल अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर<br>2. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर<br>3. डॉ. प्रतिमा चंद्राकर, शास. जे. यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर<br>4. डॉ. पी.के. अग्निहोत्री, शास. जे.योगा. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर<br>5. डॉ. तपेश चन्द्र गुप्ता, शास. जे.योगा. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर |
|   |   | B.Sc.-I- Maths Group- Chemistry Maths, Physics                                     | 90           |         |  |
|   |   | B.Com.-I- All Compulsory Subject   | 90           |         |  |
| आयुक्त उ.शि. संचा. का पत्र क्र. एफ. 162/264/आउशि/योजना/2018 दिनांक 05.10.2018 |   |  |              |         |  |

**निरीक्षण तिथि – 27.10.2018**

आज दिनांक 27.10.2018 को शास. नवीन महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) का निरीक्षण समिति के द्वारा किया गया। समिति ने यह पाया कि महाविद्यालय में अधोसंरचना पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है। महा. में B.A. Part-I में 90 छात्र, B.Com.-I में 17 तथा B.Sc.-I-05 प्रवेशित छात्रों की संख्या है। जिनके लिए फर्नीचर पर्याप्त है लेकिन छात्रों की संख्या के अनुसार पुस्तकें एवं प्रयोगिक कार्य हेतु उपकरण क्रय किया जाना आवश्यक है। शा. महा. मोपका -निपनिया को सत्र 2018-19 में B.A.-Part-I, B.Com.-Part-I तथा B.Sc.-Part-I संचालित करने की पात्रता है।

**निर्णय:** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

04. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर का आदेश पत्र क्र. एफ 4-3/ (ब)/2012/38-(2) 1 दिनांक 24.09.2013 विभागीय आदेश दिनांक 05.10.2018 के द्वारा शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेन्द्र नगर, रायपुर को शासकीयकरण किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

**निर्णय :** छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर का आदेश पत्र क्र. एफ 4-3/ (ब)/2012/38-(2) 1 दिनांक 24.09.2013 विभागीय आदेश दिनांक 05.10.2018 के द्वारा शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेन्द्र नगर, रायपुर को शासकीयकरण किये जाने की सूचना ग्रहण किया गया।

- 05. अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय परिनियम 28 की कंडिका 5.1.6(d) को स्पष्ट करने के संबंध में।  
निर्णय : विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि कंडिका में "The term of appointment of the college principal shall be FIVE years with eligibility for reappointment for one more term only after a similar selection committee process" उल्लेखित है, अतः प्राचार्य चयन हेतु परिनियम 28 के प्रावधानानुसार अर्हता पूर्ण होने पर चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार की कार्यवाही किया जावे।
- 06. विश्वविद्यालय में चयनित JRF के छात्रों को Registration number आबंटित किये जाने के संबंध में।  
निर्णय : निर्णय लिया गया कि समस्त शोधार्थी को DRC के पश्चात् एक अस्थायी पंजीयन नंबर प्रदान किया जावे जिससे JRF एवं अन्य छात्रवृत्ति हेतु शोधार्थी इस पंजीयन का उपयोग कर सकेंगे। विश्वविद्यालय में चयनित JRF के छात्रों को Registration number आबंटित किये जाने की अनुशंसा की गई।
- 07. Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology का नवीन अध्यादेश एवं पाठ्यक्रम की अनुशंसा करना।  
निर्णय : Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology का नवीन अध्यादेश एवं पाठ्यक्रम की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।
- 08. शिक्षा अध्ययन मण्डल की बैठक की अनुशंसा का अनुमोदन करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. के प्रस्तावित अध्यादेश को शिक्षा अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 14.12.2018 में की गई अनुशंसा एवं प्रस्तावित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।
- 09. कु. आकांक्षा भोसले को बी.वॉक. तृतीय सेमेस्टर में भूतपूर्व छात्रा के रूप में सम्मिलित होने पर प्रायोगिक परीक्षा के पूर्व अंक को Carry forward किये जाने के संबंध में।  
निर्णय : प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को Carry forward किया जावेगा। प्रस्ताव मान्य किया गया।
- 10. शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के सीट वृद्धि की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-48/2018/38-1 नया रायपुर दिनांक 30.07.2018 के द्वारा शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में संचालित पाठ्यक्रम, बी.ए. भाग-1 (सीट वृद्धि-10) एवं बी.एस-सी. भाग-1 बायो समुह (सीट वृद्धि-10) के द्वारा सीट वृद्धि की सूचना ग्रहण किया गया।
- 11. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर का आदेश क्र. एफ 17-7/18/38-1 दिनांक 06.10.2018 के अनुसार इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों के नाम परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर का आदेश क्र. एफ 17-7/18/38-1 दिनांक 06.10.2018 के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों के नाम परिवर्तन की सूचना ग्रहण किया गया :-

| क्र. | महाविद्यालय का नाम                     | नवीन नाम                                       |
|------|--|--|
| (1)  | शासकीय नवीन महाविद्यालय, फिंगेश्वर     | फणिकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर    |
| (2)  | शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलौदा         | डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय, बलौदा   |
| (3)  | शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा | गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा |

12. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के उपाधि को विश्वविद्यालय के समतुल्य मान्यता के संबंध में।

निर्णय : आई.आई.टी., एन.आई.टी. तथा आई.आई.एम. एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की उपाधि को विश्वविद्यालय के समतुल्य मान्य किया गया।

13. महाविद्यालय के सम्बद्धता आवेदन फार्म के संशोधित प्रारूप पर विचार किये जाने बाबत।

निर्णय : महाविद्यालय के सम्बद्धता आवेदन फार्म के संशोधित प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

14. अध्यादेश-45 के परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त अध्यादेश-45 में आंशिक संशोधन सुझाव के संबंध में विचार करना।

निर्णय : मान्य किया गया।

15. रेगुलेशन नं. 46 Rules for Recognition of Research Centres एवं Revised Regulation No. 107 Recognition of the Research Centres के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पुनः विचार करते हुए निर्णय लिया गया है किसी एक कार्य के लिए एक समय में एक ही विनियम प्रभावशील होना चाहिए अन्यथा वैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः रेगुलेशन नं. 46 Rules for Recognition of Research Centres को विलोपित करने की अनुशंसा की गई।

16. सत्र 2018-19 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक सम्बद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

| क्र. | शासकीय महाविद्यालय   |
|------|--|
| 1    | नवीन शास. महाविद्यालय, भखारा, जिला-धमतरी (छ.ग.)  |
| 2    | शास. स्व. दौलत राम शर्मा महावि. कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)                           |
| 3    | शास. महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)  |
|      | अशासकीय महाविद्यालय  |
| 1    | पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, कचना रोड, रायपुर (छ.ग.)                                    |
| 2    | काम्पटेक महाविद्यालय, सोरिद नगर, धमतरी (छ.ग.)  |
| 3    | आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, रायपुर (छ.ग.)  |
| 4    | दिशा कॉलेज आफ मैनेजमेंट स्टडिज, सत्य विहार, विधानसभा, चन्द्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार मार्ग, रायपुर |
| 5    | दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार विधानसभा, चन्द्रखुरी मार्ग, रायपुर                             |

निर्णय : सत्र 2018-19 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

(107)

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

| क्र.   | महाविद्यालय का नाम  | कक्षा/विषय            | छात्र संख्या | सत्र    | निरीक्षण समिति के सदस्य   |
|--|---|-----------------------|--------------|---------|---|
| i  | शासकीय राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम, जिला-गरियाबंद<br>स्थापना वर्ष - 1971-72 | B.A.-I- English Litt. | 30           | 2018-19 | 1. डॉ. (श्रीमती) जया तिवारी, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर<br>2. डॉ. (श्रीमती) मधु कामरा, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर |
| <p><b>निरीक्षण तिथि - 07.01.2019</b><br/>We inspected Govt. Rajiv Lochan College, Rajim for the affiliation of B.A. Part-I- English Literature on 07-01-2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01 regular teacher and one Guest Lecturer posts have been sanctioned. Guest Lecturer has left in December.</li> <li>Sufficient infrastructural facilities are available.</li> <li>Number of standard reference books have to be added.</li> <li>Only one student is enrolled in this session. On the basis of infrastructural facilities, the college may be considered for affiliation for B.A. Part-I English Literature class.</li> </ol> <p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p> |   |                       |              |         |   |

02. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) Regulation 2014 में APPENDIX-4 (B.Ed.) में भारत का राजपत्र क्रमांक 237 नई दिल्ली 09 जून 2017 एवं NCTE 29 मई 2017 द्वारा संशोधन विनियम लाया गया, जिसे अंगीकृत किये जाने हेतु विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक 7663/अका./का.प./2018 दिनांक 06.12.2018 द्वारा 03 सदस्यीय समिति की अनुशंसा को अध्यादेश 4 में समाहित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :स्वीकृति दी गई।

03. दिव्यांग छात्र को परीक्षा अवधि में अतिरिक्त समय प्रदान करने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय :वि.वि. स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.06.2018 के द्वारा दिव्यांग छात्र को परीक्षा अवधि में अतिरिक्त समय प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं अध्यादेश में समाहित किये जाने हेतु F.No. 16-110/2003-DD. III Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment Department of Disability Affairs, New Delhi Date 26 Feb. 2013 के दिशा निर्देश को अध्यादेश क्रमांक 6 Examination General के अंतिम पैरा में जोड़े जाने हेतु गठित समिति की अनुशंसा मान्य की गई, जो निम्नांकित है -

### Guidelines for conducting written examination for person with disabilities.

- I. The facility of Scribe/Lab Assistant will be allowed to any examinee who has disability of 40% or more if so desired by the examinee.
- II. The examinee will arrange his/her own Scribe /Lab Assistant for the examination.
- III. Criteria like educational qualification, marks scored, age or other such restrictions for the scribe/lab assistant shall not be fixed, instead, the invigilation system will be strengthened, so that the examinee using scribe/lab assistant do not indulge in practices like copying and cheating during the examination.


- IV. There will also be flexibility in accommodating any change in scribe/lab assistant in case of emergency. The examinee will also allowed to take more than one scribe for writing different papers especially for languages.
- V. Examinee with disabilities will be given the option of choosing the mode for taking the examination i.e. in Braille or in computer.
- VI. The examinee will be allowed to check the computer system one day in advance so that the problems, if any, in the software/system could be rectified.
- VII. For availing the facility of scribe, the necessary details will be recorded at the time of filling up of the forms. Thereafter for the examinee with disability, examining body will ensure availability of Braille/Computer opted by the candidate as well as suitable seating arrangement for giving examination.
- VIII. The disability certificate issued by the competent medical authority at any place will be accepted.
- IX. The word "extra time or additional time has been changed to "compensatory time" and the same will not be less than 20 minutes per hour of examination for person who are making use of scribe/lab assistant. All the examinee with disability not availing the facility of scribe may be allowed additional time of minimum of one hour for examination of 3 hours duration which could further be increased on case to case basis.
- X. The examinee will be allowed to use assistive devices like talking calculator (in case where calculators are allowed for giving exam) tailor frame, Braille slate, abacus, geometry kit, Braille measuring tape and augmentative communication devices like communication chart and electronic device.
- XI. Proper seating arrangement (preferable of the ground floor) will be made prior to the commencement of examination to avoid confusion of distraction during the day of exam. The time of giving the question paper will be marked accurately and timely supply of supplementary paper will be ensured.

04. विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 787/अका./शोध/2014 रायपुर दिनांक 17.07.2014 के कंडिका 3 पर पुनर्विचार करने बाबत।

निर्णय : कंडिका 3 को निम्नानुसार संशोधित करने की अनुशंसा की गई -

3. शोध निर्देशक के निर्देशन में एक सत्र में अधिकतम 2 शोधार्थियों के पंजीयन का प्रस्ताव शोध समिति (RDC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। तथापि विशेष परिस्थिति में कुलपति की पूर्वानुमति से 2 से अधिक शोधार्थियों का पंजीयन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 7881 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2019  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 14/01/2019

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

## कार्य परिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- वि.वि. परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में।

वि.वि. परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्र.195/विकास/निसू./2017 रायपुर, दिनांक 15/06/2017 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

दर अनुसूची में New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम होने के कारण कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24/08/2017 में विषय क्र.-06 में वि.वि. परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था का कार्य एक वर्ष के लिए अनुमोदन किया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्र.195/विकास/निसू./2017 रायपुर, दिनांक 15/06/2017 के निविदा प्रपत्र-4 के कण्डिका 01 के अनुबंध का प्रारूप में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है-

"सुरक्षा ठेका सामान्यतः एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जावेगा। इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर संबंधित फर्म का कार्य संतोषजनक होने पर एक-एक वर्ष करके अधिकतम तीन वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।" (निविदा की छायाप्रति संलग्न है)

चूंकि New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur द्वारा वि.वि. परिसर व भवनों में किये जा रहे सुरक्षा कार्य के संबंध में विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त फर्म का कार्यकाल 31/08/2018 को समाप्त हो गया था। वि.वि. द्वारा निविदा सूचना क्र.X-1/RSU/2018 रायपुर, दिनांक 01/09/2018 जारी किया गया था। चुनाव आचार संहिता लगने एवं निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म द्वारा टेक्निकल बिड में अयोग्य पाये जाने के कारण गठित समिति द्वारा किये गये अनुशांसा के आधार पर वि.वि. द्वारा जारी निविदा को निरस्त किया गया है।

वि.वि. परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur से दिनांक 01/09/2018 से 28/02/2019 तक के लिये वि.वि. द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किया गया है।

अतः उक्त फर्म द्वारा वि.वि. परिसर व भवनों में किये जा रहे सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य संतोषजनक होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्र. 195/विकास/निसू./2017 रायपुर, दिनांक 15/06/2017 के निविदा प्रपत्र-4 के कण्डिका 01 के अनुबंध के प्रारूप में किये उल्लेख के आधार पर वि.वि. परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक वर्ष के लिये (दिनांक 01/03/2019 से 29/02/2020 तक) कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

110

संक्षेपिका

कार्यपरिषद के सूचनार्थ रखे जाने हेतु

मूल विज्ञान केन्द्र में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद की आगामी बैठक में सूचनार्थ रखे जाने हेतु नस्ती प्रस्तुत है।

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 1 | I <sup>st</sup> Batch, 4 <sup>th</sup> yrs, 6 <sup>th</sup> sem. Febuary 18 to July 18   | Rs. 9,81,031.00  |
| 2 | II <sup>nd</sup> Batch, 3 <sup>rd</sup> Yrs, 4 <sup>th</sup> Sem. January 18 to July 18  | Rs. 8,76,549.00  |
| 3 | III <sup>rd</sup> Batch, 2 <sup>nd</sup> Yrs, 2 <sup>nd</sup> Sem. January 18 to July 18 | Rs. 10,01,913.00 |
| 4 | IV <sup>th</sup> Batch, 1 <sup>st</sup> yrs, 1 <sup>st</sup> Sem. July 18 to Oct. 18     | Rs 5,38,457.00   |

*H. S. S. S.*

वित्त नियंत्रक

*[Signature]*